अध्याय 6

आय का संकलन और हानि का मुजरा करना या उसे अग्रनी करना

आय का संकलन

66. कुल आय—निर्धारिती की कुल आय संगणित करते समय ऐसी सब आय, जिस पर अध्याय 7 के अधीन कोई आय-कर संदेय नहीं है, सम्मिलित की जाएगी [1]***

[2]* * * * *

[3][**67क. व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की आय में सदस्य के अंश की संगणना करने की पद्धति**—(1) ऐसे निर्धारिती की, जो [कम्पनी या सहकारी सोसाइटी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम की तत्स्थानी किसी विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से भिन्न] किसी व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय का सदस्य है, जिसमें सदस्यों के अंश अवधारित और ज्ञात है, कुल आय की संगणना करने में, चाहे ऐसे संगम या निकाय की कुल आय की संगणना का अंतिम परिणाम लाभ है या हानि, उसके अंश की (चाहे वह शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि) संगणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) पूर्व वर्ष की बाबत किसी सदस्य को संदत्त कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक को चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, संगम या निकाय की कुल आय में से घटा दिया जाएगा तथा अतिशेष अभिनिश्चित किया जाएगा और सदस्यों में उस अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जिसमें वे संगम या निकाय की आय में अंश के हकदार हैं;

(ख) जहां ऐसी रकम, जो खंड (क) के अधीन किसी सदस्य को प्रभाजित की जाती है, लाभ है वहां पूर्वोक्त कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीश्न या पारिश्रमिक जो पूर्व वर्ष की बाबत संगम या निकाय द्वारा सदस्य को संदत्त किया जाता है उस रकम में जोड़ दिया जाएगा और परिणाम को संगम या निकाय की आय में सदस्य के अंश के रूप में समझा जाएगा;

(ग) जहां ऐसी रकम, जो खंड (क) के अधीन किसी सदस्य को प्रभाजित की जाती है, हानि है वहां पूर्वोक्त कोई ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, या पारिश्रमिक जो पूर्व वर्ष की बाबत संगम या निकाय द्वारा सदस्य को संदत्त किया जाता है उस रकम में समायोजित किया जाएगा और परिणाम को संगम या निकाय की आय में सदस्य के अंश के रूप में समझा जाएगा ।

(2) संगम या निकाय की आय या हानि में सदस्य का ऐसा अंश, जो उपधारा (1) के अधीन संगणित किया गया है, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन उसी रीति से प्रभाजित किया जाएगा जिससे संगम या निकाय की आय या हानि, आय के प्रत्येक शीर्ष के अधीन अवधारित की गई है ।

(3) कोई ऐसा ब्याज, जो संगम या निकाय में विनिधान के प्रयोजनों के लिए किसी सदस्य द्वारा उधार ली गई पूंजी पर उसके द्वारा संदत्त किया जाना है, संगम या निकाय की आय में उसके अंश की बाबत "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य उसके अंश की संगणना करने में, उसके अंश में से घटा दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "संदत्त" का वही अर्थ है जो धारा 43 के खंड (2) में है ।]

68. रोकड़ जमा—जहां कोई राशि किसी पूर्व वर्ष के लिए रखी गई निर्धारिती की पुस्तकों में जमा की गई पाई जाती है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण [@][निर्धारण अधिकारी] की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां इस प्रकार जमा की गई राशि निर्धारिती की उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जा सकेगी :]

[4][परन्तु जहां निर्धारिती कोई कंपनी है (जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है) और इस प्रकार जमा की गई राशि में शेयर आवेदन धन, शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम या कोई ऐसी रकम, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, वहां ऐसी निर्धारिती कंपनी द्वारा दिया गया कोई स्पष्टीकरण तब तक समाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक, —

(क) वह व्यक्ति भी, जो ऐसा निवासी है जिसके नाम में ऐसी जमाराशि ऐसी कंपनी की बहियों में अभिलिखित की जाती है, इस प्रकार जमा कराई गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे देता है; और

(ख) ऐसा स्पष्टीकरण पूर्वोक्त निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं पाया गया है :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, यदि वह व्यक्ति, जिसके नाम में उसमें निर्दिष्ट राशि अभिलिखित की जाती है, धारा 10 के खंड (23चख) में यथानिर्दिष्ट कोई जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी है ।]

---

[1] 1967 के अधिनिसम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 36 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।

[3] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 12 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।

69. अस्पष्टीकृत विनिधान—जहां निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तिय वर्ष में निर्धारिती ने ऐसे विनिधान किए हैं जो आय के किसी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखी गई लेखा-पुस्तकों में, यदि कोई हों, अभिलिखित नहीं है और निर्धारिती उन विनिधानों की प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा किया गया स्पष्टीकरण @[निर्धारण अधिकारी] की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां उन विनिधानों के मूल्य के बारे में यह समझा जा सकेगा कि वह निर्धारिती की ऐसे वित्तीय वर्ष की आय है ।

[1][**69क. अस्पष्टीकृत विनिधान आदि**—जहां किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती के बारे में यह पता लगता है कि वह किसी धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज का स्वामी है और ऐसा धन, सेना-चांदी, आभूषण या मूल्यवान चीज आय के किसी स्रोत के लिए उसके द्वारा रखी गई लेखा-पुस्तकों में, यदि कोई हों, अभिलिखित नहीं है, और निर्धारिती उस धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज के अर्जन करने की प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण @[निर्धारण अधिकारी] की राय में समाधानप्रद नहीं है वहां उस धन के और उस सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज के मूल्य के बारे में यह समझा जा सकेगा कि वह निर्धारिती की ऐसे वित्तीय वर्ष की आय है ।]

[2][**69ख. विनिधानों आदि की रकम जो लेखा-पुस्तकों में पूरी तरह से प्रकट न की गई हो**—जहां किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती ने विनिधान किए हैं या उसके बारे में यह पता लगता है कि वह किसी सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज का स्वामी है और @[निर्धारण अधिकारी] को यह पता चलता है कि वह रकम जो ऐसे विनिधान करने में या ऐसे सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज के अर्जन करने में व्यय की गई है, उस रकम से अधिक है जो आय के किसी स्रोत के लिए निर्धारिती द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में इस निमित्त अभिलिखित की गई है और निर्धारिती ऐसी अधिक रकम के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण @[निर्धारण अधिकारी] की राय में समाधानप्रद नहीं है वहां उस अधिक रकम के बारे में यह समझा जा सकेगा कि वह निर्धारिती की ऐसे वित्तीय वर्ष की आय है ।]

[3][**69ग. अस्पष्टीकृत व्यय आदि**—जहां किसी वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारिती ने कोई व्यय उपगत किया है और वह ऐसे व्यय या उसके भाग के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यदि कोई हो, @[निर्धारण अधिकारी] की राय में समाधानप्रद नहीं है वहां, यथास्थिति, ऐसे व्यय या उसके भाग के अन्तर्गत आने वाली रकम उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी :

[4][परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अस्पष्टीकृत व्यय को, जो निर्धारिती की आय समझी गई है, आय के किसी शीर्ष के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।]

[5][**69घ. हुंडी पर उधार ली गई या लौटाई गई रकम**— जहां बैंक पर लिखे गए पाने वाले के खाते में ही जमा हो सकने वाले चैक के माध्यम से भिन्न किसी रीति से किसी व्यक्ति से हुंडी पर कोई रकम उधार ली जाती है या हुंडी पर शोध्य रकम किसी व्यक्ति को लौटाई जाती है वहां इस प्रकार उधार ली गई या लौटाई गई पूर्वोक्त रकम उस पूर्व वर्ष की जिसमें, यथास्थिति, ऐसी रकम उधार ली गई थी या लौटाई गई थी उधार लेने वाले या लौटाने वाले व्यक्ति की आय समझी जाएगी :

परन्तु यदि किसी मामले में हुंडी पर उधार ली गई रकम इस धारा के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की आय समझी गई है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी रकम के लौटाने पर इस धारा के उपबंधों के अधीन ऐसी रकम की बाबत पुन: निर्धारण किए जाने का दायी नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए लौटाई गई रकम के अंतर्गत उधार ली गई रकम पर संदत्त ब्याज की रकम भी है ।]

मुजरा किया जाना या अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना

[6][**70. आय के एक ही शीर्ष के अधीन एक स्रोत से होने वाली हानि का दूसरे स्रोत से होने वाली आय के प्रति मुजरा किया जाना**—(1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाले किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है, वहां निर्धारिती, इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति करा ले ।

(2) जहां किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति की बाबत धारा 48 से धारा 55 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए की गई संगणना का परिणाम कोई हानि है वहां निर्धारिती, इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा ऐसी आय, यदि कोई हो, के प्रति करा ले, जो किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत निर्धारण वर्ष के लिए की गई उसी प्रकार की संगणना के अधीन आती है ।

(3) जहां (किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति से भिन्न) किसी पूंजी आस्ति की बाबत धारा 48 से धारा 55 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए की गई संगणना का परिणाम कोई हानि है वहां निर्धारिती, इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 16 द्वारा (1-4-1964 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 19 द्वारा (1-4-1965 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 14 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।

[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 25 द्वारा (1-4-1999 से) अन्त:स्थापित ।

[5] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 14 द्वारा (1-4-1977 से) अन्त:स्थापित ।

[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 27 द्वारा (1-4-2003 से) प्रतिस्थापित ।

का मुजरा ऐसी आय, यदि कोई हो, के प्रति करा ले, जो किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत, जो कोई अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, निर्धारण वर्ष के लिए की गई उसी प्रकार की संगणना के अधीन आती है ।]

[1][71. **एक शीर्ष से होने वाली हानि का अन्य शीर्ष से होने वाली आय के प्रति मुजरा किया जाना**—(1) जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत, किसी ऐसी संगणना का, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन की गई है, अंतिम परिणाम हानि है और "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की कोई आय नहीं है वहां वह, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा अपनी उस आय के प्रति, यदि कोई हो, करा ले जो किसी अन्य शीर्ष के अधीन उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है ।

(2) जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत, किसी ऐसी संगणना का, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन की गई है, अंतिम परिणाम हानि है और निर्धारिती की ऐसी आय है जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारणीय है वहां, ऐसी हानि का मुजरा, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी, उस आय के प्रति, यदि कोई हो, किया जा सकेगा जो आय के किसी शीर्ष के अधीन जिसके अंतर्गत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष है (चाहे वह अल्पकालिक पूंजी आस्ति से या किसी अन्य पूंजी आस्ति से संबंधित हो), उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है ।

[2][(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है और निर्धारिती की "वेतन" शीर्ष के अधीन निर्धारणीय आय है, वहां निर्धारिती इसका हकदार नहीं होगा कि वह ऐसी हानि का ऐसी आय के प्रति मुजरा करा ले ।]

(3) जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत, किसी ऐसी संगणना का, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन की गई है, अंतिम परिणाम हानि है और निर्धारिती की कोई ऐसी आय है, जो आय के किसी अन्य शीर्ष के अधीन निर्धारणीय है वहां निर्धारिती ऐसी हानि का मुजरा, अन्य शीर्ष के अधीन आय के प्रति कराने का हकदार नहीं होगा ।

[3][(3क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए हुए भी, जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम हानि है और निर्धारिती की आय किसी अन्य शीर्ष के अधीन निर्धारणीय आय है, वहां निर्धारिती ऐसी हानि का उस सीमा तक मुजरा करने का हकदार नहीं होगा, जहां तक हानि की रकम अन्य शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध दो लाख रुपए से अधिक हो जाती है ।]

[4][[5][(4) जहां 1 अप्रैल, 1995 और 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों की बाबत, "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन ऐसी संगणना का अंतिम परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि पहले उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मुजरा की जाएगी और उसके पश्चात् धारा 71क में निर्दिष्ट हानि, सुसंगत निर्धारण वर्ष में उस धारा के उपबंधों के अनुसार मुजरा की जाएगी ।]]

[6][**71क. "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानियों का अग्रनीत किया जाना**—[7][जहां 1 अप्रैल, 1993 या 1 अप्रैल, 1994 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की बाबत, "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि, जहां तक वह धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (vi) में निर्दिष्ट उधार ली गई पूंजी पर ब्याज से संबंधित है और उस मात्रा तक जिस तक वह मुजरा नहीं की गई है, अग्रनीत की जाएगी और किसी भी शीर्ष के अधीन आय के प्रति, 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में तथा अतिशेष का, यदि कोई हो, 1 अप्रैल, 1996 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में मजुरा की जाएगी।]

[8][**71ख. गृह संपत्ति से हानि को अग्रनीत करना और मुजरा करना**—जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए, "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन-संगणना का शुद्ध परिणाम निर्धारिती के लिए हानि है और ऐसी हानि का मुजरा धारा 71 के उपबंधों के अनुसार आय के किसी अन्य शीर्ष से आय मद्धे नहीं किया जा सकता है या पूर्णत: नहीं किया गया है वहां उस हानि का उतना भाग जितने का मुजरा इस प्रकार नहीं किया गया है या जहां किसी अन्य शीर्ष के अधीन उसकी कोई आय नहीं है वहां संपूर्ण हानि इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अगले निर्धारण वर्ष में अग्रनीत की जाएगी, और—

(i) उसका मुजरा उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय किसी गृह संपत्ति से आय मद्धे किया जाएगा; और

(ii) ऐसी हानि, यदि कोई है, जिसका पूर्णत: मुजरा नहीं किया गया है, इस प्रकार मुजरा न की गई हानि की रकम,

अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी, जो उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए हानि की संगणना पहले की गई थी, ठीक बाद के आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए नहीं की जाएगी ।]

72. कारबार की हानियों का अग्रनीत किया जाना और मुजरा किया जाना—[9][(1) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम निर्धारिती के लिए हानि है जो सट्टे के कारबार में उठाई गई हानि नहीं है और ऐसी हानि का मुजरा धारा 71 के उपबंधों के अनुसार आय के शीर्ष के अधीन होने वाली आय के प्रति नहीं किया जा सकता है या पूर्णत: नहीं किया गया है वहां उस हानि का उतना भाग जितने का मुजरा इस प्रकार नहीं किया गया है, या [10]*** जहां किसी अन्य शीर्ष के

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 19 द्वारा (1-4-2005 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 37 द्वरा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 21 द्वारा (1-4-1995 से) उपधारा (4) प्रतिस्थापित ।
[6] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 38 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 22 द्वारा (1-4-1995 से) धारा 71क प्रतिस्थापित ।
[8] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1962 के अधिनियम सं० 20 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 37 द्वारा लोप किया गया ।

अधीन उसकी कोई आय नहीं है वहां संपूर्ण हानि इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अगले निर्धारण वर्ष में अग्रनीत की जाएगी, और—

(i) उसका मुजरा उसके द्वारा चलाए गए उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय किसी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभों के प्रति, यदि कोई हो, किया जाएगा;

[1]* * * * * *

(ii) यदि उस हानि का मुजरा सम्पूर्णत: इस प्रकार नहीं किया जा सकता है तो हानि की ऐसी रकम जिसका मुजरा उस प्रकार नहीं किया जा सका अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और इस प्रकार आगे भी किया जाता रहेगा :]

[2][परन्तु जहां ऐसी हानि सम्पूर्णत: या भागत: धारा 33ख में यथा निर्दिष्ट किसी ऐसे कारबार में हुई हो जो उन परिस्थितियों में बंद किया गया था जिन्हें उस धारा में विनिर्दिष्ट किया गया है और तत्पश्चात् उस धारा में निर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय निर्धारिती द्वारा ऐसा कारबार पुन: स्थापित किया गया हो, पुन: सन्निर्मित किया गया हो या पुन: चलाया गया हो, वहां ऐसी हानि का उतना भाग जितना ऐसे कारबार से हुआ माना जा सकता है ऐसे निर्धारण वर्ष को अग्रनीत किया जाएगा जो उस पूर्ववर्ष के सुसंगत है जिसमें वह कारबार इस प्रकार पुन: स्थापित किया गया है, पुन: सन्निर्मित किया गया है, पुन: चलाया गया है और—

(क) उसका मुजरा उसके द्वारा चलाए गए और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय उस कारबार या किसी अन्य कारबार के लाभों और लाभों के प्रति, यदि कोई हों, किया जाएगा, और

(ख) यदि हानि का मुजरा संपूर्णत: इस प्रकार नहीं किया जा सकता है तो हानि की ऐसी रकम, जिसका मुजरा उस प्रकार नहीं किया जा सके, उस दशा में जिसमें इस प्रकार पुन: स्थापित पुन सन्निर्मित या पुन: चलाया गया कारबार निर्धारिती द्वारा चलाया जाता रहता है, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और इसी प्रकार के उसके ठीक बाद के सात निर्धारण वर्षों तक की जाती रहेगी ।]

(2) जहां किसी मोक या उसके भाग को धारा 32 की उपधारा (2) या धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन अग्रनीत किया जाना है वहां इस धारा के उपबंधों को पहले प्रभावी किया जाएगा ।

(3) कोई ऐसी हानि [3][जो इस धारा की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट हानि से भिन्न है] उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए हानि की संगणना पहले की गई थी ठीक बाद के आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए इस धारा के अधीन अग्रनीत नहीं की जाएगी ।

[3][**72क. समामेलन या निर्विलयन, आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने के संबंध में उपबंध**—[4][(1) जहां—

(क) किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या किसी होटल की स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से; या

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से; या

(ग) वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों का उसी प्रकार के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से,

समामेलन हुआ है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, समामेलक कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन किया गया था, समामेलित कंपनी के आमेलित न किए गए अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक माने जाएंगे और अवक्षयण के लिए हानि या मोक के मुजरा और अग्रनयन से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।]

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, संचयित हानि, मुजरा या अग्रनीत नहीं की जाएगी और शेष अवक्षयण समामेलित कंपनी के निर्धारण में तभी अनुज्ञात किया जाएगा जबकि,—

(क) समामेलक कंपनी,—

(i) तीन या अधिक वर्षों के लिए ऐसे कारबार में लगी रही है जिसमें संचयित हानि हुई थी या अवक्षयण शेष रहा था;

(ii) समामेलन की तारीख को, समामेलन की तारीख के पूर्व दो वर्ष तक इसके द्वारा धारित स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित किया हो;

(ख) समामेलित कंपनी,—

(i) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष के लिए समामेलन की स्कीम में अर्जित समामेलक कंपनी की स्थिर आस्तियों के कम से कम तीन बटा चार बही मूल्य को लगातार प्रतिधारित करती हो;

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 37 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) समामेलन की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए समामेलक कंपनी का कारबार चालू रखती है;

(iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो समामेलक कंपनी के कारबार के पुनरुज्जीवन को सुनिश्चित करने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए कि समामेलन विशुद्ध कारबार के प्रयोजन के लिए है, विहित की जाएं ।]

(3) किसी ऐसी दशा में, जिसमें उपधारा (2) में अधिकथित शर्तों में से किसी का पालन नहीं किया जाता है, समामेलित कंपनी के पास किसी पूर्ववर्ष में किए गए हानि या अवक्षयण मोक का मुजरा, उस वर्ष के लिए, जिसमें ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, कर से प्रभार्य समामेलित कंपनी की आय समझा जाएगा ।

(4) निर्विलयन की दशा में इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, निर्विलीन कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण के लिए मोक :—

(क) जहां हानि या शेष अवक्षयण ऐसी परिणामी कंपनी को अंतरित उपक्रम से प्रत्यक्षत: संबंधित है वहां परिणामी कंपनी को अग्रनीत और मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ख) जहां ऐसी हानि या शेष अवक्षयण परिणामी कंपनी को अंतरित उपक्रमों से प्रत्यक्षत: संबंधित नहीं है, वहां निर्विलीन कंपनी और परिणामी कंपनी के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा, जिसमें उपक्रम की आस्तियां निर्विलीन कंपनी द्वारा प्रतिधारित की गई हैं और परिणामी कंपनी को अंतरित की गई हैं, यथास्थिति, निर्विलीन कंपनी या परिणामी कंपनी के पास अग्रनीत या मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।

(5) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्विलयन विशुद्ध कारबार के प्रयोजनों के लिए है, आवश्यक समझे ।

(6) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ है जिसके कारण धारा 47 के खंड (xiii) में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली कोई कंपनी किसी फर्म की उत्तरवर्ती होती है या धारा 47 के खंड (xiv) में अधिकथित शर्तों को पूरा करने वाली कोई कंपनी किसी स्वत्वधारी समुत्थान की उत्तरवर्ती होती है वहां इस अधिनियम के किन्हीं में किसी बात के होते हुए, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें कारबार का पुनर्गठन किया गया था, उत्तरवर्ती कंपनी के अवक्षयण के लिए हानि या मोक समझा जाएगा और अवक्षयण के लिए हानि और मोक का मुजरा करने और उसे अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे :

परंतु यदि धारा 47 के खंड (xiii) के परंतुक में या खंड (xiv) के परंतुक में अधिकथित किन्हीं शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरवर्ती कंपनी के पास किसी पूर्ववर्ष में किए गए अवक्षयण की हानि या मोक के मुजरा को उस वर्ष में, जिसमें ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया है, कर से प्रभार्य कंपनी की आय समझा जाएगा ।

[1][(6क) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ है, जिसके कारण कोई प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की धारा 47 के खंड (xiiiख) के परतुंक में अधिकथित शर्तो को पूरा करने वाली सीमित दायित्व भागीदारी उत्तरवर्ती होती है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्ववर्ती कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण को उस पूर्ववर्ती वर्ष के प्रयोजन के लिए, जिसमें कारबार का पुनर्गठन किया गया था, उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी के अवक्षयण के लिए हानि या मोक समझा जाएगा और अवक्षयण के लिए हानि या मोक का मुजरा करने और उसे अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु यदि धारा 47 के खंड (xiiiख) के परंतुक में अधिकथित शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरवर्ती सीमित दायित्व भागीदारी की किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए अवक्षयण की हानि या मोक के मुजरा को उस वर्ष में, जिसमें ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है, कर से प्रभार्य सीमित दायित्व भागीदारी की आय समझा जाएगा ।]

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[2][(क) "संचित हानि" से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" (जो सट्टे के कारबार से हुई हानि नहीं है) शीर्ष के अधीन उतनी हानि अभिप्रेत है जो ऐसी पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत करने और मुजरा करने की हकदार होती, यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता;]

[3][(कक) "औद्योगिक उपक्रम" से कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो,—

(i) माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में; या

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2001 के अधिनियम स० 14 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण में; या

(iii) विद्युत या शक्ति के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण के कारबार में; या

[1][(iiiक) दूर-संचार सेवाओं को उपलब्ध कराने का कारबार, चाहे वे आधारिक हों या सैलुलर, जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंक नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं हैं; या]

(iv) खनन में; या

(v) पोत, वायुयान या रेल प्रणाली के सन्निर्माण में,

लगा हुआ है;]

[2][(ख) "शेष अवक्षयण" से, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या प्राइवेट कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन से पूर्व असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी का उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो अनुज्ञात रहता है और जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, पूर्ववर्ती फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान या कंपनी या समामेलक कंपनी या निर्विलयन कंपनी को अनुज्ञात हुआ होता यदि कारबार का पुनर्गठन या संपरिवर्तन या समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता ;]

[3][(ग) "विनिर्दिष्ट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ।]

[4][**72कक. कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनी के समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत किए जाने और मुजरा के संबंध में उपबंध**—धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंककारी कंपनी का बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ कोई समामेलन हो गया है, वहां ऐसी बैंककारी कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम प्रवर्तित की गई थी, ऐसी बैंककारी संस्था की, यथास्थिति, हानि या अवक्षयण मोक समझे जाएंगे तथा हानि और अवक्षयण मोक के मुजरा और अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "संचयित हानि" से "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन समामेलक बैंककारी कंपनी की उतनी हानि (जो किसी सट्टे के कारबार में लगातार हुई हानि नहीं है) अभिप्रेत है, जिसके लिए ऐसी समामेलक बैंककारी कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत और मुजरा करने के लिए हकदार होती, यदि समामेलन नहीं हुआ होता;

(ii) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है;

(iii) "बैंककारी संस्था" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (15) में उसका है;

(iv) "शेष अवक्षयण" से समामेलक बैंककारी कंपनी का उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो ऐसी बैंककारी कंपनी को अनुज्ञात किए जाने के लिए शेष रहती है और जिसे अनुज्ञात किया गया होता, यदि समामेलन न हुआ होता ।]

[5][**72 कख. सहकारी बैंकों के कारबार पुनर्गठन में संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण मोक के अग्रनयन और मुजरा से संबंधित उपबंध**—(1) निर्धारिती को, जो उत्तराधिकारी सहकारी बैंक है, उस दशा में जहां समामेलन पूर्व वर्ष के दौरान हुआ है, पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक की संचयित हानि और अनुपयोजित अवक्षयण का, यदि कोई हो, मुजरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, मानो समामेलन हुआ ही नहीं हो और अवक्षयण की हानि और मोक के मुजरा और अग्रनयन से संबंधित इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) इस धारा के उपबंध तभी लागू होंगे जब—

(क) पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक—

(i) तीन या अधिक वर्षों तक बैंककारी कारबार में लगा रहा है; और

(ii) कारबार पुनर्गठन की तारीख को नियत आस्तियों के बहिमूल्य का कम से कम तीन चौथाई, कारबार पुनर्गठन की तारीख से दो वर्ष पूर्व तक लगातार धारित करता रहा है;

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 द्वारा (1-4-2005 से) अंत:स्थापित ।

[5] 2007 के अधिनियम सं 22 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ख) उत्तराधिकारी सहकारी बैंक—

(i) कारबार पुनर्गठन के माध्यम से अर्जित पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक की नियत आस्तियों के बहिमूल्य का कम से कम तीन चौथाई कारबार, पुनर्गठन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों की न्यूनतम अवधि तक लगातार धारित करता रहा है;

(ii) पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक के कारबार को कारबार पुनर्गठन की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि तक जारी रखे हुए हैं; और

(iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक के कारबार के पुनरुज्जीवन को सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विहित की जाए कि कारबार पुनर्गठन वास्तविक कारबार प्रयोजन के लिए है ।

(3) निर्धारिती को, जो पारिणामिक सहकारी बैंक है, अनुज्ञेय संचयित हानि और अनुपयोजित अवक्षयण के मुजरे की रकम,—

(i) निर्विलयित सहकारी बैंक की संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण होगी, यदि ऐसी हानि या अनुपयोजित अवक्षयण की संपूर्ण रकम पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरित उपक्रमों से सीधे संबंधित है; या

(ii) वह रकम होगी, जो निर्विलयित सहकारी बैंक की संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण के उसी अनुपात में होगी जो पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरित उपक्रम की आस्तियों का निर्विलयित सहकारी बैंक की आस्तियों से है, यदि ऐसी संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण पारिणामिक सहकारी बैंक को अंतरित उपक्रम से सीधे संबंधित नहीं है ।

(4) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारबार का पुनर्गठन वास्तविक कारबार प्रयोजनों के लिए है, उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन विहित शर्तों से भिन्न ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(5) पूर्व वर्ष के प्रारंभ से प्रारंभ होने वाली और कारबार पुनर्गठन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को समाप्त होने वाली अवधि और ऐसे कारबार पुनर्गठन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और पूर्व वर्ष के साथ समाप्त होने वाली अवधि को अवक्षयण की हानि और मोक के मुजरे और अग्रनयन के प्रयोजनों के लिए दो भिन्न-भिन्न पूर्ववर्ष समझा जाएगा ।

(6) ऐसे मामले में, जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट या उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, वहां उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को किसी पूर्व वर्ष में अनुज्ञात संचयित हानि या अनुपयोजित अवक्षयण का मुजरा उस वर्ष के लिए, जिसमें शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, कर से प्रभार्य उत्तराधिकारी सहकारी बैंक की आय मानी जाएगी ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संचयित हानि" से, यथास्थिति, समामेलक सहकारी बैंक या निर्विलयित सहकारी बैंक की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन उतनी हानि अभिप्रेत है (जो सट्टे के कारबार से हुई हानि नहीं है), जिसके लिए ऐसा समामेलक सहकारी बैंक या निर्विलयित सहकारी बैंक धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनयन और मुजरा करने के लिए हकदार होता मानो कारबार पुनर्गठन हुआ ही न हो;

(ख) "अनुपयोजित अवक्षयण" से, यथास्थिति, समामेलक सहकारी बैंक या निर्विलयित सहकारी बैंक के अवक्षयण के लिए उतना मोक अभिप्रेत है, जो ऐसे बैंक को अनुज्ञात किए जाने के लिए शेष है और जो अनुज्ञात किया गया होता मानो कारबार पुनर्गठन हुआ ही न हो;

(ग) "समामेलित सहकारी बैंक", "समामेलक सहकारी बैंक", "समामेलन", "कारबार पुनर्गठन", "सहकारी बैंक", "निर्विलयित सहकारी बैंक", "निर्विलयन" "पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक", "उत्तराधिकारी सहकारी बैंक" और "पारिणामिक सहकारी बैंक" पदों का वही अर्थ होगा जो धारा 44घख में उनका है ।]

73. सट्टे के कारबार में हानियां—(1) किसी ऐसी हानि का जो निर्धारिती द्वारा चलाए गए सट्टे के कारबार की बाबत संगणित की गई हो, मुजरा, किसी अन्य सट्टे के कारबार के लाभों और अभिलाभों के प्रति, यदि कोई हो, किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी हानि का जो सट्टे के कारबार की बाबत संगणित की गई हो, मुजरा उपधारा (1) के अधीन संपूर्णत: नहीं किया गया है, वहां उतनी हानि जितनी का मुजरा इस प्रकार नहीं किया गया है या जहां किसी अन्य सट्टे के कारबार से निर्धारिती की कोई आय नहीं हुई थी, वहां सम्पूर्ण हानि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और—

(i) उसका मुजरा निर्धारिती द्वारा चलाए गए किसी सट्टे के कारबार के ऐसे लाभों और अभिलाभों के, यदि कोई हों, प्रति किया जाएगा जो उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय हों, और

(ii) यदि हानि का मजुरा संपूर्णत: इस प्रकार नहीं किया जा सकता है तो हानि की ऐसी रकम जिसका मुजरा इस प्रकार नहीं किया जा सका, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और इसी प्रकार आगे भी की जाती रहेगी ।

(3) अवक्षयण लेखे किसी मोक या वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय की बाबत, धारा 72 की उपधारा (2) के उपबंध सट्टे के कारबार के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य कारबार के संबंध में लागू होते है ।

(4) कोई भी हानि उस निर्धारण वर्ष के जिसके लिए उस हानि की संगणना पहले की गई थी, ठीक बाद के [1][चार निर्धारण वर्षों] से अधिक के लिए इस धारा के अधीन अग्रनीत नहीं की जाएगी ।

[2][**स्पष्टीकरण**—जहां [3][उस कंपनी से भिन्न जिसकी सकल कुल आय में मुख्यत: ऐसी आय सम्मिलित है जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज", "गृह संपत्ति से आय", "पूंजी अभिलाभ" और "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षों के अधीन प्रभार्य हैं] या ऐसी कंपनी है [4][जिसका मुख्य कारबार शेयरों में व्यापार करना या बैंककारी है] या उधार और अग्रिम देना है किसी कंपनी के कारबार का कोई भाग अन्य कम्पनियों के शेयरों का क्रय और विक्रय है वहां ऐसी कंपनी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस परिमाण तक सट्टे का कारबार करने वाली समझी जाएगी जिस तक उसका कारबार ऐसे शेयरों के क्रय और विक्रय का है ।]

[5][**73क. विर्निष्ट कारबार द्वारा हानियों का अग्रनयन और मुजरा**—(1) धारा 35कघ में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत संगणित किसी हानि का किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में लाभों और अभिलाभों, यदि कोई हों, के सिवाय मुजरा नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कारबार की बाबत संगणित किसी हानि का उपधारा (1) के अधीन पूर्णतया मुजरा नहीं किया गया है, वहां उतनी हानि को, जिसका इस प्रकार मुजरा नहीं किया गया है या संपूर्ण हानि को, जहां निर्धारिती की किसी अन्य विनिर्दिष्ट कारबार से कोई आय नहीं है, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, आगामी निर्धारण वर्ष में अग्रनीत किया जाएगा, और—

(i) उसका उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय उसके द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों और अभिलाभों के संबंध में यदि कोई हों, मुजरा किया जाएगा; और

(ii) यदि हानि का इस प्रकार पूर्णतया मुजरा नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार मुजरा न की गई हानि की रकम को आगामी निर्धारण वर्ष के लिए और उसी प्रकार अग्रनीत किया जाएगा ।]

[6][**74. "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानियां**—[7][(1) जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम निर्धारिती को हानि है, वहां संपूर्ण हानि, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी, और—

(क) जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति से है, वहां इसका मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किया जाएगा ;

(ख) जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से है, वहां इसका मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत, जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किया जाएगा;

(ग) यदि हानि का मुजरा पूर्णतया इस प्रकार नहीं किया जा सकता है तो हानि की ऐसी रकम जिसका मुजरा इस प्रकार नहीं किया जा सका है, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और इसी प्रकार आगे भी किया जाता रहेगा ।]

(2) कोई भी हानि उस निर्धारण वर्ष के, जिसके लिए उस हानि की संगणना पहली बार की गई थी, ठीक बाद के आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए इस धारा के अधीन अग्रनीत नहीं की जाएगी ।

[8]* * * * * * * *

[9][**74क. "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आने वाले कतिपय विनिर्दिष्ट स्रोतों से हानियां**— [10]* * * *

[11]* * * * * * * *

[12][(3) [13]*** किसी निर्धारिती की दशा में, जो घुड़दौड में दौड़ाने के लिए रखे गए घोड़ों का स्वामी है (ऐसे घोड़ों को इस उपधारा में इसके पश्चात् घुड़दौड़ के घोड़े कहा गया है) [14][घुड़दौड़ के घोड़ों को अपने स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य में

[1] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 20 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 15 द्वारा (1-4-1977 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1988 से) स्पष्टीकरण में " उस कंपनी से भिन्न जो धारा 109 के खंड (ii) में यथापरिभाषित विनिधान कंपनी हैं" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 31 द्वारा (1-4-1988 से) धारा 74 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 29 द्वारा लोप किया गया ।
[9] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 11 द्वारा (1-4-1972 से) अन्त:स्थापित ।
[10] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 16 द्वारा (1-4-1987 से) उपधारा (1) का लोप किया गया ।
[11] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 16 द्वारा (1-4-1987 से) उपधारा (2) का लोप किया गया ।
[12] 1974 के अधिनिसम सं० 20 की धारा 6 द्वारा (1-4-1975 से) अंत:स्थापित ।
[13] 1986 के अधिनिसम सं० 23 की धारा 16 द्वारा (1-4-1987 से) उपधारा (3) के प्रारंभिक भाग में " जिस किसी निर्धारण वर्ष के लिए" शब्दों का लोप किया गया ।
[14] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 16 द्वारा (1-4-1987 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष में उपगत हानि की रकम उस वर्ष में ऐसे घोड़ों को स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य से भिन्न किसी स्रोत से आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा नहीं की जाएगी, और] इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी, और—

(क) [1][उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय घुड़दौड़ के घोड़ों को स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य से] आय से, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु यह तब जब कि घुड़दौड़ के घोड़ों को स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव का कार्य उसके द्वारा उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में भी किया जाता है, और

(ख) यदि हानि का मुजरा संपूर्णत: इस प्रकार नहीं किया जा सकता है तो हानि की ऐसी रकम जिसका मुजरा उस प्रकार नहीं किया जा सका, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और उसी प्रकार आगे की जाती रहेगी, किन्तु इस प्रकार कि उस पूर्ववर्ष से जिसके लिए पहली बार हानि संगणित की गई थी सुसंगत निर्धारण वर्ष के ठीक बाद के चार निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए हानि का कोई भाग अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "घुड़दौड़ के स्वामित्व में रखने और रखरखाव के कार्य में निर्धारिती द्वारा उपगत हानि की रकम" से अभिप्रेत है—

(i) उस दशा में जहां निर्धारिती की दांव के धन के रूप में कोई आय नहीं है, घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव के प्रयोजन के लिए पूर्णत: और अनन्यत: निर्धारिती द्वारा उपगत या किए गए व्यय की (जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति का नहीं है) रकम;

(ii) उस दशा में जहां निर्धारिती की दाव के धन के रूप में आय है, वह रकम जिससे ऐसी आय घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव के प्रयोजनों के लिए पूर्णत: और अनन्यत: निर्धारिती द्वारा उपगत या किए गए व्यय की रकम से (जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति का नहीं है) कम है;

(ख) "घुड़दौड़" से ऐसी घुड़दौड़ अभिप्रेत है जिस पर सट्टा या दांव विधिपूर्ण ढंग से लगाया जा सकता है ;

(ग) "दांव के धन के रूप में आय" से इनाम की कुल रकम अभिप्रेत है जो किसी घोड़े या घोड़ों पर उनके स्वामी को घुड़दौड़ में उस घोड़े या घोड़ों के या उनमें से एक या अधिक घोड़ों के जीतने या दूसरे या किसी अन्य स्थान पर आने के कारण प्राप्त होती है ।]

[2][**75. फर्म की हानियां**—जहां निर्धारिती कोई फर्म है वहां 1 अप्रैल, 1992 को या उसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई ऐसी हानि, जिसका मुजरा फर्म की किसी अन्य आय के प्रति नहीं किया जा सकता है और जो फर्म के किसी भागीदार को प्रभाजित की गई है किन्तु 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पूर्व ऐसे भागीदार द्वारा मुजरा नहीं की जा सकती है, फर्म की आय के प्रति इस शर्त के अधीन रखते हुए कि भागीदार उक्त फर्म में बना रहता है, मुजरा किए जाने के लिए धारा 70, धारा 71, धारा 72, धारा 73, धारा 74 और धारा 74क के अधीन मुजरा करने के लिए अग्रनीत किए जाने के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।]

78. फर्म के गठन के तब्दीली की दशा में या उत्तराधिकार पर हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना—[3][(1) जहां किसी फर्म के गठन से कोई तब्दीली हुई है वहां इस अध्याय की कोई बात फर्म को इसके लिए हकदार नहीं बनाएगी कि वह किसी निवृत्त या मृत भागीदार के अंश को समानुपाती उतनी हानि को अग्रनीत कराए और उसका मुजरा कराए जितनी कि फर्म में पूर्ववर्ष की बाबत लाभों के यदि कोई हो, उसके अंश से अधिक है ।]

(2) जहां किसी कारबार या वृत्ति को चलाने वाले किसी व्यक्ति का उसी हैसियत में उत्तराधिकार किसी अन्य व्यक्ति ने विरासत से प्राप्त करने से अन्यथा प्राप्त किया है वहां इस अध्याय की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसीव्यक्ति को इसके लिए हकदार नहीं बनाएगा कि वह उस हानि को अग्रनीत कराए और अपनी आय के प्रति मुजरा कराए ।

[4][**79. कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना**—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है और जो खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कंपनी से भिन्न है, पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे;

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 16 द्वारा (1-4-1987 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 39 द्वारा (1-4-1993 से) धारा 75, धारा 76 और धारा 77 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 18की धारा 40 द्वारा (1-4-1993 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 32 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।

(ख) किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है किंतु जो इस अधिनियम की धारा 80झकग में यथानिर्दिष्ट पात्र स्टार्ट अप है, पूर्ववर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को अग्रनीत किया जाएगा और पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारकों ने, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें ऐसी हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन को मतदान शक्ति वाले शेयरों को धारण कर रहे थे—

(i) ऐसे पूर्ववर्ष के अंतिम दिन उन शेयरों को धारण करना जारी रखा था; और

(ii) ऐसी हानि उन सात वर्षों की अवधि के दौरान उपगत हुई है, जो उस वर्ष से आरंभ हुई थी, जिसमें ऐसी कंपनी को निगमित किया गया है :

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां उक्त मत देने की शक्ति और शेयरधृति में पूर्ववर्ष में कोई परिवर्तन, किसी शेयरधारक की मृत्यु या ऐसा दान करने वाले शेयरधारक द्वारा शेयरधारक के नातेदार को किसी दान के माध्यम से शेयरों के अंतरण के फलस्वरूप होता है :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भारतीय कंपनी के, जो विदेशी कंपनी के समामेलन या निर्विलयन के परिणामस्वरूप किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि समामेलित या निर्विलीन विदेशी कंपनी के इक्यावन प्रतिशत शेयरधारक, समामेलित या परिणामी विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहते हैं, शेयरधृति में किसी परिवर्तन को लागू नहीं होगी ।]

[1]* * * * * * *

80. हानियों के लिए विवरणी का प्रस्तुत किया जाना—इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी ऐसी हानि को, जो [2][धारा 139 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार] [@][निर्धारण अधिकारी] द्वारा अनुज्ञात किया जाए] फाइल की गई विवरणी के अनुसरण में अवधारित नहीं की गई है, धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) [3][या धारा 73क की उपधारा (2)] या [4][धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3)] [5][या धारा 74क की उपधारा (3)] के अधीन अग्रनीत किया जाएगा और उसका मुजरा नहीं किया जाएगा ।

[6][अध्याय 6क

कुल आय संगणित करने में की जाने वाली कटौतियां

क—साधारण

80क. कुल आय संगणित करने में की जाने वाली कटौतियां—(1) किसी निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में, उसकी सकल कुल आय में से वे कटौतियां जो धारा 80ग से [7][80प] तक में विनिर्दिष्ट है, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार और अधीन अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) इस अध्याय के अधीन कटौतियों की संकलित रकम निर्धारिती की सकल कुल आय से किसी भी दशा में, अधिक न होगी ।

[8][(3) जहां किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की कुल आय की संगणना करने में, धारा 80छ या [9][धारा 80छछक या धारा 80छछग] या धारा 80जज या धारा 80जजक या धारा 80जजख या धारा 80जजग या धारा 80जजघ या धारा 80झ या धारा 80झक [10][या धारा 80झख] [11][या धारा 80झग या धारा 80झघ या धारा 80 झङ] या धारा 80ञ या धारा 80ञञ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय है वहां व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय के सदस्य की कुल आय की संगणना करने में उसी धारा के अधीन कोई कटौती, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की आय में ऐसे सदस्य के अंश के संबंध में नहीं की जाएगी ।]

[12]* * * * * * *

[13]* * * * * * *

[14][(4) धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी जहां किसी निर्धारिती की दशा में, किसी उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों की किसी रकम का किसी निर्धारण वर्ष के लिए उन उपबंधों में से किसी के अधीन कटौती के रूप में दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है, वहां ऐसे लाभों और अभिलाभों के संबंध में और उस सीमा तक कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी और किसी भी दशा में, यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों से अधिक नहीं होगी ।

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 21 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किय गया ।
[2] 1988 के प्रत्यक्षकर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1986 से) प्रतिस्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 96 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1988 से) " धारा 74 की उपधारा (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा (1-4-1975 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 36 द्वारा (1-4-1986 से) "80 फफ" शब्द और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।
[8] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 41 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 90 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 2003 के अधिनियम सं० 46 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[11] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 22 अंत:स्थापित ।
[12] 1976 के अधिनियम सं० 19 की धारा 15 द्वारा लोप किया गया ।
[13] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया ।
[14] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।

(5) जहां निर्धारिती धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी कटौती के लिए आय की अपनी विवरणी में दावा करने में असफल रहता है, वहां उसे उसके अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[1][(6) धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक या "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी जहां किसी उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवाएं निर्धारिती द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार को अंतरित की जाती हैं या जहां निर्धारिती द्वारा किए गए किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल या सेवाएं उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार को अंतरित की जाती हैं और उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लेखाओं में यथा अभिलिखित ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के तत्समान नहीं होता है, वहां इस अध्याय के अधीन किसी कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभों की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो किसी भी दशा में अंतरण उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बाजार मूल्य" पद से,—

(i) विक्रीत या प्रदाय किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं को तब मिलती यदि उन्हें ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, संवैधानिक या विनियामक निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, खुले बाजार में विक्रय किया जाता;

(ii) अर्जित किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल या सेवाओं की तब लागत होती जब उन्हें ऐसे उपक्रम या यूनिट या उद्यम या पात्र कारबार द्वारा, संवैधानिक या विनियामक निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, खुले बाजार से अर्जित किया जाता ;]

[2][(iii) विक्रीत, प्रदत्त या अर्जित किए गए किसी माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं की धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत अभिप्रेत है, यदि वह धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है ।]

[3][(7) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्षक के अधीन इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट के संबंध में धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[4][**80कख. सकल कुल आय में सम्मिलित आय के प्रति निर्देश से कटौतियों का किया जाना**—[5]*** इस अध्याय में सम्मिलित किसी धारा के अधीन कोई कटौती "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्ष के अधीन उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय की बाबत जो निर्धारिती की सकल कुल आय में सम्मिलित है, की जानी है या अनुज्ञात की जाती है वहां इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, उस धारा के अधीन कटौती की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उस प्रकृति की आय की रकम ही (इस अध्याय के अधीन कोई कटौती करने से पहले) उस प्रकृति की आय की रकम समझी जाएगी जो निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न या प्राप्त होती है और जो उसकी सकल कुल आय में सम्मिलित है ।]

[6][**80कग. विवरणी दिए जाने तक कटौती का अनुज्ञात न किया जाना**—जहां किसी निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2006 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में, धारा 80झक या धारा 80झकख या धारा 80झख या धारा 80झग [7][या धारा 80झघ या धारा 80झङ] के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय है, वहां उसे ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी नहीं देता है ।]

80ख. परिभाषाएं—इस अध्याय में—

[8]*   *   *   *   *   *   *

[9]*   *   *   *   *   *   *

[10]*   *   *   *   *   *   *

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 17 द्वारा (1-4-1976 से) धारा 80ख में खंड (i) का लोप किया गया ।
[9] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 22 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[10] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1969 से) धारा 80ख में खंड (3) का लोप किया गया ।

[1]* * * * * * *

(5) "सकल कुल आय" से वह कुल आय अभिप्रेत है जो इस अध्याय के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व [2]*** [3]*** इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई है;]

[1]* * * * * * *

[4]* * * * * * *

[1]* * * * * * *

[5]* * * * * * *

ख—कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां

[6][**80ग. जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती**—(1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त सम्पूर्ण रकम की, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि है, जो [7][एक लाख पचास हजार रुपए] से अधिक नहीं होती है, कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां, वे राशियां होंगी, जो किसी पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के लिए संदत्त या निक्षिप्त की गई हैं,—

(i) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन बीमा को प्रभावी या प्रवृत्त रखने के लिए;

(ii) उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए, जो खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई वार्षिकी योजना नहीं है, संविदा को, प्रभावी या प्रवृत्त रखने के लिए :

परंतु यह कि ऐसी संविदा में वार्षिकी के संदाय के बदले में नकद संदाय प्राप्त करने के किसी विकल्प के बीमाकृत द्वारा प्रयोग के लिए कोई उपबंध नहीं है;

(iii) सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यष्टि को संदेय वेतन से ऐसी कटौती के रूप में, जो उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार उसके लिए आस्थगित वार्षिकी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए या उसकी पत्नी या पति या बालकों के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए काटी गई राशि है, जहां तक इस प्रकार काटी गई राशि वेतन के एक बटा पांच भाग से अधिक नहीं होती है;

(iv) किसी व्यष्टि द्वारा किसी भविष्य निधि के लिए, जिसको भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है, अभिदाय के रूप में;

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी भविष्य निधि के लिए किसी अभिदाय के रूप में, जहां ऐसा अभिदाय, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम के खाते में है;

(vi) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अभिदाय के रूप में;

(vii) किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अभिदाय के रूप में;

(viii) केन्द्रीय सरकार की ऐसी प्रतिभूति के लिए या किसी ऐसी निक्षेप स्कीम के लिए, जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, [8][उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में अभिदान के रूप में] ;

(ix) किसी ऐसे बचतपत्र के लिए, जो सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा (2) में परिभाषित है, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में;

(x) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट यूनिट-बद्ध बीमा योजना, 1971 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् यूनिट-बद्ध बीमा योजना कहा गया है) में भागीदारी के लिए उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में अभिदान के रूप में;

(xi) धारा 10 के [9][खंड 23घ में निर्दिष्ट] जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि की किसी ऐसी यूनिट-बद्ध बीमा योजना में, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भागीदारी के लिए उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में किसी अभिदाय के रूप में;

---

[1] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 22 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।

[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 54 द्वारा (1-4-1988 से) "या धारा 280ण" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1970 के अधिनियम सं० 42 की धारा 18 द्वारा (1-4-1968 से) "और धारा 64 के उपबंध लागू किए बिना" शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।

[4] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 15 द्वारा (1-4-1973 से) लोप किया गया ।

[5] 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 41 की धारा 17 द्वारा (1-4-1976 से) उपधारा (9) का लोप किया गया ।

[6] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 21 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।

[7] 2014 के अधिनियम सं० 19 की धारा 27 द्वारा (1-4-2015 से) प्रतिस्थापित ।

[8] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[9] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(xii) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए, जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी संविदा को प्रभावी करने या प्रवृत्त रखने के लिए;

(xiii) धारा 10 के [1][खंड (23घ) में निर्दिष्ट] किसी पारस्परिक निधि की या प्रशासक से या विनिर्दिष्ट कंपनी से, ऐसी स्कीम के अनुसरण में जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बनाई गई किसी योजना के अधीन किन्हीं यूनिटों में अभिदान के रूप में;

(xiv) धारा 10 के [1][खंड (23घ) में निर्दिष्ट] किसी पारस्परिक निधि द्वारा या प्रशासक द्वारा या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, स्थापित किसी पेंशन निधि में किसी व्यष्टि द्वारा अभिदाय के रूप में;

(xv) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक कहा गया है) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में या उसके द्वारा स्थापित किसी ऐसी पेंशन निधि में, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में;

(xvi) निम्नलिखित की किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में अभिदान के रूप में—

(क) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का उपबंध करने में लगी हुई है; या

(ख) आवास वास सुविधा की आवश्यकता से निपटने और उसकी पूर्ति के प्रयोजन के लिए नगरों, कस्बों और ग्रामों या दोनों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित कोई प्राधिकरण,

जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(xvii) (क) भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था में;

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजनों के लिए,

ट्यूशन फीस के रूप में (विकास फीस या संदान या उसी प्रकृति के संदाय मद्दे किसी संदाय को छोड़कर) चाहे प्रवेश के समय या उसके पश्चात्, या

(xviii) किसी आवासिक गृह सम्पत्ति के, जिससे हुई आय, "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है, (या जो यदि निर्धारिती के स्वयं के निवास के लिए उपयोग न की गई होती तो उस शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होती), क्रय या सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसे संदाय निम्नलिखित मद्दे या के रूप में किए जाते हैं—

(क) किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड या अन्य प्राधिकरण की जो स्वामित्वता के आधार पर गृह सम्पत्ति के सन्निर्माण और विक्रय में लगा हुआ है, किसी स्वंय वित्त-पोषित या अन्य स्कीम के अधीन शोध्य रकम की कोई किस्त या उसका भागत: संदाय; या

(ख) किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी को जिसका निर्धारिती उसे आबंटित गृह-संपत्ति की लागत मद्दे कोई शेयरधारक या सदस्य है, शोध्य रकम की किसी किस्त का या उसका भागत: संदाय; या

(ग) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित से उधार ली गई रकम का प्रतिसंदाय—

(1) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार; या

(2) कोई बैंक जिसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक है; या

(3) जीवन बीमा निगम; या

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक; या

(5) आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण का उपबंध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई लोक कंपनी जो धारा 36 की उपधारा (1) खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है; या

(6) कोई कम्पनी जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है या कोई सहकारी सोसाइटी जहां ऐसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी गृहों के सन्निर्माण का वित्तपोषण करने के कारबार में लगी हुई है; या

(7) निर्धारिती का नियोजक, जहां ऐसा नियोजक कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई अन्य निकाय है जो किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया है; या

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

(8) निर्धारिती का नियोजक जहां ऐसा नियोजक कोई पब्लिक कंपनी या कोई पब्लिक सेक्टर कम्पनी या विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय से सहयोजित कोई महाविद्यालय या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई सहकारी सोसाइटी है; या

(घ) निर्धारिती को ऐसी गृह सम्पत्ति के अंतरण के प्रयोजन के लिए स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य व्यय,

किन्तु इसमें निम्नलिखित मद्दे या रूप में कोई संदाय सम्मिलित नहीं है—

(अ) प्रवेश शुल्क, शेयर और आरंभिक निक्षेप की लागत, जिसका किसी कम्पनी के शेयरधारक या किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य को ऐसा शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए संदाय करना है; या

(आ) गृह सम्पत्ति में ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन या नवीकरण या मरम्मत की लागत, जो प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृह सम्पत्ति के संबंध में समापन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् या गृह सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में लेने या किराए पर देने के पश्चात् की जाती है; या

(इ) कोई व्यय, जिसके संबंध में धारा 24 के उपबंधों के अधीन कटौती अनुज्ञेय है;

(xix) किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित साधारण शेयरों या पूंजी के किसी उपयुक्त पुरोधरण के भागरूप डिबेंचरों के लिए अभिदान के रूप में या किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा विहित प्ररूप में किसी पूंजी के किसी उपयुक्त पुरोधरण के लिए अभिदान के रूप में ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पूंजी का उपयुक्त पुरोधरण" से ऐसा पुरोधरण अभिप्रेत है, जो भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कम्पनी या लोक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है और पुरोधरण के सम्पूर्ण आगमों का पूर्णतया या अनन्य रूप से धारा 80झक की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है;

(ii) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में है;

(iii) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है;

(xx) किसी पारस्परिक निधि की जो धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसी पारस्परिक निधि द्वारा विहित रूप में किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, किन्हीं यूनिटों के लिए अभिदान के रूप में :

परन्तु यह कि यह खंड तभी लागू होगा यदि ऐसी यूनिटों के लिए अभिदान की रकम का केवल किसी कम्पनी की पूंजी के उपयुक्त पुरोधरण में अभिदान किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "पूंजी का उपयुक्त पुरोधरण" से उपधारा (2) के खंड (xix) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई पुरोधरण अभिप्रेत है ;

[1][(xxi) सावधि निक्षेप के रूप में—

(क) किसी अनुसूचित बैंक में पांच वर्ष से अन्यून की किसी नियत अवधि के लिए है; और

(ख) जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और राजपत्र में अधिसूचित किसी स्कीम के अनुसार है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्समान नया बैंक या ऐसा कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है ;]

[2][(xxii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे बंधपत्रों में, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में ;]

[3][(xxiii) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन किसी खाते में;

(xxiv) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन किसी खाते में पांच वर्षीय सावधि जमा के रूप में ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध [1][31 मार्च, 2012 को या उससे पूर्व जारी किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न किसी बीमा पालिसी] के लिए दिए गए किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय पर केवल उतने के संबंध में लागू होंगे, जो बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि से बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी सुनिश्चित वास्तविक पूंजी राशि को संगणित करने में निम्नलिखित को हिसाब में नहीं लिया जाएगा,—

(i) वापस करने के लिए करार पाए गए किसी प्रीमियम का मूल्य; या

(ii) बीमाकृत वास्तविक राशि से अधिक बोनस के रूप में या अन्यथा कोई फायदा, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या किया जा सकेगा ।

[2][(3क) उपधारा (2) के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न किसी बीमा पालिसी के लिए दी गई किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय के प्रति केवल उतने के संबंध में लागू होंगे, जो वास्तविक बीमा पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है :

[3][परन्तु जहां 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् जारी की गई पालिसी ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन के बीमा के लिए है, जो,—

(क) धारा 80प में यथानिर्दिष्ट कोई नि:शक्त व्यक्ति या गंभीर रूप से नि:शक्त व्यक्ति है; या

(ख) धारा 80घघख के अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रोग या व्याधि से ग्रस्त है,

वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हैं ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में "वास्तविक बीमा पूंजी राशि" से—

(i) वापस करने के लिए करार पाए गए किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य को; या

(ii) वास्तविक बीमा राशि से अधिक के बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे को, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जाए,

हिसाब में न लेते हुए, पालिसी की अवधि के दौरान, किसी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पालिसी के अधीन न्यूनतम बीमा रकम अभिप्रेत होगी ।]

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) उस उपधारा के खंड (i), खंड (v), खंड (x) और खंड (xi) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति और कोई बालक; और

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में उसका कोई सदस्य;

(ख) उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति और कोई बालक;

[4][(खक) उस उपधारा के खंड (viii) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि की दशा में व्यष्टि या यदि स्कीम में ऐसा विनिर्दिष्ट हो, ऐसे व्यष्टि की कोई बालिका या ऐसी कोई बालिका, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति विधिक संरक्षक है;]

(ग) उस उपधारा के खंड (xvii) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसे व्यष्टि के कोई दो बालक ।

(5) जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई निर्धारिती,—

(i) उपधारा (2) के खंड (i) में निर्दिष्ट अपनी बीमा संविदा को उस आशय की सूचना द्वारा पर्यवसित कर देता है या जहां संविदा किसी प्रीमियम का संदाय करने में असफलता के कारण प्रवर्तन में नहीं रहती है,—

(क) किसी एकल प्रीमियम पालिसी की दशा में, बीमा के प्रारभं होने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष के भीतर; या

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रीमियमों के दो वर्ष तक संदाय करने से पूर्व; या

बीमा संविदा पुनरुज्जीवित न करके;

(ii) उपधारा (2) के खंड (x) या खंड (xi) में निर्दिष्ट किसी यूनिट संबंधी बीमा योजना में, उस आशय की सूचना द्वारा अपनी भागीदारी को पर्यवसित करता है या जहां वह ऐसी भागीदारी के संबंध में अभिदायों को पांच वर्षों तक संदत्त

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

करने से पूर्व अपनी भागीदारी को पुनरुज्जीवित न करके किसी अभिदाय का संदाय करने में असफल रहने के कारण भागीदार नहीं रहता है; या

(iii) उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें उसके द्वारा ऐसी संपत्ति का कब्जा अभिप्राप्त किया जाता है, पांच वर्षों के अवसान से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xviii) में निर्दिष्ट गृह सम्पत्ति का अंतरण करता है, या प्रतिदाय के रूप में या अन्यथा उस खंड में विनिर्दिष्ट कोई राशि वापस प्राप्त करता है,

तब,—

(क) ऐसे पूर्व में, उपधारा (2) के खंड (i), खंड (x), खंड (xi) और खंड (xviii) में निर्दिष्ट संदाय की गई राशियों में से किसी राशि के प्रतिनिर्देश से उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती को कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) पूर्ववर्ष या ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्वगामी वर्षों के संबंध में इस प्रकार अनुज्ञेय आय की कटौतियों की कुल करोंम से ऐसे पूर्ववर्ष की निर्धारिती की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर से दायी होगी ।

(6) यदि, किन्हीं ऐसे साधारण शेयरों या डिबेंचरों का, जिनकी लागत के प्रतिनिर्देश से उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को उनके अर्जन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है तो पूर्ववर्ष या पूर्ववर्ष के पूर्वगामी वर्ष में, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण होता है, ऐसे साधारण शेयरों या डिबेंन्चरों के संबंध में इस प्रकार अनुज्ञात आय की कटौती की कुल रकम निर्धारिती की ऐसे पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर से दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पब्लिक कंपनी के ऐसे शेयरों या डिबेंचरों का उस तारीख को अर्जन कर लिया है, जिसको उसका नाम, यथास्थिति, सदस्यों या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर में उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में प्रविष्ट किया जाता है ।

[1][(6क) यदि कोई रकम, जिसके अंतर्गत उस पर प्रोद्भूत ब्याज भी है, निर्धारिती द्वारा, उसके निक्षेप की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट उसके खाते से निकाली जाती है तो इस प्रकार निकाली गई रकम उस पूर्ववर्ष की, जिसमें रकम निकाली जाती है, निर्धारिती की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर के लिए दायी होगी :

परन्तु कर के लिए दायी रकम में निम्नलिखित रकमें सम्मिलित नहीं होंगी, अर्थात् :—

(i) उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट निक्षेपों के संबंध में ब्याज की कोई रकम, जो ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों की निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है; और

(ii) ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर निर्धारिती के नामनिर्देशिती या विधिक वारिस द्वारा उस पर प्रोद्भूत ब्याज से भिन्न, यदि कोई हो, प्राप्त कोई रकम जो ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं की गई थी ।]

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (vii) में निर्दिष्ट बीमा, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि;

(ख) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xii) से खंड (xiiiक) में निर्दिष्ट यूनिट संबंधी बीमा योजना और वार्षिकी योजना;

(ग) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xiiiग) से खंड (xivक) में निर्दिष्ट पेंशन निधि और निक्षेप स्कीम में अभिदान;

(घ) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी आवासिक गृह के क्रय या सन्निर्माण के लिए उधार ली गई रकम,

इस धारा के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कटौती के लिए पात्र होगी और कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय होगी ।

(8) इस धारा में,—

(i) "प्रशासक" से ऐसा प्रशासक अभिप्रेत है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट है;

(ii) किसी निधि में "अभिदाय" में उधार के प्रतिसंदाय में कोई राशियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(iii) "बीमा" के अंतर्गत निम्नलिखित होगा,—

(क) किसी व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति या बालक या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की जीवन संबंधी बीमा पालिसी जो परिपक्वता की नियत तारीख को विनिर्दिष्ट रकम का संदाय सुनिश्चित करती हो, यदि ऐसा व्यक्ति उस तारीख को जीवित हो तो इस बात के होते हुए भी कि बीमा पालिसी केवल ऐसे व्यक्ति

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

की उक्त नियत तारीख के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में संदाय किए गए प्रीमियमों की (उन पर ब्याज सहित या उसके बिना) वापसी के लिए उपबंध करती है;

(ख) किसी व्यष्टि द्वारा या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा किसी अवयस्क के फायदे के लिए उस अवयस्क को, उसको वयस्कता प्राप्त कर लेने के पश्चात्, उसके अपने जीवन के संबंध में उस पालिसी को अंगीकृत करके और उसके जीवित रहने की दशा में इस निमित्त पालिसी में विनिर्दिष्ट (ऐसे अंगीकृत किए जाने के पश्चात्) बीमा सुनिश्चित करने के लिए बीमा किया गया है;

(iv) "जीवन बीमा निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है;

(v) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में है;

(vi) "प्रतिभूति" से कोई सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित है;

(vii) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट है;

(viii) "अंतरण" के अंतर्गत धारा 269पक के खंड (च) में निर्दिष्ट संव्यवहार भी सम्मिलित समझा जाएगा ।

[1][(xxi) सावधि निक्षेप के रूप में—

(क) किसी अनुससूचित बैंक में पांच वर्ष से अन्यून की किसी नियत अवधि के लिए है; और

(ख) जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और राजपत्र में अधिसूचित किसी स्कमी के अनुसार है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों या अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्समान नया बैंक या ऐसा कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है ।]

[2]* * * * * * * *

[3][**80गगक. राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन निक्षेप या आस्थगित वार्षिकी योजना में संदाय की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी निधरिती ने जो—

(क) व्यष्टि है, या

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, [4]***

[5]* * * * * * *

पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य अपनी आय में से—

(i) ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे [6]*** कोई रकम निक्षिप्त की है, या

(ii) जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, संविदा करने के लिए या उसे प्रवृत्त रखने के लिए कोई रकम संदत्त की है,

वहां उसे, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसकी कुल आय की संगणना करने में ऐसी समस्त, निक्षिप्त या संदत्त रकम की (जिसके अंतर्गत निर्धारिती के खाते में प्रोद्भूत या जमा ब्याज या बोनस, यदि कोई हो, नहीं है) जो उस पूर्ववर्ष में बीस हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 22 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 23 द्वारा (1-4-1988 से) धारा 80गगक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 50 द्वारा (1-4-1988 से) "या" शब्द का लोप किया गया ।

[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 50 द्वारा (1-4-1988 से) लोप । खण्ड (ग) लोप के पूर्व निम्नलिखित थी :—

(ग) ऐसे व्यक्तियों का सगम या व्यष्टियों का निकाय है जिसमें दोनों दशाओं में केवल पति पत्नी है जो गोवा राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त सामुदायिक संपत्ति की पद्धति से शासित होते हैं ।

[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 25 द्वारा (1-10-1991 से) लोप किया गया ।

[1][परन्तु,—

(क) 1 अप्रैल, 1989 और 1 अप्रैल, 1990 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों के संबंध में यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीस हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों;

(ख) 1 अप्रैल, 1991 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों :

[2][परन्तु यह और कि खंड (i) और खंड (ii) के अधीन 1 अप्रैल, 1992 को या उसके पश्चात् निक्षिप्त या संदत्त किसी रकम के संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(2) जहां कोई रकम—

(क) [3][उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन] निर्धारिती के खाते में जमा थी और जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है ऐसी रकम पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, पूर्णत: या भागत: किसी पूर्ववर्ष में वापस ली जाती है, या

(ख) जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना के अनुसार पालिसी के अभ्यर्पण के कारण अथवा वार्षिकी या बोनस के रूप में किसी पूर्ववर्ष में प्राप्त की जाती है,

वहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सम्पूर्ण रकम के बराबर रकम निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें वह, यथास्थिति, वापस ली गई है या प्राप्त की गई है और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी ।

[4][परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी निर्धारिती द्वारा जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना के निबन्धनों के अनुसार पालिसी के अभ्यर्पण के कारण प्राप्त की गई किसी रकम को वहां लागू नहीं होगी जहां निर्धारिती उक्त वार्षिकी योजना को, जिसकी बाबत उसने उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन कोई रकम, 1 अप्रैल, 1992 के पूर्व संदत्त की है, 1 अक्तूबर, 1992 के पूर्व अभ्यर्पित करने का चयन करता है ।]

[5][(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात किए जाने के पश्चात्, किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्यों के बीच विभाजन हो गया है या जहां व्यक्तियों का कोई संगम विघटित कर दिया गया है वहां उपधारा (2) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो उसमें निर्दिष्ट आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्धारिती हो ।]

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि [3][उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन] किए गए निक्षपों पर ब्याज उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक ही कर से प्रभार्य होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "जीवन बीमा निगम" का वही अर्थ है जो धारा 80ग की उपधारा (8) के खंड (क) में है ।

[6][**80गगख. साधारण शेयर बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती ने जो—

(क) व्यष्टि है, या

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, [7]***

[8]* * * * * * *

पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य अपनी आय में से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कोई यूनिट, किसी ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् साधारण शेयर-बचत स्कीम कहा गया है), बनाई गई किसी योजना के अधीन अर्जित किए हैं वहां उसे, इस धारा के उपबंधों के अनुसार, और उनके अधीन रहते हुए, उसकी कुल आय की संगणना करने में, विनिधान की गई उतनी रकम की, जो उस पूर्ववर्ष में दस हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

[9][परन्तु इस उपधारा के अधीन 1 अप्रैल, 1992 को या उसके पश्चात् विनिधान की गई किसी रकम के संबंध में, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 16 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 42 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 25 द्वारा (1-10-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 16 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 17 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 50 द्वारा (1-4-1991 से) "या" शब्द का लोप किया गया ।
[8] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 50 द्वारा (1-4-1991 से) खंड (ग) का लोप किया गया ।
[9] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) जहां साधारण शेयर-बचत स्कीम के अधीन बनाई गई किसी योजना के अधीन जारी किए गए यूनिटों में निर्धारिती द्वारा विनिधान की गई कोई रकम, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, यथास्थिति, ऐसे यूनिटों के पुन:क्रय के रूप में या योजना की समाप्ति पर, उसे निधि या न्यास द्वारा, किसी पूर्ववर्ष में, पूर्णत: या भागत: वापस की जाती है तो वह निर्धारिती की उस पूर्ववर्ती की आय समझी जाएगी और तदनुसार कर से प्रभार्य होगी ।

(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात किए जाने के पश्चात्, किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्यों के बीच विभाजन हो गया है या व्यक्तियों का संगम विघटित कर दिया गया है वहां उपधारा (2) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो उसमें निर्दिष्ट आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्धारिती हो ।]

[1][**80गगग. कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यष्टि है, पूर्ववर्ष में धारा 10 के खंड (23ककख) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम [2][या किसी अन्य बीमाकर्ता] की किसी वार्षिकी योजना के लिए संविदा करने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए कर से प्रभार्य अपनी आय में से किसी रकम का संदाय किया है या निक्षेप किया है वहां उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसकी कुल आय की संगणना करने में, ऐसी संपूर्ण संदत्त या निक्षिप्त रकम की (जिसके अंतर्गत निर्धारिती के खाते में प्रोद्भूत या जमा ब्याज या बोनस, यदि कोई हो, नहीं है), जो उस पूर्ववर्ष में [3][एक लाख पचास हजार रुपए] की रकम से अधिक नहीं है, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) जहां किसी निधि में निर्धारिती के नाम जमा कोई रकम, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है और जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, निर्धारिती के खाते में प्रोद्भूत या जमा ब्याज या बोनस के साथ, यदि कोई हो, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा—

(क) वार्षिकी योजना के अभ्यर्पण के कारण, पूर्णत: या भागत: किसी पूर्ववर्ष में, या

(ख) वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में,

प्राप्त की जाती है वहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संपूर्ण रकम के बराबर रकम उस पूर्ववर्ष में जिसमें, यथास्थिति, ऐसी रकम वापस ली जाती है या पेंशन प्राप्त की जाती है, यथास्थिति, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की आय समझी जाएगी और तदनुसार, उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी ।

[4][(3) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां,—

(क) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई कटौती धारा 80ग के अधीन 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

80गगघ. केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती—(1) [5][जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है अथवा किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है] [6][या कोई ऐसा अन्य निर्धारिती, जो व्यष्टि है] पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है, वहां उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसकी कुल आय की संगणना करने में इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त की गई संपूर्ण रकम की,—

[7][(क) जो किसी कर्मचारी की दशा में, पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो; और

(ख) जो किसी अन्य दशा में, पूर्ववर्ष में उसकी सकल आय के [8][बीस प्रतिशत] से अधिक न हो,]

कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

[9]* * * * * * *

[10][(1ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती को, चाहे उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई हो अथवा नहीं, पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, संदाय या उसके खाते में जमा की गई संपूर्ण रकम की, जो पचास रुपए से अधिक नहीं होगी, कटौती उसकी कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञा की जाएगी :

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 30 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[7] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया ।
[10] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कटौती ऐसी रकम के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिस पर उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा किया गया है और उसे अनुज्ञात किया गया है;]

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती की दशा में [1][केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक] उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके खाते में कोई संदाय करती है वहां निर्धारिती को उसकी कुल आय की संगणना करने में [1][केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक] द्वारा अभिदाय की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

(3) जहां [2][उपधारा (1) या उपधारा (1ख)] में निर्दिष्ट निर्धारिती के खाते में उसके नाम में जमा ऐसी कोई रकम, जिसके संबंध में [2][उन उपधाराओं] या उपधारा (2) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है उस पर प्रोद्भूत रकम के साथ, यदि कोई हो, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा पूर्णत: या भागत: किसी पूर्ववर्ष में,—

(क) [2][उपधारा (1) या उपधारा (1ख)] में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम की समाप्ति या उसके उसमें न रहने का विकल्प लेने के कारण; या

(ख) ऐसी समाप्ति या उसमें न रहने का विकल्प लेने पर क्रय की गई या ली गई वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में, प्राप्त की जाती है, वहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम प्राप्त की जाती है, यथास्थिति, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की आय समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित होगी :

[3][परन्तु खंड (क) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन निर्धारिती की मृत्यु पर नामनिर्देशिती द्वारा प्राप्त रकम को नामनिर्देशिती की आय नहीं समझा जाएगा ।]

[4][(4) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम [5][उपधारा (1) या उपधारा (1ख)] के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है वहां,—

(क) ऐसी रकम के प्रति निर्देश से कोई रिबेट 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी;

(ख) ऐसी रकम के प्रति निर्देश से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[6][(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने पूर्ववर्ष में कोई रकम प्राप्त नहीं की है, यदि उस रकम का उपयोग उसी पूर्ववर्ष में किसी वार्षिकी योजना का क्रय करने में किया जाता है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" के अंतर्गत, यदि नियोजन के निबंधनों में ऐसा उपबंध हो तो मंहगाई भत्ता है, किन्तु सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां अपवर्जित हैं ।]

[7][**80गगङ. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा**—धारा 80ग, धारा 80गगग और [8][धारा 80गगघ की उपधारा (1)] के अधीन कटौतीयों की कुल रकम, किसी भी दशा में, [9][एक लाख पचास हजार रुपए] से अधिक नहीं होगी।

[10][**80गगच. दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय की बाबत कटौती**—किसी निर्धारिती की, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में, 1 अप्रैल, 2011 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष [11][अथवा 1 अप्रैल, 2012 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष] से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए यथा अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के अभिदाय के रूप में संदत्त या जमा की गई संपूर्ण रकम की, उस सीमा तक कटौती की जाएगी, जहां तक ऐसी रकम बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।]

[12][**80गगछ. किसी साधारण बचत स्कीम के अधीन किए गए विनिधान की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो निवासी व्यष्टि है, किसी पूर्ववर्ष में ऐसी किसी स्कीम के अनुसार जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, [13][सूचीबद्ध

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 23 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 24 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[13] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

साधारण शेयर या किसी साधारण शेयरो मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटें अर्जित की हैं] वहां उसे उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की उसकी कुल आय की संगणना करने में, ऐसे साधारण शेयरों [1][या यूनिटों] में विनिधान की गई रकम के पचास प्रतिशत की कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जिस तक ऐसी कटौती पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है ।

[2][(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें सूचिबद्ध साधारण शेयरों या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों को प्रथमत: अर्जित किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञात की जाएगी ।]

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों की अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) निर्धारिती की सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए सकल कुल आय [2][बारह लाख रुपए] से अधिक नहीं होगी;

(ii) निर्धारिती ऐसा कोई नया खुदरा विनिधानकर्ता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए;

(iii) विनिधान ऐसे सूचीबद्ध साधारण शेयरों [1][या साधारण शेयरोन्मुख निधि की सूचीबद्ध यूनिटों] में किया जाता है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(iv) विनिधान उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की किसी अवधि के लिए अप्राप्य रूप में है; और

(v) कोई अन्य शर्त, जो विहित की जाए ।

(4) यदि निर्धारिती, किसी पूर्ववर्ष में, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो मूल रूप से अनुज्ञात की गई कटौती को उस पूर्ववर्ष की निर्धारिती की आय समझा जाएगा और वह उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर के दायित्वाधीन होगी ।

[3][(5) उपधारा (1) से उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परंतु ऐसे निर्धारिती को, जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार साधारण शेयरोन्मुखी निधि के सूचीबद्ध साधारण शेयर या सूचीबद्ध यूनिट अर्जित किए हैं और 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया है, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तक इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि वह इस धारा के अन्य उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा करने के लिए अन्यथा पात्र है ।]

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में उसका है ।]

[4][**80घ. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती**—(1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी राशि की कटौती की जाएगी जिसका संदाय उसकी कर से प्रभार्य आय में से, पूर्ववर्ष में [5][उपधारा (2ख) में यथाविनिर्दिष्ट] किसी ढंग से किया गया है ।

(2) जहां निर्धारिती कोई व्यष्टि है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती या उसके कुटुंब के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम [6][या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम को [7][या ऐसी अन्य स्कीम को जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए] किया गया कोई अभिदाय] [8][या निर्धारिती या उसके कुटुंब की निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे किया गया कोई संदाय] जो कुल मिलाकर [9][पच्चीस हजार रुपए] से अधिक नहीं हो; और

(ख) निर्धारिती के माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम [5][या निर्धारिती के माता या पिता अथवा माता-पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे किया गया कोई संदाय] जो कुल मिलाकर [9][पच्चीस हजार रुपए] से अधिक नहीं हो ;]

[9][(ग) निर्धारिती या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर उपगत चिकित्सा व्यय के मद्दे संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर तीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो; और

(घ) निर्धारिती के माता-पिता में से किसी के स्वास्थ्य पर उपगत चिकित्सा व्यय के मद्दे संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर तीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो :

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 13 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनयम सं० 23 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट रकम किसी अति वरिष्ठ नागरिक के संबंध में संदत्त की गई हो और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए कोई रकम संदत्त न की गई हो :

परन्तु यह और कि खंड (क) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि का योग या खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि का योग तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।]

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "कुटुम्ब" से निर्धारिती का पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक अभिप्रेत हैं ।

[1][(2क) जहां उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट रकमों को निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे संदत्त किया जाता है, वहां ऐसी रकमों के लिए कटौती उस सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी, जहां तक वह कुल मिलाकर पांच हजार रुपए से अधिक न हो ।

(2ख) उपधारा (1) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए संदाय,—

(i) निवारक स्वास्थ्य जांच मद्दे संदत्त किसी राशि की बाबत किसी भी ढंग, जिसमें नकद भी है, से किया जाएगा;

(ii) खंड (i) के अधीन न आने वाले सभी अन्य मामलों में, नकद से भिन्न किसी भी ढंग से किया जाएगा ।]

[2][(3) जहां निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात् :—

(क) उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो; और

(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर उपगत चिकित्सा व्यय के मद्दे संदत्त संपूर्ण रकम, जो कुल मिलाकर तीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो :

परन्तु खंड (ख) में निर्दिष्ट रकम किसी अति वरिष्ठ नागरिक के संबंध में संदत्त की गई हो और उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने पर कोई रकम संदत्त न की गई हो :

परन्तु यह और कि खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि का योग तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।]

(4) जहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) [2][या उपधारा (3) के खंड (क)] में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय उनमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए किया जाता है और वह व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक [3][या अति वरिष्ठ नागरिक] है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो [2][पच्चीस हजार रुपए] शब्दों के स्थान पर [2][तीस हजार रुपए] शब्द रखे गए हों ।

[4]* * * * * * *

(5) इस धारा में निर्दिष्ट बीमा,—

(क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा; या

(ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है;

(ii) "अति वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है ।]

[5][**80घघ. किसी आश्रित के जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती**—[6][(1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान,—

(क) कोई व्यय किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया है; या

(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, भरण-पोषण के लिए इस निमित्त बनाई गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त या जमा की है,

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 19 प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 19 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।

वहां निर्धारिती को इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ष की बाबत उसकी सकल कुल आय से पचहत्तर हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु जहां ऐसा आश्रित गंभीर नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति है, वहां इस उपधारा के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख पच्चीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हैं ।]

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् :—

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट स्कीम में ऐसे किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य की, जिसके नाम में स्कीम में अभिदाय किया गया है, मृत्यु की दशा में किसी आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के संदाय का उपबंध है;

(ख) निर्धारिती ऐसे आश्रित के, जो नि:शक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए नि:शक्त आश्रित व्यक्ति को अथवा उसकी ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या किसी न्यास को नामनिर्देशित करता है ।

(3) यदि आश्रित की, जो नि:शक्त व्यक्ति है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम के बराबर किसी रकम को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, निर्धारिती की आय समझा जाएगा और तद्नुसार वह उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी ।

(4) निर्धारिती, इस धारा के अधीन कटौती का दावा करते समय विहित प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति के साथ उस निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय की विवरणी देगा :

परन्तु जहां नि:शक्तता की शर्त में, पूर्वोक्त प्रमाणपत्र में अनुबंधित अवधि के पश्चात् उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण अपेक्षित है, उस पूर्ववर्ष की, जिसके दौरान नि:शक्तता का पूर्वोक्त प्रमाणपत्र समाप्त हुआ था, समाप्ति के पश्चात्, आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष से संबधित किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक चिकित्सा प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, नया प्रमाण्पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है और आय की विवरणी के साथ उसकी एक प्रति नहीं दे दी जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "प्रशासक" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "आश्रित" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि का पति/पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहनें या उनमें से कोई;

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य,

जो अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब पर पूर्णत: या मुख्यत: आश्रित है और जिसने पूर्ववर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने में धारा 80प के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया है;

(ग) "नि:शक्तता" का वही अर्थ है जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (झ) में है, [1][और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट 'स्वपरायणता', 'प्रमस्तिष्क घात', और 'बहु-नि:शक्तता' भी हैं]

(घ) "जीवन बीमा निगम" का वही अर्थ है जो धारा 88 की उपधारा (8) के खंड (iii) में है;

(ङ) "चिकित्सा प्राधिकारी" से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (त) में [1][निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी या ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार, द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ञ) और खंड (ण) में निर्दिष्ट 'स्वपरायणता', 'प्रमस्तिष्कघात', 'बहु-नि:शक्तता', 'नि:शक्त व्यक्ति' और 'गंभीर नि:शक्तता' को प्रमाणित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;]

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 16 द्वारा (1-4-2005 से) अंत:स्थापित ।

(च) "नि:शक्त व्यक्ति" से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में [1][या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (ञ) में] निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;

[1][(छ) "गंभीर नि:शक्त व्यक्ति" से,—

(i) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 56 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की एक या अधिक नि:शक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति; या

(ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट गंभीर नि:शक्त व्यक्ति,

अभिप्रेत है;]

(ज) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ।]

[2][**80घघख. चिकित्सीय उपचार आदि की बाबत कटौती**—जहां किसी निर्धारिती ने, जो भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे रोग या व्याधि के, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय उपचार के लिए कोई रकम,—

(क) अपने लिए या किसी आश्रित के लिए, यदि निर्धारिती कोई व्यष्टि है; या

(ख) किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के लिए, यदि निर्धारिती कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब है,

वास्तव में संदत्त की है वहां, निर्धारिती को उस पूर्ववर्ष के संबंध में, जिसमें ऐसी रकम वास्तव में संदत्त की गई थी, वास्तव में संदत्त की गई रकम या चालीस हजार रुपए की राशि की कटौती, इन दोनों में से जो भी कम हो, अनुज्ञात की जाएगी :

[3][परन्तु ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती, किसी तंत्रिका विज्ञानी, किसी अर्बुद्ध विज्ञानी, किसी मूत्र रोग विज्ञानी, किसी रुधिर विज्ञानी, किसी प्रतिरक्षा विज्ञानी या ऐसे अन्य विशेषज्ञ से, जो विहित किया जाए, ऐसे चिकित्सा उपचार की चिकित्सा पर्ची अभिप्राप्त नहीं करता है :]

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कटौती में से उतनी राशि, यदि कोई हो, जो किसी बीमाकर्ता से किसी बीमा के अधीन प्राप्त की जाती है या खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार के लिए किसी नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, कम कर दी जाएगी :

परन्तु जहां कोई रकम निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की बाबत संदत्त की गई है और जो एक वरिष्ठ नागरिक है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "साठ हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों :

[4][परंतु यह भी कि जहां वस्तुत: संदत्त की गई रकम, निर्धारिती या उसके आश्रित या निर्धारिती के हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के संबंध में है और जो अति वरिष्ठ नागरिक है, वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "चालीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "अस्सी हजार रुपए" शब्द रखे गए हैं ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "आश्रित" से,—

(क) किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि की पत्नी या पति, बालक, माता-पिता, भाई बहन या उनमें से कोई अभिप्रेत है;

(ख) हिंदू अविभक्त कुटुबं की दशा में, हिंदू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य अभिप्रेत है,

जो ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब पर अपने सहारे और भरण-पोषण के लिए पूर्णत: या मुख्यत: आश्रित है;

[5]* * * * * * *

(iii) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में है;

(iv) "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय [1][साठ वर्ष] या अधिक आयु का है ।]

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 16 द्वारा (1-4-2005 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया ।

[2][(v) "अति वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है ।]

[3][**80ङ. उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती**—(1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो व्यष्टि है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के प्रयोजन के लिए [4][या अपने नातेदार की उच्चतर शिक्षा के प्रयोजन के लिए] किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्व संस्था से उसके द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज के रूप में पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की कर से प्रभार्य उसकी आय में से कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती आरम्भिक निर्धारण वर्ष और आरंभिक वर्ष से ठीक आगामी सात निर्धारण वर्षों के संबंध में या निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज के संदत्त किए जाने तक, इनमे से जो भी पूर्वतर हो, कुल आय की संगणना करने में पूर्ण रूप से अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अनुमोदित पूर्त संस्था" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) में विनिर्दिष्ट संस्था या उसके अधीन पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित और [5][विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित] संस्था अथवा धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई संस्था;

(ख) "वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है कोई ऐसी बैंककारी कंपनी, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है); या कोई ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

[6][(ग) "उच्चतर शिक्षा" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् लिया गया कोई अध्ययन पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;]

(घ) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें निर्धारिती उधार पर ब्याज का संदाय करना आरंभ करता है ;]

[*][(ङ) किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार" से उस व्यष्टि की पत्नी या पति और बालक या वह छात्र अभिप्रेत है, जिसका व्यष्टि विधिक संरक्षक है ।]

[7]* * * * * * *

[8]* * * * * * *

[9][**80डङ. आवासीय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती**—(1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी और यह व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2017 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) उधार वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2016 को आंरभ और 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है;

(ii) आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए मंजूर की गई उधार की रकम पैंतीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) आवसीय गृह संपत्ति का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(iv) निर्धारिती के स्वामित्व में उधार मंजूर किए जाने की तारीख को कोई अपनी आवासीय गृह संपत्ति नहीं है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे ब्याज की बाबत कटौती इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2015 केअधिनियम सं० 20 की धारा 21 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 25 द्वारा (1-4-2006 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 27 अंत:स्थापित ।
[5] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 27 प्रतिस्थापित ।
[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[*] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 32 प्रतिस्थापित ।
[7] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 17 द्वारा (1-4-1986 से) लोप किया गया ।
[8] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 14 द्वारा (1-4-1981 से) लोप किया गया ।
[9] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) "वित्तीय संस्था" से ऐसी कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था अथवा कोई आवासीय वित्त पोषण कंपनी भी है;

(ख) "आवासीय वित्त पोषण कंपनी" से भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत कोई पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है ।]

80छ. कतिपय निधियों, पूर्व संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती—[1][(1) किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निम्नलिखित की कटौती की जाएगी, अर्थात् :—

[2][(i) उस दशा में जिसमें उपधारा (2) विनिर्दिष्ट राशियों के योग में उसके खंड (क) के [3][उपखंड (i) या उपखंड (iiiक)] [4][या उपखंड (iiiकक) [5][या उपखंड (iiiकख)] [6][या उपखंड (iiiख)] [7][या उपखंड (iiiङ)] [8][या उपखंड (iiiच)] [9][या उपखंड (iiiछ)] [10][या उपखंड (छक)] या [11][उपखंड (iiiज)] या [12][उपखंड (iiiजक) या उपखंड (iiiजख) या उपखंड (iiiजग)] [13][या उपखंड (iiiजघ)] [14][या उपखंड (iiiजङ)] [15][या उपखंड (iiiजच)] [16][या उपखंड (iiiजछ) या उपखंड (iiiजज)] [17][या उपखंड (iiiजझ)] [18][या उपखंड (iiiजञ)] [19][या उपखंड (iiiजट) या उपखंड (iiiजठ) या] [19][उपखंड (iiiजड) या] उपखंड (vii) [20][या खंड (ग)] [21][या खंड (घ)] में या उपखंड (vii) में विनिर्दिष्ट कोई राशि या राशियां सम्मिलित हैं, यथास्थिति, ऐसी संपूर्ण राशि के या ऐसी प्रकृति की राशियों के बराबर रकम धन ऐसे योग के अतिशेष का पचास प्रतिशत; और]

(ii) किसी अन्य दशा में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों के योग के पचास प्रतिशत के बराबर रकम ।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) राशियां जो पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित को दान के रूप में दी गई है—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष; या

(ii) राष्ट्रीय समिति द्वारा 1964 के अगस्त के 17वें दिन को हुए अपने अधिवेशन में अंगीकृत न्यास घोषणा विलेख में निर्दिष्ट जवाहरलाल नेहरु स्मारक निधि; या

(iii) प्रधान मंत्री का सूखा सहातया कोष; या

[22][(iiiक) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष; या]

[23][(iiiकक) प्रधान मंत्री आर्मेनिया भूंकप सहायता कोष; या]

[24][(iiiकख) अफ्रीका (लोक अभिदाय—भारत) निधि; या]

[25][(iiiख) राष्ट्रीय बल निधि; या]

[1] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 17 द्वारा (1-4-1977 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 18 द्वारा (1-4-1986 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1999 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1989 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (24-1-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[5] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 26 द्वारा (1-4-1991 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1993 के अधिनमय सं० 38 की धारा 13 द्वारा (1-4-1993 से) अन्त:स्थापित ।
[8] 1993 के अधिनमय सं० 38 की धारा 13 द्वारा (1-4-1994 से) अन्त:स्थापित ।
[9] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 24 द्वारा (1-4-1994 से) अन्त:स्थापित ।
[10] 2001 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 1996 के अधिनियम सं० 36 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।
[13] 1996 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[14] 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[15] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।
[16] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।
[17] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[18] 2001 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[19] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[20] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।
[21] 2001 के अधिनियम सं० 9 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[22] 1976 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (9-9-1975 से) अंत:स्थापित ।
[23] 1989 के अधिनियम सं० 11 की धारा 3 द्वारा (24-1-1989 से) अंत:स्थापित ।
[24] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 26 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[25] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 15 द्वारा (1-4-1983 से) अंत:स्थापित ।

[1][(iiiग) इंदिया गांधी स्मारक न्यास जिसकी बाबत घोषणा विलेख नई दिल्ली में 21 फरवरी, 1985 को रजिस्टर किया गया; या]

[2][(iiiघ) राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी बाबत घोषणा विलेख नई दिल्ली में 21 जून, 1991 को रजिस्टर किया गया है; या]

[3][(iiiङ) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान; या]

[4][(iiiच) राष्ट्रीय महत्व का कोई विश्वविद्यालय या कोई शिक्षा संस्था जो इस निमित्त विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए; या]

[5][(iiiछ) 1 अक्तूबर, 1993 को आरंभ होने वाली और 6 अक्तूबर, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान महाराष्ट्र मुख्य मंत्री सहायता कोष अथवा मुख्यमंत्री भूंकप सहायता कोष, महाराष्ट्र; या]

[6][(iiiछक) गुजरात राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से गुजरात में भूंकप पीड़ितों को सहायता देने के लिए स्थापित कोई निधि ;]

[7][(iiiज) किसी जिले में उस जिले के कलक्टर की अध्यक्षता में ऐसे जिले के ग्रामों और नगरों में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के प्रयोजनों के लिए तथा साक्षरता और पश्च-सारक्षता क्रियाकलापों के लिए गठित कोई जिला साक्षरता समिति ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "नगर" से ऐसा नगर अभिप्रेत है, जिसकी जनसंख्या उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं, एक लाख से अधिक नहीं है; या]

[8][(iiiजक) राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् या कोई राज्य रक्ताधान परिषद् जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में रक्त बैंकों के प्रचालन और उनकी अपेक्षाओं से संबंधित सेवाओं का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन करना है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद्" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसमें अध्यक्ष के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, ऐसा अधिकारी है जो एड्स नियंत्रण परियोजना के संबंध में कार्रवाई करने वाले भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ख) "राज्य रक्ताधान परिषद्" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम की तत्स्थानी किसी विधि के अधीन, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् के परामर्श से, रजिस्ट्रीकृत है और जिसमें अध्यक्ष के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कार्रवाई करने वाला उस राज्य सरकार का सचिव है; या

(iiiजख) गरीबों को चिकित्सा राहत उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि; या

(iiiजग) संघ के सशस्त्र बलों द्वारा ऐसे बलों के पूर्व और विद्यमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित सेना केंद्रीय कल्याण निधि या भारतीय नौसेना हितकारी निधि या वायु सेना केंद्रीय कल्याण निधि; या]

[9][(iiiजघ) आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री तूफान सहायता कोष, 1996; या]

[10][(iiiजङ) राष्ट्रीय रुग्णावस्था सहायता निधि; या]

[11][(iiiजच) यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्री सहायता कोष या उप-राज्यपाल सहायता कोष:

---

1 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 18 द्वारा (1-4-1985 से) अंत:स्थापित ।
2 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 26 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
3 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 13 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
4 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 13 द्वारा (1-4-1994 से) अंत:स्थापित ।
5 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 24 द्वारा (1-4-1994 से) अंत:स्थापित ।
6 2001 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
7 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 16 द्वरा अंत:स्थापित ।
8 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।
9 1996 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
10 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
11 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कोष,—

(क) यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित इस प्रकार का एक ही कोष है;

(ख) यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव या वित्त विभाग के संपूर्ण नियंत्रण में है;

(ग) ऐसी रीति से प्रशासित किया जाता है जो, यथास्थिति, उस राज्य सरकार या उपराज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं; या]

[1][(iiiजछ) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली राष्ट्रीय खेल-कूद निधि; या

(iiiजज) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि; या]

[2][(iiiजझ) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास और उपयोजन निधि; या]

[3][(iiiजञ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास; या]

[4][(iiiजट) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष, ऐसी राशि से भिन्न, जो निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में खर्च की गई हैं; या]

(iiiजठ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि, जहां ऐसा निर्धारिती निवासी है और ऐसी राशि निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 की उपधारा (5) के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में खर्च की गई राशि से भिन्न है;]

[4][(iiiजड) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 7क के अधीन गठित राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि; या]

(iv) कोई अन्य निधि या कोई संस्था जिसे यह धारा लागू होती है, या

(v) सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकारी को किसी [5][परिवार नियोजन को प्रोन्नत करने के प्रयोजन से भिन्न किसी पूर्व प्रयोजन के लिए; या] उपयोगार्थ;

[6][(vi) अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित कोई प्राधिकारी जो या तो वास सुविधा से संबंधित हो या उसको पूरा करने के प्रयोजन के लिए हो या जो शहरों, नगरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजनों या दोनों के लिए हो; या]

[6][(viक) धारा 10 के खंड (26खख) में निर्दिष्ट कोई निगम; या]

(vii) सरकार को या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, संस्था या संगम को जिसे, केन्द्रीय सरकार इस निमित अनुमोदित करे, परिवार नियोजन को प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए;]

(ख) किसी ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजाघर या अन्य स्थान के जिसका कि ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक महत्व का होना अथवा किसी राज्य या राज्यों के सर्वत्र विख्यात लोक-पूजा का स्थान होना केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, नवीकरण या मरम्मत के लिए दान के रूप में पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशियां ;

[7][(ग) ऐसे निर्धारिती द्वारा, जो कंपनी है, पूर्ववर्ष में भारत में :—

(i) क्रीड़ा और खेलकूद के संबंध में अवसंरचना के विकास; या

(ii) क्रीड़ा और खेलकूद के प्रयोजन के लिए,

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 24 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 39 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित।
[7] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित।

भारतीय ओलम्पिक एशोसिएशन या [1][भारत में स्थापित, जिसे केंद्रीय सराकर, विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे] किसी अन्य संगम या संस्था को दान के रूप में संदत्त की गई राशि ;]

[2][(घ) 26 जनवरी, 2001 को आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा, किसी ऐसे न्यास, संस्था या निधि को जिसे यह धारा लागू होती है, गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता देने के लिए संदत्त कोई राशियां ।]

[3]* * * * * * * *

[4][(4) जहां खंड (क) के उपखंड (iv) [5][उपखंड (v), उपखण्ड (vi), उपखंड (viक) और उपखंड (vii)] में और उपधारा (2) के खंड (2) के उपखंड [6][(ख) और खंड (ग)] में निर्दिष्ट राशियों का योग सकल कुल आय के (जिसमें से उसका वह भाग घटा दिया जाएगा जिस पर आय-कर इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय नहीं है और वह रकम भी घटा दी जाएगी जिसकी बाबत निर्धारिती इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती का हकदार है) दस प्रतिशत से अधिक है तो वह रकम जो सकल कुल आय के दस प्रतिशत से अधिकहै, उन राशियों के योग की संगणना करने के प्रयोजन के लिए छोड़ दी जाएगी जिनकी बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की जानी है ।]

(5) यह धारा उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी संस्था को या निधि को दिए दान को केवल तभी लागू होती है जब कि वह किसी पूर्ण प्रयोजन के लिए भारत में स्थापित है और वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करती है, अर्थात्—

(i) जहां संस्था या निधि को कोई आय व्युत्पन्न होती है वहां ऐसी आय धारा 11 और धारा 12 या धारा 10 के [7]*** [8]*** [9][[10][या खंड (23कक) या खंड (23ग)]] के उपबंधों के अधीन उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं की जा सकेगी :

[11][परन्तु जहां किसी संस्था या निधि को कोई ऐसी आय जो कारबार का लाभ और अभिलाभ है व्युत्पन्न होता है वहां यह शर्त कि ऐसी आय धारा 11 के उपबंधों के अधीन उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं की जा सकेगी, ऐसी आय के सम्बन्ध में तब लागू नहीं होगी जब,—

(क) वह संस्था या निधि ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखाबहियां रखती है;

(ख) उस संस्था या निधि को किए गए दान का ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रयोग नहीं किया जाता है, और

(ग) वह संस्था या निधि दान करने वाले व्यक्ति को इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करती है कि वह ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखाबहियां रखती है और उसके द्वारा प्राप्त किए गए दान का ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यक्षत: प्रयोग नहीं किया जाएगा ;]

(ii) उस लिखत में, जिसके अधीन संस्था या निधि गठित की गई है या संस्था अथवा निधि को शासित करने वाले नियमों में, कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट नहीं है जो उस संस्था या निधि की संपूर्ण आय या आस्ति या उसके किसी भाव का किसी भी समय अंतरण या उपयोजन पूर्व प्रयोजन से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए करने के लिए हों;

(iii) उस संस्था या निधि का, किस धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए होना अभिव्यक्त नहीं है ;

(iv) वह संस्था या निधि अपनी प्राप्तियों और व्यय के नियमित लेखे रखती है; [12]***

(v) यह संस्था या निधियां जो लोक पूव न्यास के रूप में गठित हैं या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के समान किसी ऐसी विधि के अधीन जो भारत के किसी भाग में प्रवृत्त हो, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है या कोई अन्य शिक्षा संस्था है जो सरकार से अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता-प्राप्त है, या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है [13]*** या ऐसी संस्था है, जो सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्त पोषित है [14]***

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 24 द्वारा (1-4-1994 से) लोप किया गया ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 25 द्वारा (1-4-1989 से) खंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 29 द्वारा लोप किया गया ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा लोप किया गया ।
[9] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 35 द्वारा (1-4-1988 से) उपधारा (5) के खण्ड (i) में "या खण्ड (23ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 18 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[11] 1983 के अधिनियम सं०11 की धारा 39 द्वारा (1-4-1984 से) परन्तुक जोड़ा गया ।
[12] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 24 द्वारा (1-4-1994 से) "और" शब्द का लोप किया गया ।
[13] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा लोप किया गया ।
[14] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 33 द्वारा लोप किया गया ।

[1][(vi) 31 मार्च, 1992 के पश्चात् किए गए दानों के संबंध में, वह संस्था या निधि जो इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा तत्समय अनुमोदित है; [2][और]

[3]* * * * * * *

[5][(vii) जहां किसी संस्था या निधि का 1 अप्रैल, 2007 से आंरभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए खंड (vi) के अधीन अनुमोदन किया गया था, वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए और धारा 2 के खंड (15) के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था या निधि,—

(क) 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित; और

(ख) 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ष के लिए उक्त खंड (vi) के अधीन अनुमोदित,

की गई समझी जाएगी ।]

[4][(5क) जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है वहां वह राशि जिसकी बाबत इस प्रकार कटौती अनुज्ञात की गई है, उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के लिए अर्ह नहीं होगी ।]

[5][(5ख) उपधारा (5) के खंड (ii) और स्पष्टीकरण 3 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी संस्था या निधि को, जो किसी पूर्ववर्ष के दौरान, अपनी उस पूर्ववर्ष की कुल आय के पांच प्रतिशत से अनधिक किसी रकम के लिए कोई ऐसा व्यय उपगत करती है, जो धार्मिक प्रकृति का है, ऐसी संस्था या निधि समझा जाएगा, जिसे इस धारा के उपबंध लागू होते हैं ।]

[6][(5ग) [7][यह धारा] उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट रकमों के संबंध में केवल तभी लागू होगी जब उक्त न्यास या संस्था या निधि, भारत में पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित की गई हो और वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो, अर्थात् :—

(i) वह उपधारा (5) के खंड (vi) के निबंधनों के अनुसार अनुमोदित हो;

(ii) वह गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता देने के लिए आय और व्यय के पृथक् लेखे रखती हो;

(iii) उक्त न्यास या संस्था या निधि को दिए गए दान 31 मार्च, [8][2004] को या उससे पूर्व गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता देने के लिए ही उपयोजित किए गए हों;

(vi) 31 मार्च, [8][2004] को अनुपयोजित रहने वाली दान की रकम 31 मार्च, [8][2004] को या उसके पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में अंतरित कर दी गई हो;]

(v) उसने आय और व्यय के लेखे ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति में जो विहित की जाए 30 जून, [8][2004] को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए हों ।]

[9][(5घ) इस धारा के अधीन [10][दो हजार] रुपए से अधिक किसी राशि के दान की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से नहीं किया जाता है।]

स्पष्टीकरण 1—अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों के या स्त्रियों अथवा बच्चों के फायदे के लिए स्थापित किसी संस्था या निधि को ऐसी संस्था या निधि नहीं समझा जाएगा, जिसका कि उपधारा (5) के खंड (iii) के अर्थ में किसी धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए होना अभिव्यक्त है ।

[11][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं का निराकरण करने के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि किसी कटौती से, जिसके लिए निर्धारिती किसी ऐसी संस्था या निधि को, जिसे उपधारा (5) लागू होती है, दिए गए किसी दान की बाबत हकदार है, निम्नलिखित में से किसी एक अथवा दोनों कारणों से ही इन्कार नहीं किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) [12][धारा 11 या धारा 12 या धारा 12क] के उपबंधों में से किसी के अनुपालन के कारण संस्था अथवा निधि की आय का कोई भाग दान के बाद कर से प्रभार्य हो गया है;

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 32 की धारा 49 द्वारा (1-10-1991 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 33 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 15 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अन्त:स्थापित ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 4 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 35 द्वारा (1-4-2018 से) प्रतिस्थापित ।
[11] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-4-1971 से) प्रतिस्थापित ।
[12] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 17 द्वारा (1-4-1973 से) " धारा 11" शब्द और अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ii) संस्था या निधि को धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी विनिधान से उद्भूत होने वाली किसी आय के संबंध में [1][धारा 11 या धारा 12] के अधीन दी जाने वाली छूट से धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन उस दशा में इन्कार किया जाता है जब उसके द्वारा उक्त खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी समुत्थान में विनिहित निधियों का योग उस समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक न हो ।]

स्पष्टीकरण 3—इस धारा में "पूर्त प्रयोजन" के अंतर्गत ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है जो पूर्णरूपेण या पर्याप्ततः पूर्ण रूपेण धार्मिक स्वरूप का है ।

[2][**स्पष्टीकरण 4**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई संगम या संस्था जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे खेलों या क्रीड़ाओं का, जिसको केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नियंत्रण, अधीक्षण, विनियमन और प्रोत्साहन करना है, प्रयोजनों प्रोजयनों के लिए भारत में स्थापित संस्था समझी जाएगी ।]

[3][**स्पष्टीकरण 5**—शंकाओं का निराकरण करने के लिए घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन किसी दान की बाबत कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा दान धन के रूप में नहीं है ।]

[4]* * * * * * *

[5][**80छछ. संदत्त किराए की बाबत कटौती**— किसी ऐसे निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, जो ऐसा निर्धारिती नहीं है जिसकी आय धारा 10 के खंड (13क) के अंतर्गत आती है उसके स्वयं के निवास के प्रयोजनों के लिए उसके अधिभोग में सुसज्जित या असज्जित निवास की जगह की बाबत किराए के (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) संदाय के लिए उसके द्वारा उसकी कुल आय के दस प्रतिशत से अधिक उपगत व्यय की, उस परिमाण तक जिस तक ऐसा व्यय [6][पांच हजार रुपए] प्रतिमास या उस वर्ष की उसकी कुल आय के पच्चीस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं है और ऐसी अन्य शर्तों या मर्यादाओं के अधीन रहते हुए जो उस क्षेत्र या स्थान को जिसमें ऐसी जगह स्थित है और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएं, कटौती की जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात निर्धारिती को किसी ऐसी दशा में लागू नहीं होगी जिसमें किसी ऐसे निवास स्थान का,—

(i) निर्धारिती अथवा उसका पति या उसकी पत्नी अथवा अवयस्क संतान, या जहां ऐसा निर्धारिती किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है, वहां ऐसा कुटुंब उस स्थान का स्वामी है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या अपने पद या नियोजन के कर्तव्यों का पालन करता है या अपना कारबार या वृत्ति चलाता है, या

(ii) निर्धारिती किसी अन्य ऐसे स्थान का स्वामी है, जो निर्धारिती के अधिभोग में की ऐसी वास-सुविधा है जिसका मूल्य [7][धारा 23 की, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (क) या उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन] अवधारित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "उसकी कुल आय के दस प्रतिशत" और "उसकी कुल आय के पच्चीस प्रतिशत" पदों से अभिप्रेत है, इस धारा के अधीन किसी व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व निर्धारिती की कुल आय का, यथास्थिति, दस प्रतिशत, या पच्चीस प्रतिशत ।]

[8][**80छछक. वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कतिपय संदायों की बाबत कटौती**—(1) किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष में किसी [9][अनुसंधान संगम] को जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने के लिए संदत्त कोई राशि :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है;

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 17 द्वारा (1-4-1976 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 द्वारा (1-4-1969 से) लोप किया गया ।
[5] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1979 के अधिनियम सं० 31 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(कक) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में [2][ऐसे अनुसंधान संगम, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय], महाविद्यालय या अन्य संस्था को सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाने के लिए संदत्त कोई राशि :

परन्तु यह तब जबकि [2][ऐसा संगम, विश्वविद्यालय], महाविद्यालय या संस्था धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती [2][अनुसंधान संगम,] विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को, जिसे खंड (क) या खंड (कक) लागू होता है, संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट ऐसे संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;]

(ख) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में—

(i) किसी ऐसे संगम या संस्था को जिसका उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम चलाना है धारा 35गगक के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित ग्राम विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रयोग किए जाने के लिए संदत्त कोई राशि, या

(ii) किसी ऐसे संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है, संदत्त कोई राशि :

[4][परन्तु यह तब जब कि निर्धारिती ऐसे संगम या संस्था से धारा 35गगक की, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (2क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र दे देता है ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती ग्रामीण विकास कार्यक्रम को, जिसे यह खंड लागू होता है, चलाने के लिए किसी संगम या संस्था को संदत्त किसी राशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे कार्यक्रम या संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है;]

[1][(खख) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को अथवा राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संगम या संस्था को किसी पात्र परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए संदत्त कोई राशि :

परन्तु यह तब जब कि निर्धारिती, यथास्थिति, ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी अथवा संगम या संस्था से धारा 35कग की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र दे देता है ।

[3][**स्पष्टीकरण 1**—ऐसी कटौती से जिसके लिए निर्धारिती धारा 35कग में निर्दिष्ट पात्र परियोजना या स्कीम चलाने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था को संदत्त किसी धनराशि की बाबत हकदार है, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी धनराशि के संदाय के पश्चात्,—

(क) ऐसे संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है; या

(ख) पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा चलाई जा रही धारा 35कग में निर्दिष्ट पात्र परियोजना या स्कीम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है ।]

[5][**स्पष्टीकरण 2**]— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "राष्ट्रीय समिति" और "पात्र परियोजना या स्कीम" पदों के वही अर्थ हैं जो धारा 35कग के स्पष्टीकरण में है ।]

[6][(ग) [7][निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में किसी संगम या संस्था को], जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण [8][या वनरोपण] का कोई कार्यक्रम चलाना है धारा 35गगख के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण [8][या वनरोपण] के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए संदत्त कोई राशि :

परन्तु यह तब जबकि ऐसा संगम या संस्था धारा 35गगख की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है;]

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 27 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1983 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[6] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 17 द्वारा (1-6-1982 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 19 द्वारा (1-4-19991 से) अंत:स्थापित ।

[1][(गग) [2][निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में] वनरोपण के लिए किसी ऐसी निधि को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 35गगख की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित की जाए, संदत्त कोई राशि;]

[3][(घ) निर्धारिती द्वारा, धारा 35गगक की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित ग्रामीण विकास निधि की पूर्ववर्ष में संदत्त कोई राशि;]

[4][(ङ) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में धारा 35गगक की उपधारा (1) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय नगर गरीबी उन्मूलन निधि को संदत्त कोई राशि ।

[5][(2क) इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से नहीं किया जाता है ।]

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसकी सकल कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित है जो "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है ।

(4) जहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी संदाय की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है वहां ऐसे संदाय की बाबत उसी वर्ष या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती नहीं की जाएगी ।]

[6][**80छछख. कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदायों के संबंध में कटौती**—किसी ऐसे निर्धारिती की, जो एक भारतीय कंपनी है, कुल आय की संगणना करने में किसी ऐसे धनराशि की कटौती की जाएगी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में उसके द्वारा किसी राजनैतिक दल [7][या निर्वाचन न्यास] को अभिदाय किया गया है :

[8][परंतु नकद रूप में अभिदाय की गई ऐसी किसी राशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अभिदाय" शब्द का, उसके व्याकरणिक रूपभेदों के साथ वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293क में है ।

80छछग. किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों को दिए गए अभिदायों के संबंध में कटौती—किसी ऐसे निर्धारिती की, जो स्थानीय प्राधिकारी या पूर्णत: या भागत: सरकार द्वारा वित्तपोषित कृत्रिम विधिक व्यक्ति के सिवाय कोई व्यक्ति है, कुल आय की संगणना करने में किसी ऐसी रकम की कटौती की जाएगी जिसका उसके द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में किसी राजनैतिक दल [7][या निर्वाचन न्यास] को अभिदाय दिया गया हो :

[9][परन्तु नकद रूप में अभिदाय की गई ऐसी किसी धनराशि के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—धारा 80छछख और 80छछग के प्रयोजनों के लिए, "राजनैतिक दल" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।]

ग—कतिपय आयों की कटौतियां

[10]* * * * * * *

[11][**80जज. पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल या कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती**—(1) जहां निर्धारिती को सकल कुल आय में किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार से, जिसको यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ भी है वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के ऐसे लाभ और अभिलाभ की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 19 द्वारा (1-4-19991 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 23 द्वारा (1-4-1983 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2003 के अधिनियम सं० 46 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 20 द्वारा (1-4-1976 से) धारा 80ज का लोप किया गया ।
[11] 1974 के अधिनियम सं० 26 की धारा 9 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित ।

(i) वह पिछड़े क्षेत्र में 1970 के दिसम्बर के 31वें दिन के पश्चात् [1][किंतु 1990 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व] वस्तुओं या विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ कर चुका है या करता है;

(ii) वह किसी पिछड़े क्षेत्र में पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परन्तु यह शर्त उस औद्योगिक उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो धारा 33ख में यथानिर्दिष्ट किसी औद्योगिक उपक्रम के उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और कालावधि के अंदर निर्धारिती द्वारा पुन:स्थापना, पुनर्गठन या पुन: चालन के फलस्वरूप बना है;

(iii) वह किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है;

(iv) वह शक्ति से चलाई जाने वाली निर्माण प्रक्रिया में दस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है या शक्ति की सहायता के बिना चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी पिछड़े क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग उस क्षेत्र में या किसी अन्य पिछड़े क्षेत्र में किसी नए कारबार को अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का कुल मूल्य ऐसे किसी कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मुल्य से बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसमें निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो गई हैं ।

(3) यह धारा होटल के कारबार को लागू होती है जहां निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :—

(i) किसी पिछड़े क्षेत्र में होटल का कारबार 1970 के दिसम्बर के 31वें दिन के पश्चात् [1][किंतु 1990 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व] आरंभ हो चुका है या होता है;

(ii) होटल का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है;

(iii) वह होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक की बाबत उसकी आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी, जिसमें वह औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या कर चुका है या होटल का कारबार आंरभ हो गया है :

परन्तु—

(i) ऐसे औद्योगिक उपक्रम की दशा में, जिसने वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ; और

(ii) उस होटल के कारबार की दशा में, जिसने कार्य आरंभ,

1970 के दिसंबर के 31वें दिन के पश्चात् किन्तु 1973 के अप्रैल के प्रथम दिन के पहले किया है, इस उपधारा का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो दस निर्धारण वर्षों के प्रतिनिर्देश उतने निर्धारण वर्षों के प्रतिनिर्देश है जो 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन समाप्त हुए निर्धारण वर्षों की संख्या की दस निर्धारण वर्षों में से घटाने पर आएं ।

(5) जहां निर्धारिती कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया हो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट नहीं देता है ।

(6) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित माल निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले किसी अन्य कारबार को अंतरित किए जाते हैं या जहां निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित माल उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार को अंतरित किए जाते हैं और दोनों दशाओं में ऐसे अंतरण के लिए उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के लेखाओं में अभिलिखित प्रतिफल, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को माल के बाजार मूल्य के बराबर नहीं है तो इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए, उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के लाभ और अभिलाभो की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो अंतरण, दोनों दशाओं में, उस तारीख को माल के बाजार मूल्य पर किया गया है :

परन्तु जहां [@][निर्धारण अधिकारी] की राय में इसमें उनके पूर्व विनिर्दिष्ट रीति में औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना से आसाधारण कठिनाइयां होती हैं वहां, [@][निर्धारण अधिकारी] लाभ और अभिलाभ की संगणना ऐसे उचित आधार पर करेगा जो वह ठीक समझे है

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "बाजार मूल्य" से माल के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे माल के लिए खुले बाजार में विक्रय पर सामान्यतया प्राप्त होगी ।

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 20 द्वारा (1-4-1990 से) अंत:स्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

(7) जहां @[निर्धारण अधिकारी] को यह प्रतीत होता है कि उस औद्योगिक उपक्रम या होटल का जिसको यह धारा लागू होती है कारबार चलाने वाले निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के निकट संबंध के कारण या किसी अन्य कारणवश उनके बीच कारबार की इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि उनके बीच उस कारबार से निर्धारिती की उस समान्य लाभ से जो उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार में उद्भूत होने की आशा की जा सकती है, अधिक लाभ होता है वहां @[निर्धारण अधिकारी] इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में लाभ की उतनी रकम लेगा जो उससे उचित रूप से व्युत्पन्न समझी जा सकती है ।

[1]* * * * * * *

(9) ऐसी दशा में जहां निर्धारिती किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार के जिसको यह धारा लागू होती है और लाभ और अभिलाभ के संबंध में [2][धारा 80झ या धारा 80ञ] के अधीन भी कटौती का हकदार है वहां पहले इस धारा के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाएगा ।

[3][(9क) जहां किसी लद्यु उद्योग उपक्रम के जिसे धारा 80जजक लागू होती है लाभ और अभिलाभ के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और अनुज्ञात किया जाता है वहां ऐसे लाभ और अभिलाभ के संबंध में कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(10) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात खनन में लगे हुए किसी उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

[4][(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पिछड़ा क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, उस क्षेत्र के विकास के प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना किसी ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए, जो 1 अप्रैल, 1983 से पूर्वतर की तारीख नहीं है, निकाली जा सकेगी ।]

[5][**80जजक. कुछ क्षेत्रों में लगाए गए नए लघु उद्योग उपक्रमों के लाभ और अभिलाभ के बारे में कटौती**—(1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी ऐसे लघु उद्योग उपक्रम से जिसको यह धारा लागू होती है व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ भी है वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में ऐसे लाभ और अभिलाभ की रकम के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे लघु उद्योग उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह किसी ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन 30 सितम्बर, 1977 के पश्चात् [6][किंतु 1 अप्रैल, 1990 के पूर्व] प्रारंभ करता है;

(ii) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परन्तु यह शर्त उस लघु उद्योग उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो धारा 33ख में यथानिर्दिष्ट किसी औद्योगिक उपक्रम के कारबार के उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थिति में और कालावधि के अंदर निर्धारिती द्वारा पुन: स्थापन, पुनर्गठन या पुन:चालन के फलस्वरूप बना है;

(iii) वह किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है;

(iv) वह शक्ति की सहायता से चलने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में दस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है या शक्ति की सहायता के बिना चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी लघु उद्योग उपक्रम की दशा में किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग किसी नए कारबार को अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का कुल मूल्य ऐसे किसी कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी हो गई हैं ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती [7][उस पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले दस पूर्ववर्षों में से प्रत्येक की आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी जिसमें वह औद्योगिक उपक्रम] वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन प्रारम्भ करता है :

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 21 द्वारा (1-4-1976 से) धारा 80जज की उपधारा (8) का लोप किया गया ।

[2] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 35 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 17 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।

[4] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 10 द्वारा (10-9-1986 से) उपधारा (10) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 18 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।

[6] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 21 द्वारा (1-4-1990 से) अंत:स्थापित ।

[7] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 10 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित ।

[1][परन्तु ऐसी कटौती पूर्वोक्त दस पूर्ववर्षों मे से किसी पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसकी बाबत औद्योगिक उपक्रम उपधारा (8) के नीचे स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत लघु उद्योग उपक्रम नहीं है ।]

(4) जहां निर्धारिती कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया है उस निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस औद्योगिक उपक्रम के कारबार के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखपाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट नहीं देता है ।

(5) धारा 80जज की उपधारा (6) और (7) के उपबंध जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए लघु उद्योग उपक्रम के लाभों और अभिलाभों की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम के लाभ और अभिलाभ की संगणना के संबंध में लागू होते हैं ।

(6) ऐसी दशा में जहां निर्धारिती किसी लघु उद्योग उपक्रम के जिसको यह धारा लागू होती है लाभ और अभिलाभ के संबंध में [2][धारा 80झ या धारा 80ञ के अधीन] कटौती का भी हकदार है वहां पहले इस धारा के उपबंधों को प्रभावी किया जाएगा ।

(7) जहां किसी लघु उद्योग उपक्रम के, जिसे धारा 80जज लागू होती है लाभ और अभिलाभ के संबंध में किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा किया जाता है और अनुज्ञात किया जाता है वहां ऐसे लाभ और अभिलाभ के संबंध में कोई कटौती उसी या अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(8) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात खनन में लगे हुए किसी लघु उद्योग उपक्रम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में,—

[3][(क) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा अभिप्रेत है, जो :—

(i) ऐसे क्षेत्र से भिन्न है जो किसी नगरपालिका की (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहरी समिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर आता है और जिसकी जनसंख्या उस अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित किए गए हैं दस हजार से कम नहीं है; या

(ii) ऐसे क्षेत्र से भिन्न है जो उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से इतनी दूरी के भीतर है जो पन्द्रह किलोमीटर से अधिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार, ऐसे क्षेत्र के विकास के प्रक्रम को (जिसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के नगरीकरण का विस्तार और उसकी सम्भावनाएं हैं) और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;]

[4][(ख) किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रम समझा जाएगा जिसे पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनिमय, 1951 (1951 का 65) की धारा 11ख के अधीन लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रम माना जाता है ।]

[5][**80जजख. भारत से बाहर परियोजनाओं से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती**—(1) किसी निर्धारिती को, जो भारतीय कम्पनी है या (कम्पनी से भिन्न) ऐसा व्यक्ति है, जो भारत में निवासी है, सकल कुल आय में ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं जो किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी राज्य के कानूनी या अन्य लोक प्राधिकरण या अभिकरण या किसी विदेशी समुत्थान के साथ—

(क) निर्धारिती द्वारा की गई किसी संविदा के अनुसरण में इसके द्वारा ली गई किसी विदेशी परियोजना के निष्पादन के कारबार से व्युत्पन्न है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ली गई किसी संविदा के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा ली गई किसी विदेशी परियोजना के भाग के रूप में, उसके द्वारा लिए गए किसी संकर्म के निष्पादन के कारबार से व्युत्पन्न है,

वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में [6][ऐसे लाभ और अभिलाभ से,—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके चालीस प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके तीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके बीस प्रतिशत;

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 10 द्वारा (1-4-1981 से) अंत:स्थापित।
[2] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 35 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (क) के स्थान प्रतिस्थापित ।
[4] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 44 द्वारा (1-4-1978 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके दस प्रतिशत,

के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

परन्तु यह तब जब कि, यथास्थिति, ऐसी परियोजना या ऐसे संकर्म के निष्पादन के लिए प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदेय है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से अभिप्रेत है ऐसी विदेशी मुद्रा जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मानी जाती है;

(ख) "विदेशी परियोजना" से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए है—

(i) भारत के बाहर किसी भवन, सड़क, बांध, पुल या अन्य संरचना का सन्निर्माण;

(ii) भारत के बाहर किसी मशीनरी या संयंत्र का समंजन या प्रतिष्ठान;

(iii) किसी अन्य संकर्म का, (चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो) जो विहित किया जाए, निष्पादन ।

(3) इस धारा के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :—

(i) निर्धारिती, यथास्थिति, विदेशी परियोजना या उसके द्वारा ली गई विदेशी परियोजना के भागरूप संकर्म के निष्पादन के कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ की बाबत अलग लेखे रखता है, और जहां निर्धारिती किसी भारतीय कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति है वहां ऐसे लेखों की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा की गई है और निर्धारिती ने अपनी आय की विवरणी के साथ उक्त लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट को विहित रूप में प्रस्तुत कर दिया है;

[1][(iक) निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित रूप में लेखाकार से विहित प्ररूप में ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि कटौती का इस उपधारा के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है;]

(ii) [2][उस लाभ और अभिलाभ के उतने प्रतिशत, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट है] के बराबर रकम उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि खाते में नामे की जाती है जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती की जानी है और कारबार के प्रयोजनों के लिए ठीक बाद के पांच वर्ष की कालावधि के दौरान निर्धारिती द्वारा लाभांश या लाभ के रूप में वितरण किए जाने से भिन्न प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा उपयोग के लिए रिजर्व खाते में (जिसे "विदेशी परियोजना रिजर्व खाता" कहा जाएगा) जमा की जाती है;

(iii) [2][उस लाभ और अभिलाभ के उतने प्रतिशत, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट है] के बराबर रकम खण्ड (ii) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ष के अन्त से छह मास की अवधि के भीतर या [3][ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे] निर्धारिती द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, भारत में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का46) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार लाई जाती है :

परन्तु जहां खंड (ii) के अनुसरण में विदेशी परियोजना रिजर्व खाते में निर्धारिती द्वारा जमा की गई रकम या खण्ड (iii) के अनुसरण में निर्धारिती द्वारा भारत में लाई गई रकम या उक्त रकमों में से प्रत्येक [2][उस लाभ और अभिलाभ के उतने प्रतिशत, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट है] से कम है, वहां कटौती उस उपधारा के अधीन खण्ड (ii) के अनुसरण में इस प्रकार जमा की गई रकम तक या खण्ड (iii) के अनुसरण में इस प्रकार भारत में लाई गई रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, सीमित होगी ।

[4][**स्पष्टीकरण**—खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

(4) यदि उस पूर्ववर्ष के अन्त से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाती है, पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी समय निर्धारिती विदेशी परियोजना रिजर्व खाते में जमा रकम को लाभांश या लाभ के रूप में वितरण के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो निर्धारिती के कारबार का प्रयोजन नहीं है उपयोग में लाता है तो उपधारा (1) के अधीन मूलत: अनुज्ञात कटौती के बारे में यह समझा जाएगा कि वह गलती से अनुज्ञात की गई है और [@][निर्धारण अधिकारी] इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

भी सुसंगत पूर्ववर्ष इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय पुन:संगणित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा, तथा धारा 154 के उपबन्ध, जहां तक हो सके,उसको लागू होंगे और उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि उस पूर्ववर्ष के अन्त से गिनी जाएगी जिसमें धन का इस प्रकार उपयोग किया गया था ।

(5) इस अध्याय में, "ग—कतिपय आयों की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विदेशी परियोजना के या उक्त उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी संकर्म के निष्पादन के लिए निर्धारिती को संदेय प्रतिफल या प्रतिफल में समाविष्ट आय का कोई भाग ऐसे किसी अन्य उपबन्ध के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती के लिए अर्ह नहीं होगा ।]

[1][**80 जजखक. कतिपय मामलों में आवास परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती**—जहां किसी निर्धारिती की जो भारतीय कंपनी है या (कंपनी से भिन्न) ऐसा व्यक्ति है जो भारत में निवासी है, सकल कुल आय के अंतर्गत सार्वत्रिक निविदा के आधार पर निर्धारिती को दी गई किसी आवास परियोजना के निष्पादन से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ आते हैं, और ऐसी परियोजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में [2][ऐसे लाभ और अभिलाभ से,—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके चालीस प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके तीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके बीस प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके दस प्रतिशत,

के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(2) इस धारा के अधीन कटौतियां केवल तभी अनुज्ञात की जाएंगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् :—

(i) निर्धारिती अपने द्वारा हाथ में ली गई आवास परियोजना के निष्पादन के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की बाबत पृथक् लेखा रखता है और जहां निर्धारिती भारतीय कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न कोई व्यक्ति है वहां ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा करा दी गई है और निर्धारिती अपनी आय-कर विवरणी के साथ लेखा परीक्षा की ऐसी रिपोर्ट ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित विहित प्ररूप में देता है;

(ii) [2][उस लाभ और अभिलाभ के उतने प्रतिशत, जो सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट है] के बराबर रकम उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जानी है और निर्धारिती द्वारा लाभांश या लाभ के रूप में वितरण से अन्यथा उसके कारबार के प्रयोजन के लिए ठीक अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाते में (जो आवास परियोजना आरक्षित खाता कहलाएगा) जमा की जानी है :

परन्तु जहां खंड (ii) के अनुसरण में आवास परियोजना आरक्षित खाते में निर्धारिती द्वारा जमा की गई रकम [2][उस लाभ और अभिलाभ के उतने प्रतिशत जो सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट है] से कम है वहां इस धारा के अधीन कटौती खंड (ii) के अनुसरण में इस प्रकार जमा की गई रकम तक सीमित होगी ।

(3) यदि उस पूर्व वर्ष की, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कटौती मंजूर की जाती है, समाप्ति से पांच वर्ष के अवसान से पूर्व किसी समय निर्धारिती लाभांश या लाभ के रूप में वितरण के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो निर्धारिती के कारबार का प्रयोजन नहीं है, आवास परियोजना आरक्षित खाते में जमा रकम का उपयोग करता है तो उपधारा (1) के अधीन मूलत: अनुज्ञात कटौती गलती से अनुज्ञात की गई समझी जाएगी और निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय की पुन:संगणना कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा तथा धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसको लागू होंगे, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से की जाएगी जिसमें धन का इस प्रकार उपयोग किया गया था ।

(4) "ग—कतिपय आय की बाबत कटौती" शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी आवास परियोजना के निष्पादन के लिए निर्धारिती को संदेय आय का कोई भाग किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती के अधीन नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "आवास परियोजना" से—

(i) भारत के किसी भाग में किसी भवन, सड़क, पुल या किसी अन्य संरचना के निर्माण;

---

[1] 1938 के अधिनियम सं० 21 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) ऐसे अन्य संकर्म (चाहे किसी भी प्रकृति का हो), जो विहित किया जाए, के निष्पादन,

के लिए कोई परियोजना अभिप्रेत है ।

(ख) "विश्व बैंक" से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अभिप्रेत है ।]

80जजग. निर्यात कारबार के लिए प्रतिधारित लाभ की बाबत कटौती—[1][(1) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है या (कंपनी से भिन्न) भारत में निवासी कोई व्यक्ति है, भारत के बाहर किसी ऐसे माल या वाणिज्या के निर्यात के कारबार में लगा है जिसको यह धारा लागू होती है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे माल या वाणिज्या के निर्यात से निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न [2][उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट लाभ की सीमा तक कटौती] अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु यह तब जबकि निर्धारिती, जो निर्यात गृह प्रमाणपत्र या व्यापार गृह प्रमाणपत्र का धारक है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्, यथास्थिति, निर्यात गृह या व्यापार गृह कहा गया है) उपधारा (4क) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देता है कि उसमें विनिर्दिष्ट निर्यात आवर्त की रकम की बाबत इस उपधारा के अधीन कटौती किसी पृष्ठपोषक विनिर्माता को अनुज्ञात की जाए तो निर्धारिती की दशा में कटौती की रकम में से ऐसी रकम घटा दी जाएगी [3][जिसका निर्धारिती को व्यापार माल के निर्यात से व्युत्पन कुल लाभ से वही अनुपात है जो उक्त प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निर्यात आवर्त की रकम का ऐसे व्यापार माल की बाबत निर्धारिती के कुल निर्यात आवर्त से है ।]

(1क) जहां निर्धारिती ने जो पृष्ठपोषक विनिर्माता है, पूर्ववर्ष के दौरान, किसी निर्यात गृह या व्यापार गृह को किसी माल या वाणिज्या का विक्रय किया है, जिसकी बाबत निर्यात गृह या व्यापार गृह ने उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रमाणपत्र दिया है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में निर्यात गृह या व्यापार गृह को ऐसे माल या वाणिज्या के, जिसकी बाबत निर्यात गृह या व्यापार गृह ने प्रमाणपत्र दिया है, विक्रय से निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न [2][उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट लाभ की सीमा तक कटौती] अनुज्ञात की जाएगी ।

[4][(1ख) उपधारा (1) और उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, लाभ की कटौती की सीमा निम्नलिखित के बराबर रकम होगी—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आंरभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके अस्सी प्रतिशत;

[5][(ii) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके सत्तर प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके पचास प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके तीस प्रतिशत;]

और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(2) (क) यह धारा, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट या वाणिज्या से भिन्न सभी माल या वाणिज्या को लागू होती है यदि भारत के बाहर निर्यात किए गए ऐसे माल या वाणिज्या के विक्रय आगम निर्धारिती [6][पृष्ठपोषक विनिर्माता से भिन्न] द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में [7][पूर्ववर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर या, [8][ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे]] [9][भारत में प्राप्त किए जाते हैं या लाए जाते हैं;]

[10][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

(ख) यह धारा निम्नलिखित माल या वाणिज्या को लागू नहीं होती है, अर्थात् :—

(i) खनिज तेल; और

(ii) खनिज और अयस्क [11][बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत खनिज और अयस्कों से भिन्न ।]

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 24 द्वारा (1-4-1989 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 46 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 10 की धारा 34 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 22 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 22 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 22 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1991 से) अन्त:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण** 1—खंड (क) में निर्दिष्ट विक्रय आगम भारत में प्राप्त किए गए तब समझे जाएंगे जब ऐसे विक्रय आगम, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत के बाहर किसी बैंक में निर्धारिती द्वारा उस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक् खाते में जमा किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां किसी माल या वाणिज्या का किसी निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर स्थित अपनी किसी शाखा, कार्यालय, भांडागार या किसी अन्य स्थापन को अंतरण किया जाता है और ऐसा माल या वाणिज्या ऐसी शाखा, कार्यालय, भांडागार या स्थापन से विक्रय की जाती है वहां ऐसा अंतरण ऐसे माल और वाणिज्या का भारत के बारह निर्यात समझा जाएगा और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पोतपत्र या निर्यातपत्र में घोषित ऐसे माल या वाणिज्या का मूल्य, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उसका विक्रय आगम समझा जाएगा ।]

[2][(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जहां [3][निर्धारिती द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत] माल या वाणिज्या का भारत के बाहर निर्यात किया जाता है वहां ऐसे निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जिसका कारबार के लाभों से वही अनुपात है जो निर्यात-आवर्त का निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के कुल आवर्त से है;

(ख) जहां व्यापार माल का भारत के बाहर निर्यात किया जाता है वहां ऐसे निर्यात से व्युत्पन्न लाभ ऐसे व्यापार माल की बाबत वे निर्यात आवर्त होंगे जैसे कि वे ऐसे निर्यात से संबंधित प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत को घटाकर आएं;

(ग) जहां [3][निर्धारिती द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत] माल या वाणिज्या का और व्यापार माल को भारत के बाहर निर्यात किया जाता है वहां ऐसे निर्यात से व्युत्पत्र लाभ,—

(i) [3][निर्धारिती द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत] माल या वाणिज्या की बाबत वह रकम होगी जिसका कारबार के समायोजित लाभों से वही अनुपात है जो ऐसे माल की बाबत समायोजित निर्यात-आवर्त का निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के समयोजित कुल आवर्त से है; और

(ii) व्यापार माल की बाबत, ऐसे व्यापार माल की बाबत वे निर्यात-आवर्त होंगे जैसे कि वे ऐसे व्यापार माल के निर्यात से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत को घटाकर आएं :

परन्तु इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संगणित लाभ में ऐसी रकम और बढ़ा दी जाएगी जिसका धारा 28 के खंड (iiiक) में निर्दिष्ट राशि के (जो किसी अन्य व्यक्ति से अर्जित की गई किसी अनुज्ञप्ति के विक्रय से लाभ नहीं है) और खंड (iiiख) और खंड (iiiग) में निर्दिष्ट राशि के नब्बे प्रतिशत से वही अनुपात है जो निर्यात-आवर्त का निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के कुल आवर्त से है :

[4][परंतु यह और कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसका पूर्व वर्ष के दौरान निर्यात आवर्त दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, यथास्थिति, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संगणित या पहले परंतुक को लागू करने के पश्चात् फायदे में ऐसी रकम जोड़ दी जाएगी जो धारा 28 के, यथास्थिति, खंड (iiiघ) या खंड (iiiङ) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के नब्बे प्रतिशत है, उसी अनुपात में होगा जो निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त का है :

परन्तु यह भी कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसका पूर्व वर्ष के दौरान निर्यात आवर्त दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, यथास्थिति, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संगणित या पहले परंतुक को लागू करने के पश्चात् फायदे में ऐसी रकम जोड़ दी जाएगी जो धारा 28 के खंड (iiiघ) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के नब्बे प्रतिशत है, उसी अनुपात में होगा जो निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त का है, यदि निर्धारिती के पास यह साबित करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त साक्ष्य है कि,—

(क) उसके पास यह विकल्प था कि या तो वह शुल्क वापसी या शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, जो शुल्क से छूट की स्कीम है, का चुनाव करता; और

(ख) सीमाशुल्क मद्दे वापसी प्रत्यय की दर शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, जो शुल्क से छूट की स्कीम है, के अधीन अनुज्ञेय प्रत्यय की दर से अधिक थी :

परन्तु यह भी कि ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में जिसका पूर्ववर्ष के दौरान निर्यात आवृत्त दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संगणित या पहले परंतुक को लागू करने के पश्चात् फायदे में ऐसी रकम जोड़ दी जाएगी जो धारा 28 के खंड (iiiङ) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के नब्बे प्रतिशत है, उसी अनुपात में होगा जो निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त का है, यदि निर्धारिती के पास यह साबित करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त साक्ष्य है,—

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1992 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 46 द्वारा (1-4-1992 से) "निर्धारिती द्वारा विनिर्मित" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा (1-4-1998 से) अंत:स्थापित ।

(क) उसके पास यह विकल्प था कि या तो वह शुल्क वापसी या शुल्क मुफ्त पुन:पूर्ति प्रमाणपत्र स्कीम, जो शुल्क से छूट की स्कीम है, का चुनाव करता; और

(ख) सीमाशुल्क मद्दे वापसी प्रत्यय की दर शुल्क मुफ्त पुन:पूर्ति प्रमाणपत्र स्कीम, जो शुल्क से छूट की स्कीम है, के अधीन अनुज्ञेय प्रत्यय की दर से अधिक थी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनुज्ञेय प्रत्यय की दर" से शुल्क मुफ्त पुन:पूर्ति प्रमाणपत्र, जो शुल्क से छूट की स्कीम है, के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित रीति में संगणित अनुज्ञेय प्रत्यय दर अभिप्रेत है :]

[1][परन्तु यह भी कि यदि इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संगणना की दशा में कोई हानि होती है तो ऐसी हानि उस रकम के विरुद्ध मुजरा की जाएगी जो निम्नलिखित के नब्बे प्रतिशत है,—

(क) यथास्थिति, खंड (iiiक) या खंड (iiiख) या खंड (iiiग) में उल्लिखित कोई धनराशि; या

(ख) यथास्थिति, दूसरे या तीसरे या चौथे परंतुक में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती की दशा में लागू धारा 28 के, यथास्थिति, खंड (iiiघ) या खंड (iiiङ) में निर्दिष्ट कोई धनराशि,

उस अनुपात में होगी जो निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त के साथ है ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समायोजित निर्यात-आवर्त" से ऐसा निर्यात-आवर्त अभिप्रेत है जैसा कि वह व्यापार माल की बाबत निर्यात-आवर्त को घटाकर आए ;

(ख) "कारबार के समायोजित लाभ" से कारबार के ऐसे लाभ अभिप्रेत हैं जैसे कि वे व्यापार माल के भारत के बाहर निर्यात के कारबार से व्युत्पन्न लाभों को, जो उपधारा (3) के खंड (ख) में उपबंधित रीति से संगणित किए जाएं, घटाकर आएं;

(ग) "समायोजित कुल आवर्त" से कारबार का ऐसा कुल आवर्त अभिप्रेत है जो व्यापार माल की बाबत निर्यात-आवर्त को घटाकर आए;

(घ) "अप्रत्यक्ष लागत" से भारत के बाहर निर्यातित व्यापार माल से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागत अभिप्रेत हैं जिसके अन्तर्गत ऐसे माल की क्रय कीमत है;

(ङ) "अप्रत्यक्ष लागत" से व्यापार माल की बाबत निर्यात-आवर्त के उस अनुपात में, जो उसका कुल आवर्त से है, आबंटित लागत अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष लागत नहीं है;

(च) "व्यापार माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है जिसका [2][निर्धारिती द्वारा विनिर्माण या प्रसंस्करण] नहीं किया जाता है;]

[3][(3क) उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, माल या वाणिज्या के विक्रय से पृष्ठपोषक विनिर्माता द्वारा व्युत्पन्न लाभ,—

(क) उस दशा में जहां पृष्ठषोषक विनिर्माता जो कारबार चलाता है, उसमें अनन्यत: एक या अधिक निर्यात गृहों या व्यापार गृहों को माल या वाणिज्या का विक्रय है, [4]*** शीर्ष के अधीन संगणित कारबार के लाभ होंगे;

(ख) उस दशा में जहां पृष्ठपोषक विनिर्माता जो कारबार चलाता है, उसमें अनन्यत: एक या अधिक निर्यात गृहों को माल या वाणिज्या का विक्रय करना नहीं है वहां, वह रकम होगी जिसका कारबार के लाभ [4]*** से वही अनुपात है जो संबंधित निर्यात गृह या व्यापार गृह को विक्रय की बाबत आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले कारबार के कुल आवर्त से है ।]

[5][(4) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञेय होगी जब निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट विहित प्ररूप में यह प्रमाणित करते हुए देता है कि [6][इस धारा के उपबंधों के अनुसार] कटौती का सही दावा किया गया है :]

[7][परंतु उपधारा (4ग) में निर्दिष्ट उपक्रम की दशा में, निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विशेष आर्थिक जोन में उपक्रम से एक प्रमाणपत्र भी देगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं, और वे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन विशेष आर्थिक जोन में उपक्रम के लेखों की संपरीक्षा करने वाले संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की जाएगी ।]

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 46 द्वारा (1-4-1992 से) "जिसका निर्धारिती द्वारा विनिर्माण" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 24 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1992 से) लोप किया गया ।
[5] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 11 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 36 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[1][(4क) उपधारा (1क) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञेय होगी जब पृष्ठपोषक विनिर्माता अपनी आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में निम्नलिखित दे देता है, अर्थात् :—

(क) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित, लेखापाल की रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि निर्यात गृह या व्यापार गृह को माल या वाणिज्या के विक्रय की बाबत पृष्ठपोषक विनिर्माता [2][के लाभ] के आधार पर कटौती का सही दावा किया गया है; और

(ख) निर्यात गृह या व्यापार गृह से एक प्रमाणपत्र, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विहित की जाएं और विहित रीति से यह सत्यापित होगा कि प्रमाणपत्र में उल्लिखित निर्यात-आवर्त की बाबत निर्यात गृह या व्यापार गृह ने इस धारा के अधीन कटौती का दावा नहीं किया है :

परन्तु खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन निर्यात गृह या व्यापार गृह के लेखाओं की संपरीक्षा करने वाले संपरीक्षक द्वारा सम्यक्त: प्रमाणित किया जाएगा ।]

[3][(4ख) उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन कुल आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए ऐसी किसी आय को जो इस अधिनियम के अधीन कर से प्रभारित नहीं की गई, अपवर्जित किया जाएगा ।]

[4][(4ग) इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती को,—

(क) 31 मार्च, 2004 के पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए;

(ख) जो ऐसे उपक्रम का स्वामी है, जो भारत में कहीं भी (किसी विशेष आर्थिक जोन के बाहर) माल या वाणिज्या का विनिर्माण या उत्पादन करता है और विशेष आर्थिक जोन में स्थित किसी उपक्रम को उसका विक्रय करता है जो धारा 10क के अधीन कटौती के लिए पात्र है और ऐसा विक्रय इस धारा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर निर्यात माना जाएगा,

को लागू होंगे ।]

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से अभिप्रेत है ऐसी विदेशी मुद्रा जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मानी गई है;

[5][(कक) "भारत के बाहर निर्यात" के अन्तर्गत भारत में स्थित किसी दुकान, एम्पोरियम या किसी अन्य स्थापन में विक्रय के रूप में या अन्यथा कोई ऐसा संव्यवहार नहीं है जिसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर निकासी अन्तर्वलित नहीं है;]

(ख) "निर्यात-आवर्त" से ऐसे किसी माल या वाणिज्या के जिसको यह धारा लागू होती है और जिसका भारत के बाहर निर्यात किया जाता है, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में [6][उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार] निर्धारिती द्वारा [7][भारत से प्राप्त किए गए या लाए गए] विक्रय आगम अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा भाड़ा या बीमा नहीं है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित सीमाशुल्क स्टेशन से परे माल या वाणिज्या के परिवहन के कारण हुआ माना जा सकता है;

[8][(खक) "कुल आवर्त" के अन्तर्गत ऐसा भाड़ा या बीमा नहीं है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित सीमाशुल्क स्टेशन से परे किसी माल या वाणिज्या के परिवहन के कारण हुआ माना जा सकता है :

परन्तु 1 अप्रैल, 1991 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, "कुल आवर्त" पद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसके अन्तर्गत धारा 28 के खंड (iiiक), खंड (iiiख), [9][खंड (iiiग), खंड (iiiघ), और खंड (iiiङ)] में निर्दिष्ट कोई राशि न हो ;]

[10][(खकक) "कारबार के लाभ" से अभिप्रेत है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित कारबार के लाभ, जैसे कि वे निम्नलिखित को घटाकर आएं, अर्थात् :—

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 24 द्वारा (1-4-1989) अंत:स्थापित ।
[2] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 15 द्वारा (1-4-1989 से) "की आय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1986 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 23 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1990 के अधिनिमय सं० 12 की धारा 22 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[8] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।
[9] 2005 के अधिनिमय सं० 55 की धारा 4 द्वारा (1-4-1998 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।

(1) धारा 28 के खंड (iiiक), (iiiख) [1][खंड (iiiग), खंड (iiiघ), खंड (iiiङ)] में निर्दिष्ट राशि का या दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया, प्रभार या वैसी ही प्रकृति की किसी अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्तियों को, जो ऐसे लाभों में सम्मिलित है, नब्बे प्रतिशत; और

(2) भारत के बाहर स्थित निर्धारिती की किसी शाखा, कार्यालय, भांडागार या किसी अन्य स्थापन के लाभ;]

[2]* * * * * * *

[3][(ग)] "निर्यात गृह प्रमाणपत्र" या "व्यापार गृह प्रमाणपत्र" से भारत सरकार के मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक द्वारा दिया गया विधिमान्य, यथास्थिति, निर्यात गृह प्रमाणपत्र या व्यापार गृह प्रमाणपत्र अभिप्रेत है,

[3][(घ)] "पृष्ठपोषक विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय कंपनी या (कंपनी से भिन्न) भारत में निवासी कोई व्यक्ति है जो [4][माल या वाणिज्या का विनिर्माण जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है] करता है और ऐसे माल या वाणिज्या का किसी निर्यात गृह या व्यापार गृह को निर्यात के प्रयोजन के लिए विक्रय करता है,]

[5][(ङ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा जो धारा 10क के स्पष्टीकरण 2 के खंड (viii) में है ।]

[6][**80जजघ. संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपार्जनों की बाबत कटौती**—(1) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कम्पनी या भारत में निवासी व्यक्ति (कम्पनी से भिन्न है), विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित होटल या पर्यटन प्रचालक के कारबार में या यात्रा अभिकर्ता के कारबार में लगा हुआ है, वहां [7][निर्धारिती की—

(क) 1 अप्रैल, 2001 से आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में निम्नलिखित के योग के बराबर राशि की कटौती,—

(i) विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसके द्वारा, प्राप्त लाभों का चालीस प्रतिशत; और

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट लाभ के चालीस प्रतिशत से अनधिक उतनी रकम, जितनी उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है जिसकी बाबत कटौती मंजूर की जानी है और उपधारा (4) में अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाते में जमा की जानी है;

(ख) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निम्नलिखित के योग के बराबर राशि की कटौती,—

(i) विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसके द्वारा प्राप्त लाभों का तीस प्रतिशत; और

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट लाभ के तीस प्रतिशत से अनधिक उतनी रकम, जितनी उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है जिसकी बाबत कटौती मंजूर की जानी है और उपधारा (4) में अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाते में जमा की जानी है,

(ग) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निम्नलिखित के योग के बराबर राशि की कटौती,—

(i) विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसके द्वारा प्राप्त लाभों का [8][पच्चीस प्रतिशत]; और

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट लाभों के [8][पच्चीस प्रतिशत] से अनधिक उतनी रकम, जितनी उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है जिसकी बाबत कटौती मंजूर की जानी है और उपधारा (4) में अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाते में जमा की जानी है;

(घ) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निम्नलिखित के योग के बराबर राशि की कटौती,—

(i) विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसके द्वारा प्राप्त लाभों का [8][पंद्रह प्रतिशत]; और

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट लाभों के [8][पन्द्रह प्रतिशत] से अनधिक उतनी रकम, जितनी उस पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई है जिसकी बाबत कटौती मंजूर की जानी है और उपधारा (4) में

---

[1] 2005 के अधिनिमय सं० 55 की धारा 4 द्वारा (1-4-1998 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 28 द्वारा (1-4-1991 से) लोप किया गया ।

[3] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 15 द्वारा (1-4-1989 से) पुन:संख्यांकित किया गया ।

[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 22 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 16 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।

[7] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकथित रीति में निर्धारिती के कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित खाता में जमा की जानी है,

इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

[1][परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा 30 नवम्बर, 1989 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 1991 के पूर्व अनुमोदित होटल या, यथास्थिति, पर्यटन प्रचालक को, यथास्थिति, 1 अप्रैल, 1989 या 1 अप्रैल, 1990 अथवा 1 अप्रैल, 1991 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में, इस धारा के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा यदि निर्धारिती उक्त निर्धारण वर्षों में से किसी से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे होटल या ऐसे पर्यटन प्रचालक के कारबार में लगा हुआ था ।]

(2) यह धारा विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई केवल उन सेवाओं को लागू होती है जिनके संबंध में, [2][निर्धारिती द्वारा रसीदें पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या [3][ऐसी अतिरिक्त अवाधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे,] संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त की जाती है या लाई जाती है ।]

[4][**स्पष्टीकरण** [5][**1**]—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए होटल या पर्यटन प्रचालक या यात्रा अभिकर्ता [6][किसी अन्य होटल चलाने वाले, पयर्टन प्रचालक या यात्रा अभिकर्ता से] के कारबार में लगे किसी निर्धारिती द्वारा किसी विदेशी पर्यटक या विदेशी पर्यटकों के किसी समूह की ओर से, यथास्थिति, किसी पर्यटन प्रचालक या यात्रा अभिकर्ता से किसी प्राधिकृत व्यवहारी के माध्यम से भारत में लाई गई विदेशी मुद्रा के संपरितर्वन द्वारा अभिप्राप्त भारतीय करेंसी में प्राप्त कोई संदाय निर्धारिती द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया समझा जाएगा यदि संदाय करने वाला व्यक्ति निर्धारिती को उपधारा (2क) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र देता है ।]

[7][**स्पष्टीकरण 2**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

[4][(2क) उपधारा (2) के [3][स्पष्टीकरण 1] में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती को किसी विदेशी पर्यटक या विदेशी पर्यटकों के किसी समूह से या उसकी ओर से प्राप्त विदेशी मुद्रा के संपरितर्वन द्वारा अभिप्राप्त भारतीय करेंसी में से संदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस निर्धारिती को, विहित प्ररूप में, एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें विदेशी मुद्रा में प्राप्त रकम, उसका भारतीय करेंसी में संपरितर्वन और ऐसी अन्य विशिष्टियां उपदर्शित की जाएंगी जो विहित की जाएं ।]

[2][(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त लाभ वह रकम होगी जिसका ("कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित) कारबार के लाभों से वही अनुपात है जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राप्तियों का [8][जैसा कि वे निर्धारिती द्वारा किए गए किसी संदाय को, जो उपधारा (2क) में निर्दिष्ट है घटाकर आएं] निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार की कुल प्राप्तियों से है ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आरक्षित खाता में जमा की गई रकम निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व उपयोग में लाई जाएगी जिसमें रकम को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जमा किया गया था, अर्थात् :—

(क) इस निमित्त विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नए होटलों का निर्माण या इस प्रकार पहले से अनुमोदित विद्यमान होटलों में सुविधाओं का विस्तार;

(ख) इस प्रकार पहले से अनुमोदित पर्यटन प्रचालकों या यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा नई कारों तथा नए कोचों का क्रय;

(ग) पर्वतारोहण, लम्बी पैदाल यात्री (ट्रेकिंग), गोल्फ, नदी-रेफ्टिंग, तथा जल में या उसके ऊपर अन्य क्रीड़ाओं के लिए क्रीड़ा उपस्करों का क्रय;

(घ) सम्मेलन या कन्वेंशन केन्द्रों का सन्निर्माण;

(ङ) भारतीय पर्यटन के विकास के लिए ऐसी नई सुविधाओं की व्यवस्था जैसी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

[7][(च) किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किए गए पूंजी के किसी पात्र पुरोधरण के भागरूप साधारण शेयरों के लिए अभिदाय :]

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 29 द्वारा (1-10-1991 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 23 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1999 के अधिनयम सं० 27 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 29 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1999 के अधिनयम सं० 27 की धारा 47 द्वारा संख्यांकित ।
[6] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 25 द्वारा (1-4-1995 से) "किसी पर्यटन प्रचालक या यात्रा अभिकर्ता से" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 25 द्वारा (1-4-1995 से) अन्त:स्थापित ।

परन्तु जहां खंड [1][(क) से खंड (च)] में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप निर्धारिती के स्वामित्व में भारत से बाहर कोई आस्ति का सृजन होता है वहां ऐसी आस्ति का सृजन विहित प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए।

(5) जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आरक्षित खाता में जमा की गई किसी रकम का,—

(क) उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है वहां ऐसी उपयोग की गई रकम को; या

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट रीति से उपयोग नहीं किया गया है, वहां इस प्रकार उपयोग न की गई रकम को निम्नलिखित वर्षों में लाभ समझा जाएगा;

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में, उस वर्ष में जिसमें रकम का इस प्रकार उपयोग किया गया था; या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में, उस वर्ष में जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि का ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष है,

और वह तदनुसार कर के लिए प्रभारित की जाएगी।

[2][(5क) जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आरक्षित खाते में जमा की गई कोई रकम उपधारा (4) के खंड (च) में निर्दिष्ट किन्हीं साधारण शेयरों के अभिदाय के लिए उपयोग की गई है और ऐसे संपूर्ण साधारण शेयरों या उनके किसी भाग को उनके अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय निर्धारिती द्वारा अंतरित या धन में संपरिवर्तित किया जाता है वहां ऐसे साधारण शेयरों की बाबत इस प्रकार उपयोग की गई कुल रकम उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें साधारण शेयरों को अंतरित या धन में संपरिवर्तित किया जाता है, लाभ समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने किन्हीं शेयरों को उस तारीख को अर्जित किया है जिसको उन शेयरों के संबंध में, उसका नाम पब्लिक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।]

(6) उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट नहीं देता है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कटौती का दावा [3][विदेशी पर्यटकों को निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसे प्राप्त संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा की रकम [4][उपधारा (2क) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती को उसके द्वारा किए गए संदाय] और [1][उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1] में निर्दिष्ट भारतीय करेंसी में उसे प्राप्त संदायों [5]*** के आधार पर सही तौर पर किया गया है।

[6][(7) जहां किसी होटल के कारबार से व्युत्पन्न लाभ की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है, वहां लाभ का ऐसा भाग, "ग—कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस सीमा तक कटौती के अधीन नहीं होगा और किसी भी दशा में ऐसे होटल के लाभ और अभिलाभ से अधिक नहीं होगा।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "यात्रा अभिकर्ता" से ऐसा यात्रा अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जो वायुयान सेवा या पोत परिवहन कंपनी का नहीं है) अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 32 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदत्त विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करता है,

(ख) "संपरिर्वतनीय विदेशी मुद्रा" का वही अर्थ होगा जो धारा 80जजग के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है,

(ग) "विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं" के अन्तर्गत सें सेवाएं नहीं होंगी जो ऐसे व्यक्ति के, जो किसी होटल या पर्यटन प्रचालक या किसी यात्रा अभिकर्ता का कारबार करता है, स्वामित्वाधीन या प्रबन्ध के अधीन किसी दुकान में विक्रय के रूप में है,]

[7][(घ) "प्राधिकृत व्यवहारी", "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय करेंसी" के वही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1974 का 46) की धारा 2 के खंड (ख), खंड (ज) और खंड (ट) में हैं,]

[2][(ङ) "पूंजी का पात्र पुरोधरण" से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत पब्लिक कंपनी द्वारा किया गया पुरोधरण अभिप्रेत है और पुरोधण के संपूर्ण आगमों का पूर्णतया और अनन्य रूप से—

(i) विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नए होटलों को स्थापित करने और उन्हें चलाने का; या

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 29 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 25 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित।
[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 25 द्वारा (1-4-1995 से) "के योग" शब्दों का लोप किया गया।
[6] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित।
[7] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 29 द्वारा अंत:स्थापित।

(ii) भारत में पर्यटन के विकास के लिए, ऐसी नई सुविधा उपलब्ध कराने का, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

कारबार चलाने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है ।]

[1][**80जजङ. कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री, आदि के निर्यात से लाभ की बाबत कटौती**—(1) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है या (कंपनी से भिन्न) कोई व्यक्ति है, जो भारत में निवासी है,—

(i) कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री का भारत के बाहर-निर्यात या भारत के बाहर किसी स्थान के लिए भारत से किसी भी माध्यम से उसके पारेषण के;

(ii) कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री के विकास या उत्पादन के संबंध में भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के,

कारबार में लगा है वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, निर्धारिती द्वारा ऐसे कारबार से व्युपन्न [2][उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट लाभ की सीमा तक कटौती इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी :

[3][परन्तु यदि निर्धारिती जो कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री का भारत के बाहर निर्यात में लगी हुई कंपनी है, उपधारा (4क) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करता है तो उसमें विनिर्दिष्ट निर्यात की रकम की बाबत इस उपधारा के अधीन कटौती सहायक प्रक्रिया सामग्री विकसित करने वाले को अनुज्ञात की जानी है वहां किसी निर्धारिती की दशा में कटौती की रकम में से वह रकम कम कर दी जाएगी जो ऐसे निर्धारिती द्वारा उस निर्यात से प्राप्त किए गए कुल लाभों के उस अनुपात में होगी जो उक्त प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निर्यात आवर्त की रकम का निर्धारिती के कुल निर्यात आवर्त से है ।

[4][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत से बाहर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से, जिसके अंतर्गत (साफ्टवेयर के विकास और लिए सेवा भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।]

(1क) जहां निर्धारिती ने जो सहायक प्रकिया सामग्री विकसित करने वाला है, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री विकसित की है और उसे निर्यातक कंपनी को बेचा है जिसकी बाबत उक्त कंपनी ने उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया है वहां निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में निर्धारिती द्वारा कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री को विकसित करने और उसे निर्यातक कंपनी को विक्रय करने से हुए लाभ की कटौती [5][उस सीमा तक और उतने वर्षों के लिए जो उपधारा (1ख) में विनिर्दिष्ट किए जाएं] इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी जिसके संबंध में उक्त कंपनी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।]

[5][(1ख) उपधारा (1) और उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, लाभ की कटौती की सीमा निम्नलिखित के बराबर रकम होगी—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभ का अस्सी प्रतिशत;

[6][(ii) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके सत्तर प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके पचास प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके तीस प्रतिशत,]

और 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

परन्तु ऐसी कटौती, 1 अप्रैल, [7][[8][1996]] को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती द्वारा, उस उपधारा में निर्दिष्ट कंम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री की बाबत प्रतिफल, पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर, या [9][ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे] संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है ।

स्पष्टीकरण [10][**1**]—उक्त प्रतिफल भारत में प्राप्त किया गया तब समझा जाएगा जब वह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत के बाहर किसी बैंक में निर्धारिती द्वारा उस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जाता है ।

---

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 14 द्वारा (1-4-1993 से) "1994" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 26 द्वारा "1996" अंक राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[9] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 48 द्वारा संख्यांकित ।

[1][**स्पष्टीकरण 2**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उस उपधारा में निर्दिष्ट कारबार से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जिसका कारबार के लाभ से वही अनुपात है जो निर्यात-आवर्त का निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के कुल आवर्त से है ।

[2][(3क) उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए सहायक प्रक्रिया सामग्री विकसित कर्ता द्वारा व्युत्पन्न लाभ,—

(i) उस दशा में जहां सहायक प्रक्रिया सामग्री विकसित कर्ता द्वारा किसी जाने वाले कारबार के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री को विकसित करने और उसे एक या अधिक निर्यातक कंपनियों को विक्रय करने का कारबार ही है, ऐसे कारबार के लाभ होंगे;

(ii) उस दशा में जहां सहायक प्रक्रिया सामग्री विकसित कर्ता द्वारा किए जाने वाले कारबार के अंतर्गत अनन्यत: कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री को विकसित करने और उसे एक या अधिक निर्यातक कंपनियों का विक्रय करने का कारबार सम्मलित नहीं है, ऐसी रकम होगी जो कारबार के लाभ के उस अनुपात में होगी जिसमें निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले कारबार का कुल आवर्त है ।]

(4) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञेय होगी जब निर्धारिती आय की विवरणी के साथ, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार कटौती का सही दावा किया गया है, विहित प्ररूप में देता है ।

[2][(4क) उपधारा (1क) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि सहायक प्रक्रिया सामग्री विकसित कर्ता ने अपनी आय विवरणी के साथ विहित प्ररूप में,—

(i) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए न दे दी हो कि उक्त कटौती का दावा निर्यातक कंपनी को कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री के निर्यात के लिए अपने विक्रय की बाबत सहायक प्रक्रिया सामग्री विकसित करने वाले के लाभ के आधार पर सही रूप में किया गया है; और

(ii) निर्यातक कंपनी से ऐसा प्रमाणपत्र न दिया हो जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हैं जो विहित की जाएं और उस प्रमाणपत्र में वर्णित निर्यात-आवर्त के संबंध में विहित रीति से सत्यापित न कर दिया हो और निर्यातक कंपनी ने इस धारा के अधीन कटौती या दावा नहीं किया हो :

परन्तु खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र इस धारा के उपबंधों के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन निर्यातक निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा करने वाले संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किया जाएगा ।]

(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार के लाभ की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा इस धारा के अधीन किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है वहां ऐसे लाभ की बाबत कोई कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— .

(क) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" का वही अर्थ है जो धारा 80जजग के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है;

[3][(ख) "कंप्यूटर सोफ्टवेयर" से अभिप्रेत है,—

(i) किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना संग्रह युक्ति में अभिलिखित कोई कंप्यूटर कार्यक्रम; या

(ii) कोई ग्राहक-अपेक्षित इलैक्ट्रानिक डाटा या कोई उत्पाद या इसी प्रकृति की ऐसी कोई सेवा जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

जो भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को किन्हीं साधनों के द्वारा पारेषित या निर्यात की जाती है ।]

(ग) "निर्यात-आवर्त" से, किसी निर्धारिती द्वारा, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपधारा (2) के अनुसार भारत में प्राप्त किया गया या लाया गया कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री की बाबत प्रतिफल अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री के भारत के बाहर परिदान के कारण हुआ माना जा सकने वाला भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा अथवा भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, नहीं है,

[3][(गक) "निर्यातक कंपनी" से उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री का वस्तुत: निर्यात करती है;]

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 48 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) "कारबार के लाभ" से अभिप्रेत है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित कारबार के लाभ, जैसे कि वे निम्नलिखित को घटाकर आए, अर्थात् :—

(1) दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया, प्रभार या वैसी ही प्रकृति की किसी अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्तियों का जो ऐसे लाभों में सम्मिलित है, नब्बे प्रतिशत; और

(2) भारत के बाहर स्थित निर्धारिती की किसी शाखा, कार्यालय, भांडागार या किसी अन्य स्थापन के लाभ;

(ङ) "कुल आवर्त" के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है,—

(i) धारा 28 के खंड (iiiक), खंड (iiiख) और (iiiग) में निर्दिष्ट कोई राशि;

(ii) कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री के भारत के बाहर परिदान के कारण हुआ माना जा सकने वाला कोई भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा, और

(iii) भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो;]

[1][(ङक) "सहायक प्रक्रिया सामग्री विकसित कर्ता" से कोई ऐसी भारतीय कंपनी या भारत में निवासी (कंपनी से भिन्न) कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्यात के प्रयोजनों के लिए कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री का विकास कर रहा है और किसी निर्यातक कंपनी को विक्रय कर रहा है ।]

[2][**80जजच. फिल्म साफ्टवेयर आदि के निर्यात या अंतरण से लाभ और अधिलाभ की बाबत कटौती**—(1) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी [3][या भारत में निवासी (कंपनी से भिन्न) कोई व्यक्ति] है, किसी फिल्म सॉफ्टेवर, टेलीविजन सॉफ्टवेयर, संगीत सॉफ्टवेयर, टेलीविजन समाचार सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत प्रसारण अधिकार भी हैं, (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर अधिकार कहा गया है) के, किसी भी माध्यम से भारत के बाहर, निर्यात या अंतरण के कारबार में लगी हुई है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में [4][उपधारा (1क) में निर्दिष्ट लाभ की सीमा तक कटौती] इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी ।

[3][(1क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, लाभ की कटौती की सीमा निम्नलिखित के बराबर रकम होगी—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे लाभ का अस्सी प्रतिशत;

[5][(ii) 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके सत्तर प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके पचास प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए उसके तीस प्रतिशत;

और 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती, तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती द्वारा उस उपधारा में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर अधिकारों की बाबत प्रतिफल, पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उस उपधारा में निर्दिष्ट कारबार से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जिसका कारबार के लाभ से वही अनुपात है जो निर्यात-आवर्त का निर्धारिती द्वारा चलाए जा रहे कारबार के कुल आवर्त से है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी अनुज्ञेय होगी जब निर्धारिती आय की विवरणी के साथ, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का सही दावा किया गया है, विहित प्ररूप में देता है ।

(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार के लाभ की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा इस धारा के अधीन किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे लाभ की बाबत कोई कटौती उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर अधिकारों की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि ऐसा कारबार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 49 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदाय और संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है;

(ख) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" का वही अर्थ है जो धारा 80जजग के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है;

(ग) "निर्यात-आवर्त" से किसी निर्धारिती द्वारा, संपरितर्वनीय विदेशी मुद्रा में उपधारा (2) के अनुसार भारत में प्राप्त किया गया या लाया गया खंड (घ), खंड (ङ), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) में विनिर्दिष्ट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अधिकारों की बाबत प्रतिफल अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत ऐसे सॉफ्टवेयर के भारत के बाहर परिदान के कारण हुआ माना जा सकने वाला भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा अथवा भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, नहीं है;

(घ) "फिल्म सॉफ्टवेयर" से ऐसीटेट पालिएस्टर या सैलुलाइड फिल्म पाजिटिव या, चुम्बकीय टेप या अंकीय माध्यम और अन्य प्रकाशित या चुंबकीय युक्तियों पर चलचित्रिकी के सदृश बनाई गई किसी प्रक्रिया द्वारा चलचित्र की कोई प्रति अभिप्रेत है जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 3 के के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है;

(ङ) "संगीत सॉफ्टवेयर" के अंतर्गत चुम्बकीय टेप, कैसेट, कम्पैक्ट डिस्क, अंकीय माध्यम पर रिकार्ड की गई ध्वनि या संगीत की आवली अभिप्रेत है जो किसी समुचित साधित्र पर चलाई जा सकती है या पुनरुत्पादित की जा सकती है;

(च) "कारबार के लाभ" से अभिप्रेत है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित कारबार के लाभ, जैसे कि वे निम्नलिखित को घटाकर आए, अर्थात् :—

(अ) दलाली, कमीशन, ब्याज, किराया, प्रभार या वैसी ही प्रकृति की किसी अन्य प्राप्ति के रूप में प्राप्तियों का, जो ऐसे लाभों में सम्मिलित है, नब्बे प्रतिशत; और

(आ) भारत के बाहर स्थित निर्धारिती की किसी शाखा, कार्यालय, भांडागार या किसी अन्य स्थापन के लाभ;

(छ) "प्रसारण अधिकार" से किसी टेलीविजन नेटवर्क पर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थलीय पारेषण के माध्यम से या किसी उपग्रह प्रसारण द्वारा चलचित्र या टेलीविजन कार्यक्रम प्रदर्शित करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति या संविदा अभिप्रेत है;

(ज) "टेलीविजन समाचार सॉफ्टवेयर" से स्थलीय पारेषण, तार या उपग्रह, वीडियो कैसेट या अंकीय माध्यम पर सीधे या पूर्व रिकार्डिंग द्वारा ध्वनि और आकृति, रिपोर्टों, डाटा और ध्वनियों का संग्रहण अभिप्रेत है;

(झ) "टेलीविजन सॉफ्टवेयर" से स्थलीय पारेषण, उपग्रह या प्रसार के किसी अन्य माध्यम द्वारा फिल्म या टेप या अंकीय माध्यम या प्रसारण पर रिकार्ड की गई ध्वनियों और आकृतियों का कोई कार्यक्रम या आवली अभिप्रेत है;

(ञ) "कुल आवर्त" के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(अ) धारा 28 के खंड (iiiक), खंड (iiiख) और खंड (iiiग) में निर्दिष्ट कोई राशि;

(आ) यथास्थिति, खंड (घ), खंड (ङ), या खंड (छ), खंड (ज) या खंड (झ) में परिभाषित फिल्म सॉफ्टवेयर, संगीत सॉफ्टवेयर, प्रसारण अधिकारों, टेलीविजन समाचार सॉफ्टवेयर या टेलीविजन सॉफ्टवेयर के भारत के बाहर परिदान के कारण हुआ माना जा सकने वाला कोई भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा; और

(इ) भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो ।]

[1][**80झ. निश्चित तारीख के पश्चात् औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभों की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं जो किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या [2][होटल के कारबार या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत करने के कारबार से] जिसे यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न है, वहां निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में ऐसे लाभों और अभिलाभों में से इस धारा के उपबन्धों के अनुसार और अध्यधीन उसके बीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु किसी निर्धारिती की दशा में जो कंपनी है, इस उपधारा के [3][उपबंध औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे] मानो ''बीस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस प्रतिशत'' शब्द रखे गए हों ।

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 16 द्वारा (1-4-1981 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1984 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 5 द्वारा (1-4-1984 से) "लागू होंगे" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी निर्धारिती द्वारा,—

(i) किसी औद्योगिक उपक्रम से, जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् [2][किंतु 1 अप्रैल, 1991 के पूर्व] या चीज का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है या अपने शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन आरंभ करता है; या

(ii) किसी पोत से, जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् [2][किंतु 1 अप्रैल, 1991 के पूर्व] पहली बार प्रयोग में लाया जाता है; या

(iii) होटल के कारबार से जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् [2][किंतु 1 अप्रैल, 1991 के पूर्व] आरम्भ किया जाता है,

व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के संबंध में, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे लाभों और अभिलाभों में से इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जो कंपनी है, इस उपधारा के उपबंध किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्द रखे गए हों ।]

(2) यह धारा किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है, अर्थात् :—

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का, नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है;

(iii) वह भारत के किसी भाग में ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है, जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है या भारत के किसी भाग में एक या एक से अधिक शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन करता है और 31 मार्च, 1981 के ठीक बाद के [3][दस वर्ष] की कालावधि में या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के अन्दर, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचा द्वारा, किसी विशिष्ट औद्योगिक उपक्रम के प्रति निर्देश से विनिर्दिष्ट करे, किसी समय वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन या ऐसे संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन आरम्भ करता है;

(iv) उस दशा में जिसमें औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करता है वह उपक्रम शक्ति की सहायता से चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में दस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है, अथवा शक्ति की सहायता के बिना चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या अधिक कर्मकार नियोजित करता है :

परन्तु खंड (i) की शर्त ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम के कारबार के, जैसा धारा 33ख में निर्दिष्ट है, इस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और कालावधि के अन्दर पुन:स्थापन, पुन:सन्निर्माण या पुन:चालन के फलस्वरूप बना है :

परन्तु यह और कि किसी लघु उद्योग उपक्रम के संबंध में खंड (iii) की शर्त इस प्रकार लागू होगी मानो ''जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है'' शब्दों का लोप किया गया हो ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए ऐसी मशीनरी या संयंत्र जो निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर प्रयुक्त था, किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र नहीं समझी जाएगी यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं; अर्थात् :—

(क) ऐसे मशीनरी या संयंत्र को, निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पहले किसी समय भारत में प्रयुक्त नहीं किया गया था;

(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र को भारत से बाहर किसी देश से भारत में आयात किया गया है; और

(ग) निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में उस मशीनरी या संयंत्र के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवक्षयण के रूप में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग जो उसके पहले किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता था किसी नए कारबार को अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अन्तिरत मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य उस कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां इस उपधारा के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन हो गया है ।

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 24 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 31 द्वारा (1-4-1991 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 31 द्वारा (1-4-1991 से) "चौदह वर्ष" से स्थान पर प्रतिस्थापित और 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 24 द्वारा (1-4-1990 से) "नौ वर्ष" के स्थान पर "चौदह वर्ष" प्रतिस्थापित किए गए थे ।

स्पष्टीकरण 3—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''लघु उद्योग उपक्रम'' का वही अर्थ है जो धारा 80जजक की उपधारा (8) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है ।

(3) यह धारा किसी पोत को उस दशा में लागू होती है जिसमें निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात् :—

(i) वह किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन है और उसका प्रयोग पूर्णत: उस कम्पनी द्वारा किए जा रहे कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) यह उस भारतीय कंपनी द्वारा अर्जन की तारीख से पूर्व भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वधीन नहीं था और उसके द्वारा भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रयुक्त नहीं था; तथा

(iii) वह 1981 के अप्रैल के प्रथम दिन के ठीक आगामी [1][दस वर्ष] की कालावधि के अन्दर किसी समय उस भारतीय कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है ।

(4) यह धारा किसी होटल के कारबार को उस दशा में लागू होती है जिसमें निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात् :—

(i) होटल का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके या होटल के रूप में तत्पूर्व प्रयुक्त किसी भवन का या किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अन्तरण करके नहीं बना है;

(ii) होटल का कारबार भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी के, जिसकी समादत्त पूंजी पांच लाख रुपए से अन्यून है, स्वामित्वाधीन है और उसके द्वारा चलाया जा रहा है;

(iii) होटल, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, तत्समय अनुमोदित है;

(iv) होटल का कारबार 1981 के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् किन्तु [2][[3][1991] के पूर्व कार्य करना आरंभ होता है ।

[4][(4क) यह धारा ऐसे समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत करने के कारबार को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी करते हों, अर्थात् :—

(i) वह कारबार ऐसे कारबार को जो पहले से अस्तित्व में हैं विभाजित करके या पुनर्गठित करके नहीं बना है;

(ii) वह ऐसी मशीनरी या संयंत्र का, जिसका पहले किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किसी नए कारबार का अंतरण करके नहीं बना है;

(iii) वह भारतीय कंपनी द्वारा चलाया जाता है और ऐसी कंपनी ने समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के रूप में काम 1983 के मार्च के 31वें दिन के पश्चात् किन्तु 1988 के अप्रैल के प्रथम दिन के पहले प्रारंभ किया है; और

(iv) वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तत्समय अनुमोदित है ।]

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन या अपने शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन आरम्भ करता है या पोत पहली बार प्रयोग में लाया जाता है या होटल का कारबार आरम्भ होता है [4][या कंपनी] समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के रूप में काम प्रारंभ करती है] सुसंगत निर्धारण वर्ष की (जिस निर्धारण वर्ष को इसके पश्चात् इस धारा में आरम्भिक निर्धारण वर्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा आरम्भिक निर्धारण वर्ष के ठीक बाद के सात निर्धारण वर्षों में से हर एक की बाबत कुल आय संगणित करने में अनुज्ञात की जाएगी :

परन्तु निर्धारिती के सहकारी सोसाइटी होने की दशा में इस उपधारा के उपबन्ध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "सात निर्धारण वर्षों" के स्थान पर "नौ निर्धारण वर्षों" शब्द रख दिए गए हों :

[4][परन्तु यह और कि निर्धारिती द्वारा समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत का कारबार चलाने की दशा में, इस उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "सात निर्धारण वर्षों" शब्दों के स्थान पर "चार निर्धारण वर्षों" शब्द रख दिए गए हों ।]

[5][परन्तु यह भी कि—

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 31 द्वारा (1-4-1991 से) "चौदह वर्ष" से स्थान पर प्रतिस्थापित और 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 24 द्वारा (1-4-1990 से) "नौ वर्ष" के स्थान पर "चौदह वर्ष" प्रतिस्थापित किए गए थे ।

[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 24 द्वारा (1-4-1990 से) "1990 के अप्रैल के प्रथम दिन के पूर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 31 द्वारा (1-4-1991 से) "1995" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 25 द्वारा (1-4-1984 से) अन्त:स्थापित ।

[5] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 24 द्वारा (1-4-1990 से) अन्त:स्थापित ।

(i) किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् [1][किंतु 1 अप्रैल, 1991 के पूर्व] वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या अपने शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन आरम्भ करता है; अथवा

(ii) किसी पोत की दशा में जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् [1][किंतु 1 अप्रैल, 1991 के पूर्व] पहली बार प्रयोग में लाया जाता है; अथवा

(iii) होटल के कारबार की दशा में जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् [1][किंतु 1 अप्रैल, 1991 के पूर्व] आरंभ किया जाता है,

इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''सात निर्धारण वर्षों'' शब्दों के स्थान पर ''नौ निर्धारण वर्षों'' शब्द रख दिए गए हों :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो सहकारी सोसाइटी है और जिसे तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक उपक्रम या किसी पोत या किसी होटल से लाभ और अभिलाभ व्युत्पन्न हो रहे हैं, उस परन्तुक के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "नौ निर्धारण वर्षों" शब्दों के स्थान पर "ग्यारह निर्धारण वर्षों" शब्द रख दिए गए हों ।]

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, आरम्भिक निर्धारण वर्ष के ठीक आगामी निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन कटौती की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या [2][होटल के कारबार या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार से] व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ की जिनको उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होते हैं, संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो आरम्भिक निर्धारण वर्ष या जिसके लिए अवधारण किया जाना है उस निर्धारण वर्ष तक और उसके सहित प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्षों के दौरान ऐसा औद्योगिक उपक्रम, पोत या [2][होटल के कारबार या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार से] निर्धारिती की आय का एकमात्र स्रोत हो ।

(7) जहां निर्धारिती कम्पनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां किसी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पुन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया हो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस औद्योगिक उपक्रम के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में नहीं देता है ।

(8) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम या होटल या पोत के प्रचालन के कारबार [2][या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] के प्रयोजन के लिए धारित माल निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले किसी अन्य कारबार को अंतरित किए जाते हैं या जहां निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले अन्य कारबार के प्रयोजन के लिए धारित माल उस औद्योगिक उपक्रम या होटल या पोत के प्रचालन के कारबार [2][या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] को अंतरित किए जाते हैं और दोनों दशाओं में उस औद्योगिक उपक्रम या होटल या पोत के प्रचालन के कारबार [2][या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] के लेखाओं में ऐसे अंतरण के लिए अभिलिखित प्रतिफल, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को माल के बाजार मूल्य के बराबर नहीं है तो इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए उस औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार या पोत के प्रचालन [2][या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] के लाभ और अभिलाभ की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो अंतरण, दोनों दशाओं में, उस तारीख को माल के बाजार मूल्य पर किया गया है :

परन्तु जहां [@][निर्धारण अधिकारी] की राय में इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रीति में औद्योगिक उपक्रम या होटल के कारबार [2][या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] या पोत के प्रचालन के लाभ और अभिलाभ की संगणना में असाधारण कठिनाइयां होती हैं, वहां [@][निर्धारण अधिकारी] लाभ और अभिलाभ की संगणना ऐसे उचित आधार पर करेगा जो वह ठीक समझे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में ''बाजार मूल्य'' से माल के संबंध में वह कीमत अभिप्रेत है जो माल का खुले बाजार में विक्रय करने पर सामान्यतया प्राप्त होगी ।

(9) जहां [@][निर्धारण अधिकारी] को यह प्रतीत होता है कि उस औद्योगिक उपक्रम या होटल या पोत प्रचालन का कारबार [2][या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] जिसको यह धारा लागू होती है, चलाने वाले निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के निकट संबंध के कारण या किसी अन्य कारणवश, उनके बीच कारबार की इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि उनके बीच उस कारबार से निर्धारिती को उस सामान्य लाभ से जो उस औद्योगिक उपक्रम या होटल या पोत के प्रचालन के कारबार [2][या समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] में उद्भूत होने की आशा की जा सकती है, अधिक लाभ होती है, वहां [@][निर्धारण अधिकारी] इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए उस औद्योगिक उपकम या होटल या पोत [2][या

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 31 द्वारा (1-4-1991 से) अन्तःस्थापित ।
[2] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 25 द्वारा (1-4-1984 से) अन्तःस्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

समुद्रगामी जलयानों या अन्य शक्तिचालित यानों की मरम्मत के कारबार] के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में लाभ की उतनी रकम लेगा जो उससे उचित रूप से व्युत्पन्न समझी जा सकती है ।

(10) केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी, कि इस धारा द्वारा दी गई छूट औद्योगिक उपक्रमों के किसी वर्ग को उस तारीख से लागू नहीं होगी जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।]

[1][**80झक. अवसंरचना विकास, आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती**—[2][(1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न हुए हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी ।]

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती का निर्धारिती के विकल्प पर, उस वर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम कोई अवसंरचना सुविधा विकसित करता है या उसका प्रचालन आरंभ करता है या दूर-संचार सेवा देना प्रारंभ करता है या औद्योगिक पार्क का विकास करता है [3][या उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट] [4][या किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है] या विद्युत पैदा करता है या विद्युत का पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है [5][या विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है] [6]*** प्रारंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किसी दस क्रमवर्ती वर्षों के लिए दावा किया जा सकेगा :

[7][परन्तु जहां निर्धारिती उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना सुविधा का विकास करता है या प्रचालन और अनुरक्षण करता है या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करता है, वहां इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान ''बीस वर्ष'' शब्द रखे गए हों ।]

[2][(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे उपक्रम की, जो उपधारा (4) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट दूर-संचार सेवाओं को उपलब्ध कराता है, कुल आय की संगणना करने में कटौती, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधियों के दौरान किसी समय प्रारंभ होने वाले पहले पांच निर्धारण वर्षों के लिए पात्र कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् अगले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का तीस प्रतिशत होगी ।]

(3) यह धारा [8][उपधारा (4) के [9][खंड (ii) या] [10][खंड (iv) [6]*** में निर्दिष्ट किसी ऐसे [2][उपक्रम]] को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परन्तु यह शर्त ऐसे किसी [2][उपक्रम] की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी [2][उपक्रम] के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुन:स्थापन, पुनर्गठन या पुन:चालन के फलस्वरूप बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है :

[5][परन्तु इस उपधारा की कोई बात, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2 के खंड (7) में निर्दिष्ट किसी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के अंतरण, चाहे पूर्णत: हो या भागत: की दशा में लागू नहीं होगी, चाहे ऐसा अंतरण उस अधिनियम के भाग 13 के अधीन बोर्ड के खंडन या पुनर्संरचना या पुनर्गठन के अनुसरण में है या नहीं ।]

स्पष्टीकरण 1—खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी मशीनरी या संयंत्र को जो निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर प्रयुक्त किया गया था, किसी प्रयोजन के लिए, तत्पूर्व प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र नहीं समझा जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पहले किसी समय भारत में प्रयोग नहीं किया गया था;

(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत के बाहर किसी देश से भारत में आयात किया गया है; और

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 36 द्वारा लोप किया गया ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 44 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में उस मशीनरी या संयंत्र के संबध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवक्षयण मद्धे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी [1][उपक्रम] की दशा में, किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग किसी नए कारबार को अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य उस कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं वहां इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन हो गया है ।

(4) यह धारा—

[1][(i) किसी अवसंरचना सुविधा का (i) का विकास, या (ii) प्रचालन और अनुरक्षण करने, या (iii) विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने का कारबार करने वाले] ऐसे उद्यम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(क) वह भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के किसी संघ [2][या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या किसी निगम या किसी अन्य निकाय] के स्वामित्वाधीन है;

[1][(ख) उसने केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य कानूनी निकाय के साथ किसी नई अवसंरचना सुविधा का (i) का विकास करने, या (ii) प्रचालन और अनुरक्षण करने, या (iii) विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए करार किया है;]

(ग) उसने, 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् अवसंरचना सुविधा का प्रचालन और अनुरक्षण करना आरंभ कर दिया है :

परन्तु जहां किसी ऐसे उद्यम द्वारा, (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अंतरक उद्यम कहा गया है) जिसने ऐसी अवसंरचना सुविधा का विकास किया है, किसी अन्य उद्यम को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अंतरिती उद्यम कहा गया है), केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय के साथ हुए करार के अनुसार, उसकी ओर से अवसंरचना सुविधा प्रचालित और अनुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् अवसंरचना सुविधा का अंतरण किया जाता है वहां इस धारा के उपबंध अंतरिती उद्यम को ऐसे लागू होंगे मानो वह ऐसा उद्यम हो जिसको यह खंड लागू होता है और लाभ और अभिलाभ से कटौती ऐसी अपर्यवसित अवधि के लिए ऐसे अंतरक उद्यम को उपलब्ध होगी जिसके दौरान अंतरक उद्यम कटौती के लिए तब हकदार होता जब अंतरण न हुआ होता :

[3][परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे उद्यम को लागू नहीं होगी जो अवसंरचना सुविधा का विकास या प्रचालन और अनुरक्षण 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ करता है ।]

[1][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना सुविधा" से अभिप्रेत है,—

(क) कोई सड़क, जिसके अंतर्गत चुंगी सड़क, कोई पुल या कोई रेल प्रणाली है;

(ख) कोई राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत ऐसे आवासन या अन्य क्रियाकलाप हैं, जो राजमार्ग परियोजना के अभिन्न अंग हैं;

(ग) कोई जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार प्रणाली, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मल वहन प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली;

(घ) पत्तन, वायुपत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग [4][अंतर्देशीय पत्तन या समुद्र में नौ चालन चैनल];]

[1][(ii) किसी ऐसे उपक्रम को, जिसने दूर-संचार सेवाएं, चाहे आधारिक हों या सेलुलर, जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंक नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं हैं, 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् किंतु [5][31 मार्च, 2005] को या उसके पूर्व प्रदान करना प्रारंभ किया है या वह प्रारंभ करता है :]

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "घरेलू उपग्रह" से दूर-संचार सेवा प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा प्रचालित कोई उपग्रह अभिप्रेत है;

(iii) किसी ऐसे उपक्रम को, जो 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाली और [1][31 मार्च, 2006] को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित स्कीम के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 26 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 40 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किसी औद्योगिक पार्क [1][या विशेष आर्थिक क्षेत्र] का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण और प्रचालन करता है :

[2][परन्तु यह कि उस दशा में जहां कोई उपक्रम, 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् कोई औद्योगिक पार्क या 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है और, यथास्थिति, ऐसे औद्योगिक पार्क या ऐसे विशेष आर्थिक जोन के प्रचालन और अनुरक्षण को, अन्य उपक्रम को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अंतरिती उपक्रम कहा गया है) अंतरित कर देता है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे अंतरिती उपक्रम को दस आनुक्रमिक निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए अनुज्ञात की जाएगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण ऐसे अंतरिती उपक्रम को अंतरित नहीं किया गया था] :

[3][परंतु यह और कि ऐसे किसी उपक्रम की दशा में, जो किसी औद्योगिक पार्क का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षण या प्रचालन करता है, इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2006", अंकों और शब्द के स्थान पर, [4][31 मार्च, 2011] अंक और शब्द रखे गए हों;]

(iv) ऐसे किसी [5][उपक्रम] को जो,—

(क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित किया जाता है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और [5][[6][31 मार्च, 2017] को समाप्त होने वाली] अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करता है;

(ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली [5][[7][31 मार्च, 2013] को समाप्त होने वाली] अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है :

परन्तु उपखंड (ख) के अधीन किसी [5][उपक्रम] को इस धारा के अधीन कटौती पारेषण या वितरण के लिए केवल नई लाइनों का ऐसा नेटवर्क बिछाने से व्युत्पन्न लाभों के संबंध में अनुज्ञात की जाएगी;

[8][(ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और [9][31 मार्च, 2013] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण" से पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क में संयंत्र और मशीनरी में 1 अप्रैल, 2004 को ऐसे संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत तक की कोई वृद्धि अभिप्रेत है;]

[10][(v) किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन और किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र की पुनर्संरचना या पुनरुज्जीवन के लिए स्थापित कोई उपक्रम, यदि—

(क) ऐसी भारतीय कंपनी 30 नवम्बर, 2005 से पूर्व बनाई जाती है और जिसमें विद्युत उत्पाद संयंत्र की स्वामी कंपनी को उधार देने वालों के प्रतिभूति हित को प्रवृत्त करने के प्रयोजनों के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनियों की बहुमत में साम्यापूर्ण भागीदारी है और ऐसी भारतीय कंपनी इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2005 से पूर्व अधिसूचित की जाती है;

(ख) ऐसा उपक्रम [4][31 मार्च, 2011] से पूर्व विद्युत का उत्पादन या पारेषण या वितरण करना प्रारंभ करता है ।]

[11]* * * * * *

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, आरंभिक निर्धारण वर्ष के ठीक उत्तरवर्ती निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लिए उस उपधारा के अधीन कटौती की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उस पात्र कारबार के, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, लाभ और अभिलाभ की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो आरंभिक निर्धारण वर्ष से और जिसके लिए अवधारण किया जाना है उस निर्धारण वर्ष तक और उसके सहित प्रत्येक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरन ऐसा पात्र कारबार निर्धारिती की आय का एकमात्र स्रोत हो ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2012 के अधिनियम सं 23 की धारा 30 द्वारा संशोधित ।
[8] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2012 के अधिनियम सं 23 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2005 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा (1-4-2006 से) अंत:स्थापित ।
[11] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 36 द्वारा लोप किया गया ।

(6) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां आवासन या अन्य क्रियाकलाप राजमार्ग परियोजना का अभिन्न हिस्सा है और जिसके लाभों की संगणना ऐसे आधार और रीति से की जाती है, जो विहित की जाए, वहां ऐसा लाभ कर के लिए दायी नहीं होगा जहां लाभ किसी विशेष आरक्षित लेखे में अंतरित कर दिया गया है और जिसका वास्तव में राजमार्ग परियोजना के लिए जिसके अंतर्गत आवासन और अन्य क्रियाकलाप नहीं है; उस वर्ष के बाद, जिसमें ऐसी रकम आरक्षित लेखा में अंतरित की गई थी, तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपयोग किया जा रहा है, और वह रकम जो अप्रयुक्त रह गई हो, उस वर्ष की आय के रूप में, जिसमें आरक्षित लेखा में अंतरण होता है, आय के रूप में कर के लिए प्रभार्य होगी ।

(7) [1][किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती] तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया हो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस [2][उपक्रम] के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्‌त: हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में नहीं देता है ।

(8) जहां किसी पात्र कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई [2][माल या सेवाएं] निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले किसी अन्य कारबार को अंतरित किया जाता है या जहां निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित कोई माल [2][माल या सेवाएं] पात्र कारबार को अंतरित किया जाता है और दोनों दशाओं में, उस पात्र कारबार के लेखाओं में ऐसे अंतरण के लिए अभिलिखित प्रतिफल, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख को उस [2][माल या सेवाएं] के बाजार मूल्य के बराबर नहीं है वहां इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए, उस पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो अंतरण, दोनों दशाओं में, उस तारीख को उस [2][माल या सेवाओं] के बाजार मूल्य पर किया गया हो :

परंतु जहां निर्धारण अधिकारी की राय में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रीति से पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में असाधारण कठिनाई होती है वहां निर्धारण अधिकारी लाभ या अभिलाभ की संगणना ऐसे उचित आधार पर करेगा जो वह ठीक समझे ।

[3][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या किन्हीं सेवाओं के संबंध में, "बाजार मूल्य" से, अभिप्रेत है,—

(i) ऐसी कीमत, जो ऐसे माल या सेवाओं के लिए खुले बाजार में साधारणतया प्राप्त होगी; या

(ii) धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत, जहां ऐसे माल या सेवाओं का अतंरण धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है ।]

(9) जहां किसी निर्धारिती की दशा में, किसी [1][उपक्रम] या उद्यम के लाभ और अभिलाभ की किसी रकम का किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात किया जाता है वहां ऐसे लाभ और अभिलाभ के परिमाण तक कटौती "ग—कतिपय आय की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी, और किसी भी दशा में, यथास्थिति, [1][उपक्रम] या उद्यम के ऐसे पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ से अधिक नहीं होगी ।

(10) जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उस पात्र कारबार को, जिसको यह धारा लागू होती है, चलाने वाले निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध होने के कारण या किसी अन्य कारण से, उनके बीच कारबार की इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि उनके बीच किए गए कारबार से निर्धारिती को ऐसे सामान्य लाभ से, जिसकी उस पात्र कारबार में उद्‌भूत होने की आशा की जाती है, अधिक लाभ होता है, वहां निर्धारण अधिकारी इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए उस पात्र कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में लाभ की उतनी रकम लेगा जो उससे उचित रूप से व्युत्पन्न हुई समझी जा सकती है :

[4][परन्तु यदि पूर्वोक्त ठहराव में धारा 92खक में निर्दिष्ट कोई विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अंतर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभों की रकम का अवधारण धारा 92च के खंड (ii) में यथापरिभाषित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।]

(11) केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस धारा द्वारा दी गई छूट औद्योगिक उपक्रमों के किसी वर्ग को उस तारीख से लागू नहीं होगी जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

(12) जहां भारतीय कंपनी का कोई उपक्रम, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलयन की किसी स्कीम में किसी अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित किया जाता है वहां—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें समामेलन या निर्विलयन हुआ था, समामेलक या निर्विलीन कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित या परिणामी कंपनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीन कंपनी को तब लागू होते जब समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता ।

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 30 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(12क) उपधारा (12) की कोई बात ऐसे उद्यम या उपक्रम को लागू नहीं होगी, जो 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् समामेलन या विलयन की किसी स्कीम में अंतरित किया जाता है ।]

[2][(13) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट स्कीम के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन को लागू नहीं होगी ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा की कोई बात उपधारा (4) में निर्दिष्ट ऐसे कारबार के संबंध में लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार सहित) दी गई और उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपक्रम या उद्यम द्वारा निष्पादित की गई संकर्म संविदा की प्रकृति का है ।]

[2][**80झकख. विशेष आर्थिक जोन के विकास में लगे उपक्रम या उद्यम द्वारा लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौतियां**—(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो विकासकर्ता है, सकल कुल आय में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास के किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से प्राप्त लाभ और अभिलाभ के शत प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी :

[4][परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे निर्धारिती को, जो कोई विकासकर्ता है, जहां विशेष आर्थिक जोन का विकास 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होता है, लागू नहीं होंगे ।]

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती का, निर्धारिती के विकल्प पर, उसके द्वारा उस वर्ष से, जिसमें किसी विशेष आर्थिक जोन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, आरंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती वर्षों के लिए दावा किया जा सकेगा :

परन्तु जहां किसी उपक्रम की, जो विकासकर्ता है, किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में धारा 80झक की उपधारा (13) के उपबंधों के लागू होने के कारण लाभ और अभिलाभ सम्मिलित नहीं किए गए थे वहां उपक्रम जो, विकासकर्ता है, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अनवसित अवधि के लिए ही इस धारा में निर्दिष्ट कटौती का हकदार होगा और उसके पश्चात् वह, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में उपबंधित किए गए अनुसार आय से कटौती के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में जहां कोई उपक्रम, जो विकासकर्ता है, जो किसी विशेष आर्थिक जोन का 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् विकास करता है और ऐसे विशेष आर्थिक जोन का प्रचालन और अनुरक्षण किसी अन्य विकासकर्ता को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में अंतरिती विकासकर्ता कहा गया है) अंतरित करता है, वहां ऐसे अंतरिती विकासकर्ता को, उपधारा (1) के अधीन कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की शेष अवधि के लिए उसी प्रकार अनुज्ञात की जाएगी मानो प्रचालन और अनुरक्षण, अंतरिती विकासकर्ता को इस प्रकार अंतरित नहीं किए गए थे ।

(3) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) के उपबंध, उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक जोन को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विकासकर्ता" और "विशेष आर्थिक जोन" के वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (छ) और (यक) में क्रमश: उनके हैं ।]

[4][**80झकग. विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध**—(1) जहां निर्धारिती जो पात्र स्टार्ट–अप है, की कुल सकल आय में पात्र कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां इस धारा के अनुसार और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती की कुल आय की संगणना में ऐसे कारबार से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती का निर्धारिती के विकल्प पर उस वर्ष से आरंभ होने वाले [5][सात] वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों के लिए, जिसमें स्टार्ट-अप निगमित किया गया है, दावा किया जाएगा ।

(3) यह धारा उस स्टार्ट-अप को लागू होती है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) इसको किसी पहले से विद्यमान कारबार का विभाजन, पुनर्गठन करके नहीं बनाया गया है :

परन्तु यह शर्त किसी ऐसे स्टार्ट-अप की दशा में लागू नहीं होगी जिसको निर्धारिती द्वारा धारा 33ख में निर्दिष्ट किसी ऐसे उपक्रम के किसी कारबार की पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण या पुनरुत्थान द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर बनाया गया है;

---

[1] 2007 के अधिनमय सं० 22 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 41 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) इसको किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग किए गए किसी संयंत्र या मशीनरी को नए कारबार में अंतरित करके नहीं बनाया गया है ।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र जिसका भारत से बाहर निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया था, को इस प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र तब नहीं माना जाएगा, यदि सभी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात् :—

(क) ऐसी मशीनरी और संयंत्र का निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापन से पूर्व किसी समय भारत में उपयोग नहीं किया गया था;

(ख) ऐसी मशीनरी और संयंत्र को भारत में आयात किया गया है;

(ग) ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के मद्दे किसी व्यक्ति की निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र के प्रतिष्ठापन की तारीख से पूर्व किसी अवधि के लिए कुल आय की संगणना में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी स्टार्ट-अप की दशा में कोई मशीनरी या संयंत्र या उसके किसी भाग का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, का किसी नए कारबार को अंतरण कर दिया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या भाग का कुल मूल्य कारबार में उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन किया गया समझा जाएगा ।

(4) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (11) के उपबंध उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कटौतियां के प्रयोजन के लिए स्टार्ट-अप को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

(i) "पात्र कारबार" से कोई कारबार अभिप्रेत है जिसमें नवप्रवर्तन, विकास, नए उत्पादों को लगाना या उनका वाणिज्यकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा चालित प्रक्रिया या सेवाएं अंतर्वलित हैं;

(ii) "पात्र स्टार्ट-अप" से किसी पात्र कारबार में लगी हुई कम्पनी या कोई सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(क) इसको 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2019 के पूर्व निगमित किया गया है;

(ख) उसके कारबार का कुल आवर्त 1 अप्रैल, 2016 को आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्षों में से किसी में पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक है;

(ग) इसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से पात्र कारबार का प्रमाणपत्र है; और

(iii) "सीमित दायित्व भागीदारी" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में निर्दिष्ट भागीदारी अभिप्रेत है ।]

80झख. अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबात कटौती—(1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा [1][(3) से [2][उपधारा (11), उपधारा (11क) और उपधारा (11ख)]] में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे लाभ और अभिलाभ में से, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर रकम की और उतने निर्धारण वर्षों के लिए, जो इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में, विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुन:स्थापन, पुनर्गठन या पुन:चालन के परिणामस्वरूप बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है;

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(iii) वह भारत के किसी भाग में ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं है, या एक या अधिक शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन करता है :

परन्तु इस खंड की शर्त, उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी लघु औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक उपक्रम के संबंध में ऐसे लागू होगी मानो "जो ग्यारहवीं अनुसूची की सूची में विनिर्दिष्ट वस्तु या चीज नहीं हैं" शब्दों का लोप कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण 1—खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी मशीनरी या संयंत्र को जो निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर प्रयुक्त किया गया था, किसी प्रयोजन के लिए, तत्पूर्व प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र नहीं समझा जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का निर्धारिती द्वारा प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से पहले किसी समय भारत में प्रयोग नहीं किया गया था;

(ख) ऐसी मशीनरी या संयंत्र का भारत के बाहर किसी देश से भारत में आयात किया गया है; और

(ग) निर्धारिती द्वारा मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किए जाने की तारीख से, पहले किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में उस मशीनरी या संयंत्र के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवक्षयण मद्धे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में, किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग किसी नए कारबार को अंतरित किया जाता है और इस प्रकार अंतरित मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कुल मूल्य उस कारबार में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसमें विनिर्दिष्ट शर्त का अनुपालन हो गया है ।

(iv) ऐसे किसी मामले में जहां औद्योगिक उपक्रम किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है वहां उपक्रम विद्युत की सहायता से चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में दस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या विद्युत की सहायता के बिना चलाई जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है ।

(3) किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में, कटौती की रकम प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए (या जहां निर्धारिती कोई सहकारी सोसाइटी है वहां बारह क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए), ऐसे प्रौद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कंपनी है, वहां तीस प्रतिशत) निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :—

(i) वह 1 अप्रैल, 1991 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान या ऐसी अतिरिक्त अवधि के दौरान, जो केंद्रीय सरकार किसी विशेष उपक्रम के प्रति निर्देश से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी समय किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है या ऐसे संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन करना आरंभ करता है;

(ii) जहां वह ऐसा औद्योगिक उपक्रम है, जो लघु उद्योग उपक्रम है, वहां वह 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाली और [1][31 मार्च, 2002] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है या अपने शीतागार संयंत्र [जो उपधारा (4) या उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट नहीं है] का प्रचालन करता है ।

(4) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में, कटौती की रकम प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् ऐसे औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत, (या जहां निर्धारिती कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) होगी :

परन्तु यह तब जब कि कटौती की कुल अवधि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से (या जहां निर्धारिती कोई सहकारी सोसाइटी है वहां बारह क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से) इस शर्त को पूरा होने के अधीन रहते हुए अधिक नहीं है कि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और [2][31 मार्च, 2004] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है या शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन करता है :

परन्तु यह और कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की दशा में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, कटौती की रकम दस निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी और ऐसे मामले में कटौती की कुल अवधि दस निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होगी :

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन, धारा 80झग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपक्रम या उद्यम को 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्‌वर्ती वर्ष के लिए, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

[2][परंतु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में, पहले परंतुक के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "31 मार्च, 2004" अंकों और शब्द के स्थान पर [3][31 मार्च, 2012] अंक और शब्द रखे गए थे :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो तेरहवीं अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है ।]

(5) किन्हीं ऐसे औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में, जिन्हें केंद्रीय सरकार, विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, श्रेणी "क" के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में या श्रेणी "ख" के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की दशा में कटौती की रकम निम्नलिखित होगी,—

(i) श्रेणी "क" के पिछड़े जिले में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम से प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरू होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् किसी औद्योगिक उपक्रम के लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) :

परन्तु कटौती की कुल अवधि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से या जहां निर्धारिती कोई सहकारी सोसाइटी है वहां बारह क्रमवर्ती वर्षों से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि औद्योगिक उपक्रम 1 अक्तूबर, 1994 को प्रारंभ होने वाली और [4][31 मार्च, 2004] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है या शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन प्रारंभ करता है;

(ii) श्रेणी "ख" के पिछड़े जिले में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम से प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरु होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् किसी औद्योगिक उपक्रम के लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) :

परन्तु कटौती की कुल अवधि आठ क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से अधिक नहीं होगी (या जहां निर्धारिती कोई सहकारी सोसाइटी है वहां बारह क्रमवर्ती वर्षों से अधिक नहीं होगी) :

परन्तु यह और कि औद्योगिक उपक्रम 1 अक्तूबर 1994 को प्रारंभ होने वाली और [3][31 मार्च, 2004] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है या शीतागार संयंत्र या संयंत्रों का प्रचालन प्रारंभ करता है ।

(6) किसी पोत के कारबार की दशा में कटौती की रकम ऐसे पोत से व्युत्पन्न दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण वर्ष भी हैं लाभों और अभिलाभों पर तीस प्रतिशत होगी :

परन्तु यह तब जब कि,—

(i) पोत किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन है और उसका प्रयोग पूर्णत: उस कंपनी द्वारा किए जा रहे कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) वह भारतीय कंपनी द्वारा उसके अर्जन की तारीख से पूर्व भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन नहीं था या उसने उसका प्रयोग भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में नहीं किया था; और

(iii) वह 1 अप्रैल, 1991 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय भारतीय कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है ।

(7) किसी होटल की दशा में, कटौती की रकम निम्नलिखित होगी—

(क) ऐसे होटल के कारबार से जो किसी पहाड़ी क्षेत्र या किसी ग्रामीण क्षेत्र या किसी तीर्थस्थान या ऐसे अन्य स्थान पर अवस्थित है जो केंद्रीय सरकार, किसी स्थान में पर्यटन के लिए अवसंरचना के विकास की आवश्यकता को और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत और ऐसा होटल 1 अप्रैल, 1990 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाली या 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय कार्य करना प्रारंभ करता है :

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 39 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु इस खंड की कोई बात कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई की नगरपालिक अधिकारिता के (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात हो), भीतर किसी स्थान पर अवस्थित किसी ऐसे होटल को लागू नहीं होगी जिसने 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् और 31 मार्च, 2001 के पूर्व कार्य करना आरंभ कर दिया है या वह कार्य करना आरंभ करता है :

परन्तु यह और कि उक्त होटल का इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस खंड के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और जहां उक्त होटल का 31 मार्च, 1992 के पूर्व विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है वहां वह 1 अप्रैल, 1991 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में इस धारा के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा;

(ख) ऐसे होटल के कारबार से जो उपखंड (क) में वर्णित स्थानों से भिन्न किसी स्थान में अवस्थित है, व्युत्पन्न प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती वर्ष की अवधि के लिए लाभों और अभिलाभों का तीस प्रतिशत, यदि ऐसे होटल ने 1 अप्रैल, 1991 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाली या 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय कार्य करना आरंभ कर दिया है या वह आरंभ करता है :

परंतु इस खंड की कोई बात कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई की नगरपालिक अधिकारिता के (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात हो), भीतर किसी स्थान पर अवस्थित किसी ऐसे होटल को लागू नहीं होगी जिसने 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् और 31 मार्च, 2001 के पूर्व कार्य करना आरंभ कर दिया है या वह कार्य करना आरंभ करता है;

(ग) खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कटौती केवल तभी उपलब्ध होगी जब,—

(i) होटल का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके अथवा होटल के रूप में तत्पूर्व प्रयुक्त किसी भवन का या किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है;

(ii) होटल का कारबार भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के जिसकी समादत्त पूंजी पांच लाख रुपए से अन्यून है, स्वामित्वाधीन है और उसके द्वारा चलाया जाता है;

(iii) होटल तत्समय के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है :

परंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होटल इस उपधारा के अधीन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा ।

[1][(7क) किसी बहुविध थिएटर की दशा में कटौती की रकम निम्नलिखित होगी,—

(क) आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए किसी स्थान में किसी बहुविध थिएटर के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत :

परन्तु इस खंड की कोई बात चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता की नगरपालिक अधिकारिता के भीतर (चाहे नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) किसी स्थान में अवस्थित किसी बहुविध थिएटर को लागू नहीं होगी;

(ख) खंड (क) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञेय होगी, यदि—

(i) ऐसा बहुविध थिएटर जो, 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय निर्मित किया जाता है;

(ii) बहुविध थिएटर का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या उसकी पुन:संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी भवन का या मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार में अंतरण करके नहीं बनाया गया है;

(iii) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए देता है कि कटौती का दावा सही किया गया है ।

(7ख) किसी कन्वेंशन केंद्र की दशा में कटौती की रकम निम्नलिखित होगी,—

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) निर्धारिती द्वारा, आरंभिक निर्धारण वर्ष को आरंभ होने वाली पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए, निर्मित किसी कन्वेंशन केंद्र के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत;

(ख) खंड (क) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञेय होगी, यदि—

(i) यदि ऐसा कन्वेंशन केंद्र 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय निर्मित किया जाता है;

(ii) कन्वेंशन केंद्र का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या उसकी पुन:संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी भवन या किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार में अंतरण करके नहीं बनाया गया है;

(iii) निर्धारिती आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में, यथापरिभाषित, लेखापाल द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौती का दावा सही किया गया है ।]

(8) किसी ऐसी कंपनी की दशा में जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कर रही है, कटौती की रकम प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार से लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी यदि ऐसी कंपनी, —

(क) भारत में रजिस्ट्रीकृत है;

(ख) जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास करना है;

(ग) तत्समय के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किसी समय अनुमोदित है ।

[1][(8क) किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य कर रही है, कटौती की रकम आरम्भिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ की शतप्रतिशत होगी, यदि ऐसी कंपनी,—

(i) भारत में रजिस्ट्रीकृत है;

(ii) जिसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान और विकास करना है;

(iii) 31 मार्च, 2000 के पश्चात् किन्तु [2][1 अप्रैल, 2007] से पूर्व किसी समय विहित प्राधिकारी द्वारा तत्समय अनुमोदित की गई है;

(iv) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं ।]

[3][(9) किसी उपक्रम के लिए कटौती की रकम आरंभिक निर्धारण वर्ष सहित सात क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए लाभों की शतप्रतिशत रकम होगी, यदि ऐसा उपक्रम, निम्नलिखित में से किसी को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है या आरंभ करता है;

(ii) वह भारत के किसी भाग में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया है या आरंभ करता है :

[4][परन्तु इस खंड के उपबंध भारत सरकार द्वारा संकल्प सं० ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.-वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन 31 मार्च, 2011 के पश्चात् दी गई संविदा के अधीन अनुज्ञप्त समूहों को लागू नहीं होंगे;]

(iii) वह खनिज तेल के परिष्करण में लगा हुआ है और 1 अक्तूबर, 1998 [5][किंतु 31 मार्च, 2012 के अपश्चात्] को या उसके पश्चात् [6][किंतु 31 मार्च, 2017 के अपश्चात्] ऐसा परिष्करण आरंभ करता है;

[5][(iv) भारत सरकार द्वारा संकल्प सं० ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.-वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन पूर्वेक्षण संविदाओं को देने के लिए (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "एनईएलपी-8"

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 12 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।

कहा गया है) बोली के आठवें दौर में अनुज्ञप्त समूहों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है और 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् [1][किंतु 31 मार्च, 2017 के अपश्चात्] प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करता है;

(v) कोयला आधार मेथेन समूहों के लिए पूर्वेक्षण संविदाएं दिए जाने के लिए बोली के चौथे दौर में अनुज्ञप्त समूहों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है और 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् [1][किंतु 31 मार्च, 2017 के अपश्चात्] प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करता है] ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, किसी एकल संविदा के, जो भारत सरकार द्वारा संकल्प सं० ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.-वीएल, तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा घोषित नई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति नीति के अधीन दी गई है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में दी गई है या किसी अन्य रीति से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई है, अधीन अनुज्ञप्त सभी समूहों को एकल "उपक्रम" माना जाएगा :]

[2][परंतु यह भी कि जहां ऐसा उपक्रम 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का परिष्करण प्रारंभ करता है वहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उस उपक्रम की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं होगी, जब तक ऐसा उपक्रम निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता, अर्थात् :—

(i) वह पूर्णतया ऐसी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी के स्वामित्वाधीन है जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियां कम से कम उनचास प्रतिशत मताधिकार रखती हैं;

(ii) उसे 31 मई, 2008 का या उसके पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है; और

(iii) वह 31 मार्च, 2012 के अपश्चात् परिष्करण का कार्य प्रारंभ करता है ।]

[3][(10) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा [4][31 मार्च, 2008] के पूर्व अनुमोदित आवासन परियोजना के विकास और निर्माण में लगा हुआ है, कटौती की रकम किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में ऐसी आवासन परियोजना से व्युत्पन्न लाभ का सौ प्रतिशत होगी यदि,—

(क) ऐसे उपक्रम ने आवासन परियोजना का विकास और सन्निर्माण 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् प्रारंभ कर दिया है या प्रारंभ करता है और वह ऐसे सन्निर्माण को,—

(i) उस दशा में जहां आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2004 [5][किन्तु 31 मार्च, 2005 के अपश्चात्] के पूर्व अनुमोदित कर दिया गया है, 31 मार्च, 2008 को या इससे पूर्व;

(ii) उस दशा में, जहां आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् अनुमोदित किया है या करता है, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, चार वर्ष के भीतर,

[5][(iii) उस दशा में, जहां आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अनुमोदित किया गया है, वहां उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, पांच वर्ष के भीतर,]

पूरा करता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ऐसी दशा में, जहां किसी आवासन परियोजना के संबंध में एक से अधिक बार अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाता है, वहां ऐसी आवासन परियोजना उस तारीख को अनुमोदित की गई समझी जाएगी जिसको ऐसी आवासन परियोजना की भवन योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पहली बार अनुमोदित की जाती है;

(ii) आवासन परियोजना के सन्निर्माण के समापन की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिसको ऐसी आवासन परियोजना के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है;

(ख) परियोजना ऐसे आकार के भू-भाग पर है जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ है :

परन्तु खंड (क) या खंड (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात तत्समय प्रवृत्त, किसी विधि के अधीन गंदी-बस्ती क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों में विद्यमान भवनों के पुन:सन्निर्माण या पुन:विकास के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।

विरचित किसी स्कीम के अनुसार चलाई जा रही किसी आवासन परियोजना को लागू नहीं होगी और ऐसी स्कीम इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई है;

(ग) जहां, ऐसी निवास इकाई दिल्ली या मुंबई शहरों के भीतर या इन शहरों की नगरपालिक सीमाओं के पच्चीस किलोमीटर के भीतर अवस्थित है, वहां निवास इकाई का एक हजार वर्ग फुट अधिकतम निर्मित क्षेत्र है और किसी अन्य स्थान पर [1][पन्द्रह सौ वर्ग फुट है;]

(घ) आवासन परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र, आवासन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र [2][तीन प्रतिशत] या [2][पांच हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी अधिक हो] से अधिक नहीं है ।

[3][(ङ) आवास परियोजना में एक से अनधिक निवास इकाई ऐसे किसी व्यक्ति को आबंटित की जाती है, जो व्यष्टि नहीं है; और

(च) ऐसी दशा में जहां आवास परियोजना में कोई निवास इकाई ऐसे व्यक्ति को आबंटित की जाती है, जो व्यष्टि है वहां ऐसी आवास परियोजना में कोई अन्य निवास इकाई निम्नलिखित किन्हीं व्यक्तियों को आबंटित नहीं की जाती है, अर्थात् :—

(i) व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति अथवा उसके अवयस्क बालक;

(ii) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसमें ऐसा व्यष्टि कर्ता है,

(iii) ऐसे व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी या अवयस्क बालक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसमें ऐसा व्यष्टि कर्ता है, का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी उपक्रम को लागू नहीं होगी जो आवास परियोजना को किसी व्यक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार भी है) दी गई संकर्म संविदा के रूप में निष्पादित करता है ।]

(11) उपधारा (2) के खंड (ii) और उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे औद्योगिक उपक्रम की दशा में जो कृषि उत्पाद के लिए शीतागार श्रृंखला सुविधा स्थापित करने और उसके प्रचालन के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम ऐसे औद्योगिक उपक्रमों से प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से शुरु होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी और तत्पश्चात् ऐसी सुविधा के प्रचालन से ऐसे व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) इस रीति में होगी कि ऐसी रीति में कटौती की कुल अवधि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से (या जहां निर्धारिती कोई सहकारी सोसाइटी है वहां बारह क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों) से अधिक नहीं होगी और वह इस शर्त के पूरा होने के अधीन रहते हुए होगी कि वह ऐसी सुविधा का 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् किंतु [4][31 मार्च, 2004] के पूर्व प्रचालन करना प्रारंभ कर देता है ।

[5][(11क) किसी [6][ऐसे उपक्रम की दशा में, जो फलों या सब्जियों [3][या मांस और मांस उत्पादों या कुक्कुट पालन या सामुद्रिक या दुग्ध उत्पादों] के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार से या] खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण या परिवहन के समेकिन कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी और तत्पश्चात्, ऐसे कारबार के प्रचालन से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत (या जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां तीस प्रतिशत) ऐसी रीति से होगी कि कटौती की कुल अवधि दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों से अधिक न हो और इस शर्त को पूरा करने के अधीन कि वह ऐसे कारबार का प्रचालन 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है :]

[3][परन्तु इस धारा के उपबंध मांस या मांस उत्पादों या कुक्कुट पालन या सामुद्रिक या दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में लगे हुए किसी उपक्रम को लागू नहीं होंगे यदि वह ऐसे कारबार का प्रचालन 1 अप्रैल, 2009 से पहले प्रारंभ करता है ।]

[7][(11ख) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी, यदि—

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2010 के अधिनिमय सं०14 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 37 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) ऐसे अस्पताल का सन्निर्माण 1 अक्तूबर, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय किया जाता है;

(ii) अस्पताल में रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तर हैं;

(iii) अस्पताल का सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के तत्समय प्रवृत्त विनियमों के अनुसार है; और

(iv) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं तथा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में यह प्रमाणित करके कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई अस्पताल उस तारीख को, सन्निर्मित किया गया समझा जाएगा, जिसको ऐसे सन्निर्माण के संबंध में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।]

[1][(11ग) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो अपवर्जित क्षेत्र से भिन्न, भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी, यदि—

(i) ऐसे अस्पताल का सन्निर्माण 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय किया गया है और उसने अपना काम करना आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है;

(ii) अस्पताल में रोगियों के लिए कम-से-कम सौ विस्तर हैं;

(iii) अस्पताल का सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के विनियमों या उपविधियों के अनुसार है; और

(iv) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं और धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई अस्पताल उस तारीख को सन्निर्मित समझा जाएगा, जिसको ऐसे सन्निर्माण की बाबत संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया है;

(ख) "प्रारंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें अस्पताल का कारबार कार्य आरंभ करता है;

(ग) "अपवर्जित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं—

(i) बृहतर मुम्बई नगर क्षेत्र;

(ii) दिल्ली नगर क्षेत्र;

(iii) कोलकाता क्षेत्र;

(iv) चेन्नई नगर क्षेत्र;

(v) हैदराबाद नगर क्षेत्र;

(vi) बंगलौर नगर क्षेत्र;

(vii) अहमदाबाद नगर क्षेत्र;

(viii) फरीदाबाद जिला;

(ix) गुड़गांव जिला;

(x) गौतम बुद्ध नगर जिला;

(xi) गाजियाबाद जिला;

(xii) गांधीनगर जिला; और

(xiii) सिकदराबाद शहर;

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

(घ) नगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होगा जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे नगर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ।]

(12) जहां किसी ऐसी भारतीय कंपनी का कोई उपक्रम, जो इस धारा के अधीन कटौती के लिए हकदार है, इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व समामेलन या निर्विलयन की किसी स्कीम में किसी अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है वहां—

(क) उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें समामेलन या निर्विलयन होता है, समामेलक या निर्विलीन कंपनी को इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(ख) इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित या परिणामी कंपनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे समामेलक या निर्विलीन कंपनी को तब लागू होते जब समामेलन या निर्विलयन न हुआ होता ।

(13) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र कारबार को लागू होंगे ।

(14) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[1][(क) "निर्मित क्षेत्र" से किसी निवास इकाई का भूमि की सतह पर भीतरी माप अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत दीवारों की मोटाई द्वारा बढ़ाए गए निकले भाग और बालकनी भी हैं, किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसा सामान्य क्षेत्र नहीं है, जिसमें अन्य निवास इकाइयां भागीदार हैं;]

[2][(कक)] "शीतागार श्रृंखला सुविधा" से वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित दशाओं में कृषि उत्पादों के भंडारण या परिवहन के लिए सुविधाओं की श्रृंखला अभिप्रेत हैं, जिनके अंतर्गत ऐसे उत्पादों के परिरक्षण के लिए प्रशीतन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी हैं;

[3][[2][(कख)] "कन्वेंशन केंद्र" से विहित क्षेत्र का ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे कन्वेंशन हाल हैं जिनका प्रयोग सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने के लिए किया जाता है तथा जिनका आकार और संख्या ऐसी है और जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं हैं, जो विहित की जाएं ;]

(ख) "पहाड़ी क्षेत्र" से समुद्र तल से ऊपर एक हजार मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से,—

(i) किसी औद्योगिक उपक्रम या शीतागार संयंत्र या पोत या होटल की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ करता है या शीतागार संयंत्र या संयंत्रों या शीतागार श्रृंखला सुविधा को प्रचालित करना प्रारंभ करता है या पोत पहली बार प्रयोग में लाया जाता है अथवा होटल का कारबार आंरभ होता है;

(ii) किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास कर रही है, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें कंपनी का उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाता है;

(iii) ऐसे किसी उपक्रम की दशा में जो उपधारा (9) में निर्दिष्ट खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण में लगा हुआ है, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम खनिज तेल का, वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण प्रारंभ करता है;

[4][(iv) खाद्यान्नों की उठाई-धराई, [1][फलों या सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में या भंडारण और परिवहन के समेकित कारबार में लगे किसी उपक्रम की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम ऐसा कारबार प्रारंभ करता है;]

[3][(v) बहुविध थिएटर की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें ऐसा सिनेमा हाल, जो उक्त बहुवधि थिएटर का भाग है, वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ करता है;

(vi) कन्वेंशन केंद्र की दशा में उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें कन्वेंशन केंद्र वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ करता है;]

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 18 द्वारा अक्षरांकित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(vii) किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे हुए किसी उपक्रम की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ करता है;

(घ) "पूर्वोत्तर क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य समाविष्ट हैं;

[2][(घक) "बहुविध थिएटर" से विहित क्षेत्र का ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है, जिसमें दो या अधिक सिनेमा थिएटर और वाणिज्यिक दुकाने हैं, जिनका आकार और संख्या ऐसी हैं और जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं हैं, जो विहित की जाएं;]

(ङ) "तीर्थस्थान" से वह स्थान अभिप्रेत है जहां किसी समस्त राज्य या राज्यों में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई सुविख्यात लोक उपासना का अन्य स्थान अवस्थित है;

(च) "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा अभिप्रेत है जो—

(i) ऐसे क्षेत्र से भिन्न है जो किसी नगरपालिका की (चाहे वह नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) या किसी छावनी बोर्ड की अधिकारिता के भीतर आता है और जिसकी जनसंख्या उस पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े पूर्ववर्ष के प्रथम दिन के पूर्व प्रकाशित हो गए हैं, दस हजार से कम नहीं है; या

(ii) ऐसे क्षेत्र से भिन्न है जो उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से इतनी दूरी के भीतर है, जो पन्द्रह किलोमीटर से अधिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार ऐसे क्षेत्र के विकास के प्रक्रम को जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के नगरीकरण का विस्तार और उसकी संभावनाएं हैं और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(छ) "लघु औद्योगिक उपक्रम" से वह औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 11ख के अधीन लघु औद्योगिक उपक्रम समझा जाता है ।]

[3][**80झखक. गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती**—(1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न हुए हैं वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए गृह निर्माण परियोजना ऐसी परियोजना होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(क) परियोजना का 1 जून, 2016 के पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2019 को या उसके पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया है;

(ख) परियोजना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख से [4][पांच वर्ष] की अवधि के भीतर पूरी हो गई है :

परंतु—

(i) जहां किसी गृह निर्माण परियोजना के संबंध में एक से अधिक बार अनुमोदन प्राप्त किया गया है वहां ऐसी आवासन परियोजना की गृह निर्माण योजना, उस तारीख को अनुमोदित हुई समझी जाएगी जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहली बार अनुमोदित किया गया था;

(ii) परियोजना को सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्ण रूप से परियोजना पूरी होने संबंधी समापन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त हो जाने पर परियोजना को पूरा हुआ समझा जाएगा;

(ग) गृह निर्माण परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का [4][कार्पेट क्षेत्र] सकल [4][कार्पेट क्षेत्र] के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

(घ) परियोजना निम्नलिखित से अन्यून वाले भूखंड पर है—

(i) एक हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना चैन्नई, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता नगरों के भीतर [5]*** अवस्थित है; या

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 अंत:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 44 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 34 द्वारा (1-4-2018 से) "या इन नगरों की नगरपालिक सीमा से पच्चीस किलोमीटर आकाशी मापित दूरी के भीतर" शब्दों का लोप किया गया ।

(ii) दो हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

(ङ) परियोजना, खंड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंड पर एकमात्र आवासन परियोजना है;

(च) आवासन परियोजना में समाविष्ट निवासी इकाई का [1][कार्पेट क्षेत्र] निम्नलिखित से अधिक नहीं है—

(i) तीस वर्गमीटर, जहां परियोजना चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई नगरों के भीतर [2]*** अवस्थित है; या

(ii) साठ वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

(छ) जहां गृह निर्माण परियोजना की कोई आवासीय इकाई किसी व्यष्टि को आबंटित की गई है वहां उस व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालकों को किसी गृह निर्माण परियोजना में कोई अन्य आवासीय इकाई आबंटित नहीं की जाएगी;

(ज) परियोजना निम्नलिखित का उपयोग करती है—

(i) जहां परियोजना चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई नगर या इन नगरों की नगरपालिक सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर की आकाशमापी दूरी के भीतर अवस्थित है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अधीन भूखंड के संबंध में अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात का नब्बे प्रतिशत से अन्यून, या

(ii) जहां परियोजना उपखंड (1) में स्थान से भिन्न किसी स्थान में अवस्थित है, ऐसे फर्श क्षेत्र अनुपात का अस्सी प्रतिशत से अन्यून; और

(झ) निर्धारिती गृह निर्माण परियोजना के संबंध में पृथक् लेखा बहियां रखता है ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे निर्धारिती को लागू नहीं होगी जो गृह निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किसी व्यक्ति (जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार है) द्वारा दी गई संकर्म संविदा के रूप में करता है ।

(4) जहां गृह निर्माण परियोजना को उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है और जिसके संबंध में किसी कटौती का दावा किया गया है और इस धारा के अधीन अनुज्ञात की गई है, इस प्रकार दावा की गई कटौती की कुल रकम और एक या अधिक पूर्ववर्षों में अनुज्ञात रकम को उस पूर्ववर्ष, जिसमें पूरा करने की अवधि का अवसान होता है, के लिए "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्रभार्य आय माना जाएगा ।

(5) जहां गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ की किसी रकम का किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन दावा किया गया है और अनुज्ञात की गई है, ऐसे लाभ और अभिलाभ की रकम को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[3][(क) "कार्पेट क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है ।]

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भवन निर्माण योजना का अनुमोदन करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से सभी फर्शों पर कुर्सी क्षेत्र के कुल आच्छदित क्षेत्र का भूखंड के क्षेत्र से भाग द्वारा अभिप्राप्त भागफल अभिप्रेत है;

(घ) "गृह निर्माण परियोजना" से कोई परियोजना अभिप्रेत है जिसमें मुख्यत: निवासीय यूनिटें सम्मिलित हैं जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं और प्रसुविधाएं हैं जो सक्षम प्राधिकारी इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुमोदित करे;

(ङ) "आवासीय यूनिट" से कोई स्वतंत्र गृह निर्माण यूनिट अभिप्रेत है जिसमें रहने, खाना बनाने और स्वच्छता अपेक्षाओं की पृथक् सुविधाएं हैं और उसी भवन में अन्य आवासीय यूनिटों से सुभिन्न रूप से पृथक् है, जो किसी बाह्य दरवाजे से या किसी आंतरिक दरवाजे के माध्यम से किसी साझा हाल द्वारा और न कि अन्य गृहस्थी के रहने के स्थान से चलकर पहुंच योग्य है ।]

[4][**80झग. कतिपय विशेष प्रवर्ग के राज्यों में कतिपय उपक्रमों या उद्यमों की बाबत विशेष उपबंध**—(1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम को व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 37 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 40 द्वारा अंत:स्थापित ।

सम्मिलित है, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे लाभ और अभिलाभ में से, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम या उद्यम को लागू होती है,—

(क) जिसने किसी ऐसी वस्तु या चीज का, जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या जो आरंभ करता है या जो किसी ऐसी वस्तु या चीज का जो तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तु या चीज नहीं है, विनिर्माण या उत्पादन करता है और—

(i) 23 दिसंबर, 2002 को आरंभ होने वाली और [1][1 अप्रैल, 2007] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, सिक्किम राज्य में किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है; या

(ii) 7 जनवरी, 2003 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है; या

(iii) 24 दिसंबर, 1997 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी पूर्वोत्तर राज्य में, किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र या औद्योगिक संवर्धन केंद्र या औद्योगिक संपदा या औद्योगिक पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या औद्योगिक क्षेत्र या थीम पार्क में, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है,

सारवान् विस्तार करता है;

(ख) जिसने चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या करता है या उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संक्रिया प्रारंभ करता है या जो चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करता है या उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संक्रिया प्रारंभ करता है और,—

(i) 23 दिसंबर, 2002 को आरंभ होने वाली [1][1 अप्रैल, 2007] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, सिक्किम राज्य में; या

(ii) 7 जनवरी, 2003 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य में; या

(iii) 24 दिसंबर, 1997 को आरंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी पूर्वोत्तर राज्य में,

सारवान् विस्तार करता है ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती,—

(i) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (iii) या खंड (ख) के उपखंड (i) और उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम की दशा में, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी;

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम या उद्यम की दशा में, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी और तत्पश्चात्, लाभों और अभिलाभों का पच्चीस प्रतिशत (या तीस प्रतिशत, जहां निर्धारिती कोई कंपनी है) होगी ।

(4) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम या उद्यम को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुन:स्थापन, पुनर्गठन या पुन:प्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध, इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, उपक्रम या उद्यम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10क या धारा 10ख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी उपक्रम या उद्यम को कोई कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां इस धारा के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि या, यथास्थिति, धारा 80झख की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक या धारा 10ग के अधीन कटौती की कुल अवधि दस निर्धारण वर्षों से अधिक होती है ।

(7) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम या उद्यम को लागू होंगे ।

(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "औद्योगिक क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार विनिर्दिष्ट करे;

(ii) "औद्योगिक संपदा" से ऐसी संपदाएं अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(iii) "औद्योगिक संवर्धन केंद्र" से ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(iv) "औद्योगिक पार्क" से ऐसे पार्क अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(v) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम या उद्यम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या संक्रिया प्रारंभ करता है, या सारवान् विस्तार पूरा करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(vi) "एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र" से ऐसे केंद्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(vii) "पूर्वोत्तर राज्यों" से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत हैं;

(viii) "साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अनुसार स्थापित कोई पार्क अभिप्रेत है;

(ix) "सारवान् विस्तार" से ऐसे संयंत्र और मशीनरी में विनिधान में पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत तक की (किसी वर्ष में अवक्षयण को लेने से पूर्व) वृद्धि अभिप्रेत है, जिसमें सारवान् विस्तार किया जाता है;

(x) "थीम पार्क" से ऐसे पार्क अभिप्रेत हैं, जिन्हें बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई या अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

[1][**80झघ. विनिर्दिष्ट क्षेत्र में होटलों और कन्वेंशन केन्द्रों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो—

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और [1][31 जुलाई, 2010] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है; या

(ii) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी कन्वेंशन केन्द्र के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और [1][31 जुलाई 2010] को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है;

[2][(iii) विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है ।]

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी उपलब्ध होगी जब,—

(i) पात्र कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित करके या पुनर्गठित करके नहीं बना है;

(ii) पात्र कारबार, यथास्थिति, होटल या कन्वेंशन केन्द्र के लिए पूर्व में प्रयुक्त भवन को नए कारबार में अंतरित करके नहीं बना है;

(iii) पात्र कारबार किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं;

(iv) निर्धारिती आय की विवरणी के साथ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं और किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित संपरीक्षा की रिपोर्ट, जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित है, यह प्रमाणित करते हुए देता है कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है ।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10कक के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (8) से उपधारा (11) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र कारबार को लागू होंगे ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कन्वेंशन केन्द्र" से सम्मेलन और संगोष्ठियां कराने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने हेतु कन्वेंशन सभागारों वाला विहित क्षेत्र का भवन अभिप्रेत है, जिसका आकार और संख्या ऐसी है तथा जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं और सुख-सुविधाएं हैं जो विहित की जाएं;

(ख) "होटल" से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा, तीन सितारा या चार सितारा प्रवर्ग का कोई होटल अभिप्रेत है;

(ग) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से,—

(i) किसी होटल की दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें होटल कारबार कार्य आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(ii) किसी कन्वेंशन केन्द्र की दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें कन्वेंशन केन्द्र वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(घ) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" से, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले अभिप्रेत हैं;

[2][(ङ) "विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले" से नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में तत्सथानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्यों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट जिले अभिप्रेत हैं :

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित ।

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
2.	जलगांव	महाराष्ट्र
3.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
4.	कांचीपुरम	तमिलनाडु
5.	पुरी	उड़ीसा
6.	भरतपुर	राजस्थान
7.	छतरपुर	मध्य प्रदेश
8.	तंजावुर	तमिलनाडु
9.	बेलारी	कर्नाटक
10.	दक्षिण 24 परगना (2001 की जनगणना के आधार पर कोलकाता नगर क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)	पश्चिमी बंगाल
11.	चमोली	उत्तराखंड
12.	रायसेन	मध्य प्रदेश
13.	गया	बिहार
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश
15.	पंचमहल	गुजरात
16.	कामरूप	असम
17.	गोलपाड़ा	असम
18.	नागांव	असम
19.	उत्तरी गोवा	गोवा
20.	दक्षिण गोवा	गोवा
21.	दार्जिलिंग	पश्चिमी बंगाल
22.	नीलगिरी	तमिलनाडु ।]

[1][**80झङ. पूर्वोत्तर राज्यों में कतिपय उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध**—(1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से ऐसे किसी उपक्रम को, जिसे यह धारा लागू होती है, व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा किसी ऐसे उपक्रम को लागू होती है जिसने पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी राज्य में 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाली और 1 अप्रैल, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान,—

(i) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करना;

(ii) किसी पात्र वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन करने के लिए सारवान् विस्तारण करना;

(iii) कोई पात्र कारबार करना,

आरंभ किया है या करता है ।

(3) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) वह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुन:स्थापन, पुनर्गठन या पुन:प्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है;

(ii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी उपक्रम को इस धारा के अधीन कोई कटौती वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां इस धारा के अधीन या, यथास्थिति, धारा 80झग या धारा 80झख की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक या धारा 10ग के अधीन कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि दस निर्धारण वर्षों से अधिक होती है ।

(6) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (7) से उपधारा (12) में अंतर्विष्ट उपबंध, यथासाध्य, इस धारा के अधीन पात्र उपक्रम को लागू होंगे ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें उपक्रम वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या सारवान् विस्तारण पूरा करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(ii) "पूर्वोत्तर राज्यों" से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत हैं;

(iii) "सारवान् विस्तारण" से ऐसे संयंत्र और मशीनरी में विनिधान में, उस पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक की (किसी वर्ष में अवक्षयण को लेने से पूर्व) वृद्धि अभिप्रेत है, जिसमें सारवान् विस्तारण किया जाता है;

(iv) "पात्र वस्तु या चीज" से निम्नलिखित से भिन्न वस्तु या चीज अभिप्रेत है :—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 के अधीन आने वाला माल, जो तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प से संबंधित है;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 21 के अधीन आने वाला पान मसाला;

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं० का०आ० 705(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1999 और का०आ० 698(अ), तारीख 17 जून, 2003 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक थैले; या

(घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय 27 के अधीन आने वाला पेट्रोलियम तेल या गैस रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित माल;

(v) "पात्र कारबार" से निम्नलिखित का कारबार अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) होटल (दो-सितारा प्रवर्ग से कम नहीं);

(ख) साहसिक और खाली समय के खेल-कूद, जिसके अंतर्गत रज्जुमार्ग भी है;

(ग) पच्चीस बिस्तरों की न्यूनतम क्षमता वाले परिचर्या गृह की प्रकृति की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना;

(घ) वृद्धाश्रम चलाना;

(ङ) होटल प्रबंध, खानपान और खाद्य कौशल, उद्यम विकास, परिचर्या और परा-चिकित्सा, नागर विमानन संबंधी प्रशिक्षण, फैशन डिजाइन और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाना;

(च) सूचना-प्रौद्योगिकी से संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र चलाना;

(छ) सूचना-प्रौद्योगिकी हार्डवेयर का विनिर्माण करना; और

(ज) जैव-प्रौद्योगिकी ।]

[1]* * * * *

[2]* * * * *

[3][**80ञञक. जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारबार के लिए लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती**—जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में शक्ति का उत्पादन करने, [4][या जैव उर्वरक, जैव नाशक जीवमार या अन्य जैव कर्मक या बायो-गैस तैयार करने या] ईंधन के लिए गुटिका या इष्टिका या कार्बनिक खाद तैयार करने के लिए जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण या अभिक्रियान्वयन के कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ भी सम्मिलित हैं वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में [4][उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा कारबार प्रारम्भ होता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे संपूर्ण लाभों और अभिलाभों के बराबर किसी रकम की कटौती] अनुज्ञात की जाएगी ।

[5][**80ञञकक. नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती, जिसको धारा 44कख लागू होती है, की सकल कुल आय में, कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, ऐसे कारबार के दौरान उपगत अतिरिक्त कर्मचारी की लागत के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी—

(क) यदि कारबार का गठन विद्यमान कारबार के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा हुआ है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे कारबार के संबंध में लागू नहीं होगी जिसका गठन धारा 33ख में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर निर्धारिती द्वारा कारबार के पुन:स्थापन, पुननिर्माण या पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप किया गया है;

(ख) यदि कारबार निर्धारिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अंतरण के रूप में या किसी कारबार पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अर्जित किया जाता है;

(ग) जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "अतिरिक्त कर्मचारी लागत" से पूर्ववर्ष के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को संदत्त या संदेय कुल परिलब्धियां अभिप्रेत हैं :

परंतु विद्यमान कारबार की दशा में अतिरिक्त कर्मचारी लागत शून्य होगी, यदि—

(क) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या से कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है;

(ख) परिलब्धियां बैंक खाते के माध्यम से पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट द्वारा या इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से अन्यथा संदत्त की जाती हैं :

परंतु यह और कि नए कारबार के प्रथम वर्ष में, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों को संदत्त या संदेय परिलब्धियां अतिरिक्त कर्मचारी लागत समझी जाएगी;

(ii) "अतिरिक्त कर्मचारी" से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो पूर्ववर्ष के दौरान नियोजित किया गया है और जिसके नियोजन का प्रभाव पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को नियोजक द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है,—

(क) कोई ऐसा कर्मचारी जिसकी प्रतिमास कुल परिलब्धियां पच्चीस हजार रुपए से अधिक है; या

(ख) ऐसा कर्मचारी जिसके लिए समस्त अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन सरकार द्वारा संदत्त किया जाता है; या

---

[1] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 29 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[2] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 26 द्वारा (1-4-1998 से) लोप किया गया ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) पूर्ववर्ष के दौरान दो सौ चालीस दिन से कम की अवधि के लिए नियोजित कोई कर्मचारी; या

(घ) कोई कर्मचारी, जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग नहीं लेता है;

(iii) "परिलब्धियों" से किसी कर्मचारी को उसके नियोजन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के बदले में संदत्त या संदेय कोई धनराशि अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मचारी के फायदे के लिए नियोजक द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में संदत्त या संदेय कोई अंशदान; और

(ख) उसकी सेवा के पर्यवसान या अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय संदत्त या संदेय कोई एकमुश्त संदाय जैसे उपदान, पृथक्करण वेतन, छुट्टी नकदीकरण, स्वैच्छिक छंटनी फायदे, पेंशन का संराशीकरण और वैसे ही संदाय ।

(3) इस धारा के उपबंध, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान थे, 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कटौती का दावा करने वाले पात्र निर्धारिती को लागू होंगे ।]

[1]* * * * *

[2]* * * * *

[3][**80ठक. अपतट बैंककारी यूनिटों और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती की,—

(i) जो अनुसूचित बैंक या भारत से बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई बैंक है और जिसकी विशेष आर्थिक जोन में अपतट बैंककारी यूनिट है; या

(ii) जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट है,

सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी आय में से—

(क) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, (1992 का 15) या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के सौ प्रतिशत, और उसके पश्चात्;

(ख) पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के पचास प्रतिशत, के समतुल्य रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय—

(क) किसी विशेष आर्थिक जोन में अपतट बैंककारी यूनिट से; या

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित उपक्रम या किसी अन्य उपक्रम से, जो किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है, विकास और प्रचालन करता है या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करता है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार से; या

(ग) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की किसी यूनिट से उसके ऐसे कारबार से जिसके लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे केन्द्र में स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है,

प्राप्त आय होगी ।

(3) इस धारा के अधीन कोई कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती आय की विवरणी के साथ,—

(i) धारा 80ठक की उपधारा (2) के खण्ड (i) के अधीन, जैसी कि वह इस धारा द्वारा उसके प्रतिस्थापन के ठीक पूर्व थी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में धारा 228 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया; और

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 19 द्वारा (1-4-1987 से) लोप किया गया ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 28 द्वारा (1-4-2006 से) लोप किया गया ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अभिप्राप्त अनुज्ञा की प्रति,

प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है;

(ख) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ङ) में उसका है;

(ग) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ है जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में उसका है;

(घ) "यूनिट" का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है;]

[1]* * * * *

[2]* * * * *

[3]* * * * *

[4][**80ण. कतिपय विदेशी उद्यमों से स्वामिस्व इत्यादि की बाबत कटौती**—[5][जहां किसी निर्धारिती की, जो भारतीय कंपनी है] [6][या (कम्पनी से भिन्न) कोई व्यक्ति है जो भारत में निवासी है [7][सकल कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित है जो निर्धारिती द्वारा भारत के बाहर किसी पेटेन्ट, आविष्कार, डिजाइन या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रयोग के प्रतिफलस्वरूप किसी विदेशी राज्य की सरकार या विदेशी उद्यम से प्राप्त की गई हो] [8][[9][और ऐसी आय भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाने पर या भारत से बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित की जाने पर निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से, विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में लाई जाती है [10][वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए भारत में इस प्रकार प्राप्त की गई या लाई गई आय के—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए चालीस प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए बीस प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए दस प्रतिशत,

के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[11]* * * * *

[12][[13][परन्तु] ऐसी आय भारत में पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या [ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे] प्राप्त की जाती है ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 43 द्वारा (1-4-2004 से) लोप किया गया ।
[2] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 29 द्वारा (1-4-1984 से) लोप किया गया ।
[3] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 22 द्वारा (1-4-1986 से) लोप किया गया ।
[4] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 21 द्वारा (1-4-1972 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा (1-4-1975 से) "(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो भारतीय कंपनी है या (कंपनी से भिन्न) कोई अन्य व्यक्ति है जो भारत में निवासी है" कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 34 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 25 द्वारा (1-4-1988 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा (1-4-1972 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[11] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 34 द्वारा (1-4-1992 से) लोप किया गया ।
[12] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 36 द्वारा (1-4-1988 से) अंत:स्थापित ।
[13] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 34 द्वारा (1-4-1992 से) "परन्तु यह और भी कि" लोप किया गया ।

[1][परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र नहीं दे देता है कि कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से अभिप्रेत है ऐसी विदेशी मुद्रा जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मानी गई है;

[3][(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात रीति से भारत के बाहर निर्धारिती द्वारा उपयोग की गई आय विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसी अनुज्ञा की तारीख को भारत में लाई गई समझी जाएगी;]

[4][(iii) "भारत के बाहर सेवाएं देने या देने के करार" के अन्तर्गत भारत से दी गई सेवाएं होंगी किन्तु भारत में दी गई सेवाएं नहीं होंगी;]

[5][(iv) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

[6]* * * * *

80त. सहकारी सोसाइटियों की आय की बाबत कटैती—(1) जहां किसी निर्धारिती की दशा में जो सहकारी सोसाइटी है, उसकी सकल कुल आय में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां निर्धारिती की कुल आय संगणित करने में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों की कटौती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अध्यधीन की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(क) ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में जो—

(i) बैंककारी या अपने सदस्यों को उधार-सुविधाएं उपलभ्य करने के कारबार में लगी हुई है, या

(ii) कुटीर उद्योग में लगी हुई है, या

[7][(iii) अपने सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि-उपज के विपणन में लगी हुई है, या]

(iv) अपने सदस्यों को प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए कृषि के उपकरणों, बीजों, पशु धन या कृषि के लिए आशयित अन्य चीजों के क्रय में लगी हुई है, या

(v) अपने सदस्यों की कृषि-उपज के, शक्ति की सहायता के बिना, प्रसंस्करण में लगी हुई है, [8][या]

[8][(vi) जो अपने सदस्यों के श्रम के सामूहिक विनियोग में लगी हुई है, या

(vii) मछली पकड़ने या सहबद्ध क्रियाकलाप में लगी हुई है अर्थात् मछली पकड़ने या उसका संसाधन, प्रसंस्करण, परिरक्षण भंडारकरण या विपणन में या अपने सदस्यों को प्रदाय करने में प्रयोजनार्थ उससे संबद्ध सामग्री और उपस्कर को क्रय करने में लगी हुई है,]

ऐसे क्रियाकलापों में से किसी एक या अधिक से हुए माने जा सकने वाले कारबार के लाभ और अभिलाभ की संपूर्ण रकमः

[8][परन्तु यह तब जब कि उपखंड (vi) या उपखंड (vii) के अन्तर्गत आने वाली सहकारी सोसाइटी की दशा में, उस सोसाइटी के नियम और उपविधियां मताधिकार को उसके सदस्यों के निम्नलिखित वर्गों तक निबन्धित करती है, अर्थात्—

(1) व्यष्टि जो, अपने श्रम का अभिदाय करते हैं या, यथास्थिति, मछली पकड़ने का या सहबद्ध क्रियाकलाप करते है,;

(2) सहकारी प्रत्यय सोसाइटियां जो उस सोसाइटी को वित्तीय सहायता देती है;

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 36 द्वारा (1-4-1986 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 36 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 34 द्वारा (1-4-1992 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 53 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 9 द्वारा लोप किया गया ।
[7] 1999 के अधिनियम सं० 11 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1971 के अधिनियम सं० 32 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) राज्य सरकार;]

[1][(ख) ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जो ऐसी प्राथमिक सोसाइटी है जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित या उपजाए गए दूध, तिलहन, फलों या सब्जियों का प्रदाय—

(i) किसी परिसंघ सहकारी सोसाइटी को, जो ऐसी सोसाइटी है जो, यथास्थिति दूध, तिलहन, फलों या सब्जियों के प्रदाय का कारबार करती है; अथवा

(ii) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को; अथवा

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी को या किसी केन्द्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम को (जो ऐसी कंपनी या निगम है जो जनता को, यथास्थिति, दूध, तिलहन, फलों या सब्जियों का प्रदाय करने लगा हुआ है),

करने में लगी हुई, ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ की संपूर्ण रकम;]

(ग) ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में, (ऐसे विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से सब या किसी से स्वतन्त्र रूप में अतिरिक्त) लगी हुई है उसके [2][ऐसे क्रियाकलापों से हुए माने जा सकने वाले लाभों और अभिलाभों में से इतना जितना—

(i) जहां ऐसी सहकारी सोसाइटी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी है, [3][एक लाख रुपए] से अधिक नहीं है; और

(ii) किसी अन्य दशा में [3][पचास हजार रुपए] से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में "उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो उपभोक्ताओं के फायदे के लिए है ।]

(घ) सहकारी सोसाइटी की किसी अन्य सहकारी सोसाइटी में उसके विनिधानों से व्युत्पन्न ब्याज या लाभांशों के रूप में किसी आय के संबंध में ऐसी सम्पूर्ण आय;

(ड) सहकारी सोसाइटी की वस्तुओं को भंडारकरण, प्रसंस्करण या विपणन को सुकर बनाने के लिए गोदामों या भांडागारों को किराए पर लगाने से व्युत्पन्न किसी आय के संबंध में ऐसी संपूर्ण आय;

(च) ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जो आवासान सोसाइटी या नगरीय उपभोक्ता सोसाइटी या परिवहन कारबार करने वाली सोसाइटी या शक्ति की सहायता से किन्हीं विनिर्माण संक्रियाओं के संप्रदान में लगी हुई सोसाइटी नहीं है, जहां सकल कुल आय बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है वहां [4]*** प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी आय या धारा 22 के अधीन प्रभार्य गृह संपत्ति से किसी आय की रकम ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के के लिए "नगरीय उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगरपालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र या छावनी की परिसीमा के अन्दर उपभोक्ताओं के फायदे के लिए कोई सोसाइटी ।

(3) उस दशा में, जिसमें निर्धारिती [5]***, [6][धारा 80जज या धारा 80जजक], [7][या धारा 80जजख], [8][या धारा 80जजग], [9][या धारा 80जजघ], [10][धारा 80झ], [11][या धारा 80झक] या धारा 80ञ [12][या धारा 80ञञ] [13]*** के अधीन भी कटौती के लिए हकदार है, वहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट राशियों के संबंध में इस धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती, सकल कुल आय में सम्मिलित उन खण्डों में यथानिर्दिष्ट आय के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश से जैसी कि वह [14]***

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 30 द्वारा (1-4-1984 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 14 द्वारा (1-4-1980 से) कतिपय शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 27 द्वारा (1-4-1989 से) "धारा 18 के अधीन प्रभार्य" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 24 द्वारा (1-4-1976 से) "धारा 80ज या" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया गया ।

[6] 1971 के अधिनियम सं० 29 की धारा 29 द्वारा (1-4-1978 से) "धारा 80जज या धारा 80ञ" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 32 द्वारा (1-4-1982 से) अंतःस्थापित ।

[8] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 39 द्वारा (1-4-1983 से) अंतःस्थापित ।

[9] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 57 द्वारा (1-4-1989 से) अंतःस्थापित ।

[10] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 35 द्वारा (1-4-1981 से) अंतःस्थापित ।

[11] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 18 द्वारा (1-4-1991 से) अंतःस्थापित ।

[12] 1989 अधिनियम सं० 13 की धारा 25 द्वारा (1-4-1990 से) अंतःस्थापित ।

[13] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा (1-4-1980 से) अंतःस्थापित शब्दों का 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 39 द्वारा (1-4-1984 से) लोप किया गया ।

[14] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 24 द्वारा (1-4-1976 से) लोप किया गया ।

[1][धारा 80जज], [2][धारा जजक], [3][धारा 80जजख], [4][धारा 80 जजग], [5][80 जजघ], [6][धारा 80झ], [7][धारा 80झक], [8][[9][धारा 80ञ और धारा 80ञञ] के अधीन कटौतियां] को घटा कर आए, अनुज्ञात की जाएगी ।

[10][(4) इस धारा के उपबंध किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न, किसी सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सहकारी बैंक" और "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी" के वही अर्थ होंगे जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के भाग 5 में उनके हैं;

(ख) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके प्रचालन का क्षेत्र किसी ताल्लुक तक सीमित है और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास क्रियाकलापों के लिए दीर्घकालिक उधार उपलब्ध कराना है ।]

[11][**80थ. पुस्तकों के प्रकाशन के कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 1992 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से या उस निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती चार निर्धारण वर्षों में से किसी से सुसंगत पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं जो भारत में चलाए जाने वाले पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन या पुस्तकों के प्रकाशन के कारबार से व्युत्पन्न होते हैं वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे लाभ और अभिलाभ में से उनके बीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उस दशा में जहां निर्धारिती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभ और अभिलाभ के किसी भाग के संबंध में, धारा 80जज या धारा 80जजक या धारा 80जजग या धारा 80झ या धारा 80झक या धारा 80ञ या धारा 80त के अधीन कटौती का भी हकदार है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती उस सकल कुल आय में जैसी कि वह धारा 80जज, धारा 80जजक, धारा 80जजग, धारा 80झ, धारा 80झक, धारा 80ञ और धारा 80त के अधीन कटौतियों को घटाकर आए सम्मिलित ऐसे लाभ और अभिलाभ के प्रति निर्देश से, अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पुस्तक" के अंतर्गत समाचारपत्र, जर्नल, पत्रिका, डायरी, विवरणिका, ट्रेक्ट, पुस्तिका और इसी प्रकार के अन्य प्रकाशन, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, नहीं है ।]

[12]* * * *

[13][**80थथक. भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की वृत्तिक आय की बाबत कटौतियां**—(1) जहां भारत में निवासी है और किसी व्यष्टि की दशा में जो लेखक है,—

[14][(क) 1980 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से या उसके ठीक पश्चात्वर्ती नौ निर्धारण वर्षों में से किसी से; या

(ख) 1992 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से या उसके ठीक पश्चात्वर्ती चार निर्धारण वर्षों में से किसी से,]

सुसंगत पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में कोई ऐसी आय सम्मिलित है जो किसी पुस्तक के प्रतिलिप्यधिकार में उनके किसी भी हित के समनुदेशन या अनुदान के लिए या ऐसी पुस्तक के स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार में उनके किसी भी हित के समनुदेशन या अनुदान के लिए या ऐसी पुस्तक के स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार की फीस के चाहे वह एकमुश्त राशि में प्राप्य हो या (अन्यथा) किसी एकमुश्त प्रतिफल के लेखे उसकी अपनी वृत्ति से व्युत्पन्न आय है वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में ऐसी आय में से उसके पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक—

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 29 द्वारा (1-4-1978 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 25 द्वारा (1-4-1981 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 32 द्वारा (1-4-1983 से) अंतःस्थापित ।
[4] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 39 द्वारा (1-4-1983 से) अंतःस्थापित ।
[5] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 57 द्वारा (1-4-1989 से) अंतःस्थापित ।
[6] 1981 अधिनियम सं० 16 की धारा 25 द्वारा (1-4-1981 से) अंतःस्थापित ।
[7] 1993 अधिनियम सं० 38 की धारा 18 द्वारा (1-4-1991 से) अंतःस्थापित ।
[8] 1985 अधिनियम सं० 32 की धारा 36 द्वारा (1-4-1986 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 1989 अधिनियम सं० 13 की धारा 25 द्वारा (1-4-1990 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 2006 अधिनियम सं० 21 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित ।
[11] 1991 अधिनियम सं० 49 की धारा 35 द्वारा (1-4-1992 से) अंतःस्थापित जिसका 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 21 द्वारा (1-4-1973 से) लोप किया गया ।
[12] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 28 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[13] 1979 के अधिनियम सं० 21 की धारा 15 द्वारा (1-4-1980 से) अंतःस्थापित ।
[14] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 36 द्वारा (1-4-1992 से) प्रतिस्थापित ।

(क) वह पुस्तक, शब्दकोष, पर्याय शब्दकोष या विश्वकोष के रूप में न हो अथवा ऐसी पुस्तक न हो जो पाठ्य-पुस्तक के रूप में किसी विश्वविद्यालय द्वारा उस विश्वविद्यालय के स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विहित न की गई हो या उसकी सिफारिश न की गई हो, अथवा पाठ्यचर्या में सम्मिलित न हो; और

(ख) वह पुस्तक संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भाग में या अन्यथा किसी ऐसी भाषा में न लिखी गई हो, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस भाषा में खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की पुस्तकों के प्रकाशन के संवर्धन की आवश्यकता को और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) "लेखक" के अन्तर्गत संयुक्त लेखक है;

(ii) स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार की फीस के संबंध में "एकमुश्त राशि" के अन्तर्गत ऐसे स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार की फीस के मद्दे किया गया ऐसा अग्रिम संदाय भी है जिसे वापस नहीं किया जाना है;

(iii) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ है जो धारा 47 के खण्ड (ix) के स्पष्टीकरण में है ।]

[1][**80थथख. पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कतिपय पुस्तकों के लेखकों की स्वामिस्व आय, आदि की बाबत कटौती**—(1) जहां भारत में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में, जो लेखक है, सकल कुल आय में किसी पुस्तक के, जो साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति की कृति है, प्रतिलिप्यधिकार में उसके किन्हीं हितों के समनुदेशन या मंजूरी के लिए किसी एकमुश्त प्रतिफल या ऐसी पुस्तक की बाबत स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस (चाहे एक मुश्त या अन्यथा प्राप्य हो) के मद्दे उसकी वृत्ति के प्रयोग में उसके द्वारा व्युत्पन्न कोई आय भी सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से संगणित ऐसी आय से कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) इस धारा के अधीन कटौती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी संपूर्ण आय या तीन लाख रुपए की रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगी :

परंतु जहां ऐसे स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार फीस के रूप में आय, पुस्तक में निर्धारिती के सभी अधिकारों के बदले एकमुश्त प्रतिफल नहीं है वहां ऐसी आय के संबंध में किए जाने वाले व्ययों को अनुज्ञात करने से पूर्व आय के उतने भाग को, जो पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय की गई ऐसी पुस्तकों के मूल्य के प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो, छोड़ दिया जाएगाः

परंतु यह और कि भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत, आय के उतने भाग को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की गई है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो समक्ष प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, अंत से छह मास की अवधि के भीतर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाई जाती है ।

(3) इस धारा के अधीन कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी, जब निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप और विहित रीति में, ऐसी विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए, जो विहित की जाएं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती को, ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित कोई प्रमाणपत्र दे देता है ।

(4) इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत के बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तभी अनुज्ञात होगी जब निर्धारिती, विहित रीति में आय की विवरणी के साथ विहित प्राधिकारी से विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र दे देता है ।

(5) जहां इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी कटौती का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है वहां ऐसी आय की बाबत कोई कटौती किसी निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लेखक" के अंतर्गत संयुक्त लेखक हैं;

(ख) "पुस्तक" के अंतर्गत निर्देशिका, समीक्षा, डायरी, मार्गदर्शिका, जर्नल, पत्रिका, समाचारपत्र, विवरणिका, विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें, पुस्तिकाएं और इसी प्रकार के अन्य प्रकाशन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, नहीं हैं;]

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है;

(घ) स्वामिस्व या प्रतिलिप्यधिकार की फीस के संबंध में, "एक मुश्त राशि" के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्वों या प्रतिलिप्यधिकार की फीस मद्दे किया गया ऐसा अग्रिम संदाय भी है, जिसे वापस नहीं किया जाना है ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 44 द्वारा अंतःस्थापित ।

80द. प्राचार्यों, शिक्षकों आदि की दशा में कतिपय विदेशी स्रोतों से पारिश्रमिक की बाबत कटौती—जहां किसी व्यष्टि को, जो भारत का नागरिक है, सकल कुल आय में कोई ऐसा पारिश्रमिक सम्मिलित है जो उस द्वारा, भारत के बाहर स्थापित किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था [1][या भारत के बाहर स्थापित किसी अन्य संगम या निकाय से] ऐसे विश्वविद्यालय, संस्था, संगम या निकाय में प्राचार्य, शिक्षक, या अनुसंधान कार्यकर्ता की हैसियत से भारत के बाहर अपने वास के दौरान अपने द्वारा की गई किसी सेवा के लिए भारत से बाहर प्राप्त किया गया है, [2][वहां उस व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में, [3][ऐसे पारिश्रमिक में से ऐसे पारिश्रमिक के, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, भारत में लाया जाता है,—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए साठ प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए पैंतालीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तीस प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए पंद्रह प्रतिशत,

के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती, विहित प्ररूप में, आय की विवरणी के साथ, यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से दावा किया गया है, प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।]

[4]* * * *

[5][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और संव्यवहारों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

[6][**80दद. कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय की बाबत कटौती**—जहां भारत में निवासी किसी व्यष्टि की, जो लेखक, नाटककार, कलाकार, [7][संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (जिसके अन्तर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है)] है, सकल कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित है जो उसे अपनी वृत्ति करने से किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवासी नहीं है व्युत्पन्न हुई है, [8][वहां उस व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में [9][ऐसी आय में से ऐसी आय के, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से संपरिवर्तन विदेशी मुद्रा में पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, भारत में लाई जाती है,—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए साठ प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए पैंतालीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तीस प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए पंद्रह प्रतिशत,

के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

[10][परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती, विहित प्ररूप में, आय की विवरणी के साथ, यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से दावा किया गया है, प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।]

[5][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

---

[1] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 31 द्वारा (1-4-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 27 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 27 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 55 द्वारा अंतःस्थापित ।
[6] 1969 के अधिनियम सं० 14 की धारा 11 द्वारा (1-4-1970 से) अन्तःस्थापित ।
[7] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 20 द्वारा (1-4-1980 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 28 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**80ददक. भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक की बाबत कटौती**—(1) जहां किसी व्यष्टि की जो, भारत का नागरिक है, सकल कुल आय में ऐसा पारिश्रमिक सम्मिलित है जो उसे भारत के बाहर उसके द्वारा की गई सेवा के लिए किसी नियोजक से (जो विदेशी नियोजक या भारतीय समुत्थान है) विदेशी करेंसी में प्राप्त होता है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन, [2][ऐसी पारिश्रमिक में से ऐसे पारिश्रमिक के, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पूर्ववर्ष की समाप्ति से छम मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, भारत में लाया जाता है,—

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए साठ प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए पैंतालीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तीस प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए पंद्रह प्रतिशत,

के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :]

[3][परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती, विहित प्ररूप में, आय की विवरणी के साथ, यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से दावा किया गया है, प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।]

[4]* * * *

(2) इस धारा के अधीन कटौतीः—

(i) ऐसे व्यष्टि की दशा में जो ऐसी सेवा के ठीक पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में है या था तभी अनुज्ञात की जाएगी जब ऐसी सेवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है; और

(ii) किसी अन्य व्यष्टि की दशा में तभी अनुज्ञात की जाएगी जब वह तकनीकी हो और भारत से बाहर उसकी सेवा की शर्तें और निबंधन केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विदेशी करेंसी" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में है—

(ख) "विदेशी नियोजक" से अभिप्रेत है—

(i) किसी विदेशी राज्य की सरकार, या

(ii) विदेशी उद्यम, या

(iii) भारत से बाहर स्थापित कोई संगम या निकाय;

(ग) "तकनीकी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे—

(i) निर्माण या विनिर्माण कार्य या खनन या विद्युत या किसी अन्य रूप में शक्ति के उत्पादन या वितरण का; या

(ii) कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या पोत निर्माण का; या

(iii) लोक प्रशासन या औद्योगिक या कारबार प्रबंध का; या

(iv) लेखाकर्म का; या

(v) प्राकृतिक या अनुपयुक्त विज्ञान (जिसके अन्तर्गत आयुर्विज्ञान भी है) या सामाजिक विज्ञान का; या

(vi) किसी अन्य विषय का, जो बोर्ड इस निमित्त विहित करे,

विशेष ज्ञान या अनुभव है और जो ऐसी हैसियत में नियोजित है जिसमें ऐसे विशेष ज्ञान और अनुभव का वास्तव में उपयोग किया जाता है;

---

[1] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 29 द्वारा (1-4-1991 से) लोप किया गया ।

[1][(घ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है भातीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और संव्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।]

[2][**80ददख. पेटेंटों पर स्वामिस्व की बाबत कटौती**—(1) जहां ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो व्यष्टि है, और जो—

(क) भारत का निवासी है;

(ख) कोई पेटेंटी है;

(ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट की बाबत स्वामिस्व के रूप में कोई आय प्राप्त करता है, और उसकी पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में स्वामिस्व सम्मिलित है, वहां उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी आय से ऐसी संपूर्ण आय के बराबर रकम की या तीन लाख रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगीः

परन्तु जहां पटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन किसी पटेंट की बाबत कोई अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है वहां इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए स्वामिस्व के रूप में आय, उस अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा निश्चित किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन स्वामिस्व की रकम से अधिक नहीं होगीः

परंतु यह और कि भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत उतनी आय को इस धारा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी आय उपार्जित की जाती है, छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसे धारा 80थथख के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में लाई जाती है ।

(2) इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं कि जाएगी जब तक निर्धारिती, ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, वर्णित करते हुए आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

(3) इस धारा के अधीन कोई कटौती भारत से बाहर किसी स्रोत से उपार्जित किसी आय की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं कि जाएगी जब तक निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में, ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों से, जो विहित किए जाएं, प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

(4) जहां किसी पूर्वर्ष के लिए इस धारा में निर्दिष्ट किसी आय की बाबत किसी कटौती का दावा किया गया है और वह अनुज्ञात की गई है वहां किसी निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं कि जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रक" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है;

(ख) "एकमुश्त" के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्व की बाबत कोई अग्रिम संदाय भी आता है जो लौटाया नहीं जाना है;

(ग) "पेटेंट" से पटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन अनुदत्त कोई पटेंट (जिसमें परिवर्धन का कोई पटेंट सम्मिलित है) अभिप्रेत है;

(घ) "पेटेंटी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आवष्कार का असली और मूल आविष्कार है, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अनुसार पटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर में दर्ज है और जिसके अंतर्गत यदि उस पेटेंट की बाबत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उस अधिनियम के अधीन पेटेंटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो आविष्कार का असली और मूल आविष्कार है;

(ङ) "परिवर्धन का पेटेंट" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) में है;

(च) "पेटेंटीकृत वस्तु" और "पेटेंटीकृत प्रक्रिया" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में हैं;

(छ) किसी पेटेंट की बाबत "स्वामिस्व" से, निम्नलिखित के लिए प्रतिफल अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल है किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा प्रतिफल नहीं है जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य प्राप्तकर्ता की आय या पेटेंटीकृत प्रक्रिया या पेटेंटीकृत वस्तु के वाणिज्यिक उपयोग के लिए विनिर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए प्रतिफल है)—

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 56 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 45 द्वारा अंतःस्थापित ।

(i) किसी पेटेंट की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत किसी अनुज्ञप्ति का अनुदत्त करना है); या

(ii) किसी पेटेंट के कार्यकरण या उपयोग से संबंधित कोई सूचना देना; या

(iii) किसी पेटंट का उपयोग करना; या

(iv) उपखंड (i) से उपखंड (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराना;

(ज) "असली और मूल आविष्कारक" का वही अर्थ है जो पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (म) में है ।]

[1]* * * * *

[2]* * * * *

[3][गक—अन्य आय की बाबत कटौतियां

80ननक. बचत खाते में निक्षेपों पर ब्याज की बाबत कटौती—(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, सकल कुल आय में,—

(क) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है);

(ख) बैंककारी कारबार करने में लगी हुई किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है); या

(ग) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित किसी डाकघर में,

बचत खाते में निक्षेपों पर (जो सावधिक निक्षेप नहीं हैं) ब्याज के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इसमें इसके नीचे यथा विनिर्दिष्ट कटौती अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात्:—

(i) ऐसे मामले में, जहां ऐसी आय की रकम कुल मिलाकर दस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है संपूर्ण ऐसी रकम; और

(ii) किसी अन्य मामले में, दस हजार रुपए ।

(2) जहां इस धारा में निर्दिष्ट आय किसी फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय द्वारा या उसकी ओर से धारित किसी बचत खाते में किसी निक्षेप से व्युत्पन्न होती है, वहां इस धारा के अधीन फर्म के किसी भागीदार या संगम के किसी सदस्य या निकाय के किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में ऐसी आय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सावधिक निक्षेप" से नियत अवधियों की समाप्ति पर प्रतिसंदेय निक्षेप अभिप्रेत हैं ।]

[4][घ—अन्य कटौतियां]

[5][**80प. किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती**—[6][(1) किसी ऐसे व्यष्टि की, जो निवासी है और जिसे पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्त व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया है, कुल आय की संगणना करने में पचहत्तर हजार रुपए की राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगीः

परंतु जहां ऐसा व्यष्टि गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्ति है वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर शब्दों के स्थान पर "एक लाख पच्चीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हैं ।]

(2) इस धारा के अधीन किसी कटौती का दावा करने वाला प्रत्येक व्यष्टि, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति उस निर्धारण वर्ष की बाबत, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगाः

[1] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 22 द्वारा (1-4-1987 से) लोप किया गया ।
[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 38 द्वारा (1-4-1988 से) धारा 80न का लोप किया गया ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 30 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) अंतःस्थापित ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु जहां निःशक्तता की स्थिति के प्रभाव का उपर्युक्त प्रमाणपत्र में नियत किसी अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण अपेक्षित हो, वहां, इस धारा के अधीन उस पूर्ववर्ष के अवसान के पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके दौरान पूर्वोक्त निःशक्तता प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक उस प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, चिकित्सा प्राधिकारी से अभिप्राप्त एक नया प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उसकी एक प्रति धारा 139 के अधीन आय-कर की विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है :

[1][परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2010 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए पहले परंतुक के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निःशक्तता" का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (ञ) में है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात" और "बहु-निःशक्तता" भी है;

(ख) "चिकित्सा प्राधिकारी" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी या ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999(1999 का 44) की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ञ) और खंड (ण) में निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात", "बहु-निःशक्तता", "निःशक्त व्यक्ति" और "गंभीर निःशक्तता" को प्रमाणित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) "निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (ञ) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "गंभीर निःशक्त व्यक्ति" से,—

(i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 56 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति; या

(ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्त व्यक्ति,

अभिप्रेत है ।]

80फ. [वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा (1-4-1995 से) लोप किया गया ।]

80फफ. [1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 25 द्वारा (1-4-1986 से) लोप किया गया ।]

[3][**अध्याय 6ख**

कंपनियों की दशा में कुछ कटौतियों पर निर्बंधन

[3]* * * * *

अध्याय 7

कुल आय की भागरूप आय जिन पर कोई आय-कर संदत्त नहीं है

[4]* * * * *

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 38 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1988 के प्रत्यक्ष-कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 40 द्वारा (1-4-1988 से) अध्याय 6ख और धारा 80फफक का लोप किया गया ।

[4] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) धारा 81, 82, 83, 84, 85, 85क, 85ख, और 85ग का लोप किया गया ।

[1][**86. व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की आय में ऐसे संगम या निकाय के सदस्य का अंश**—जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का [जो किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन, या उस अधिनियम के समान किसी ऐसी विधि के अधीन, जो भारत के किसी भाग में प्रवृत्त है, रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी से भिन्न है], सदस्य है वहां उस संगम या निकाय की आय में धारा 67क में उपबंधित रीति से संगणित निर्धारिती के अंश की बाबत उसके द्वारा आय-कर संदेय नहीं होगाः

परंतु—

(क) जहां संगम या निकाय, अपनी कुल आय पर, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अधिकतम मार्जिन दर पर या किसी उच्चतर दर पर कर से प्रभार्य है वहां पूर्वोक्त रूप में संगणित सदस्य के अंश को उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी अन्य दशा में पूर्वोक्त रूप से संगणित सदस्य का अंश उसकी कुल आय का भाग होगाः

परंतु यह और कि जहां संगम या निकाय की कुल आय पर कोई आय-कर प्रभार्य नहीं है वहां पूर्वोक्त रूप में संगणित सदस्य का अंश उसकी कुल आय के भाग के रूप में कर से प्रभार्य होगा और इस धारा की कोई बात ऐसे मामले में लागू नहीं होगी ।]

[2]* * * * *

अध्याय 8

[3][रिबेट और राहतें]

[4]***

[5]* * * * *

[6]* * * * *

[7][क—आय कर का रिबेट

87. आय-कर की संगणना करने में अनुज्ञात किया जाने वाला रिबेट—(1) किसी निर्धारिती की कुल आय पर उस आय-कर की रकम भी संगणना करने में जिससे वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, आय-कर की रकम में से (जो इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व संगणित की गई है) [8][[9][[10][धारा 87क या धारा 88,] धारा 88क, [11][धारा 88ख,]] धारा 88ग, धारा 88घ और धारा 88ङ] के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन उन धाराओं में विनिर्दिष्ट कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी ।

(2) [8][[10][धारा 87क या धारा 88] या धारा 88क, [12][धारा 88ख] [13][या धारा 88ग [14][या धारा 88घ या धारा 88ङ] के अधीन कटौतियों की रकम का योग, किसी भी दशा में, निर्धारिती की कुल आय पर उस आय-कर की रकम से (जो इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व संगणित की गई है अधिक नहीं होगा जिससे वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है ।

[15][**87क. कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट**—ऐसा कोई निर्धारिती, जो भारत में निवासी कोई व्यष्टि है, जिसकी कुल आय [16][तीन लाख पचास हजार रुपए] से अधिक नहीं है अपनी उस कुल आय पर, जिसके लिए वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, इस अध्याय के अधीन कटौतियां अनुज्ञात करवाने के पूर्व यथा संगणित) आय-कर की रकम से ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की या [16][दो हजार पांच सौ रुपए] की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा ।]

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 49 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 28 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[3] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 30 द्वारा "आय-कर की बाबत राहत" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) "क—आय-कर की छूट" शीर्षक का लोप किया गया ।
[5] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) धारा 87 और 88 का लोप किया गया ।
[6] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) "ख—आय के लिए रियायत" शीर्षक का लोप किया गया ।
[7] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 30 द्वारा (1-4-1991 से) अन्तःस्थापित ।
[8] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 50 द्वारा (1-4-1993 से) अन्तःस्थापित ।
[10] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[11] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 50 द्वारा (1-4-1993 से) अंतःस्थापित ।
[13] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 45 द्वारा अंतःस्थापित ।
[14] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 20 द्वारा अंतःस्थापित ।
[15] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 22 द्वारा अंतःस्थापित ।
[16] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]* * * * *

88. जीवन-बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, आदि पर रिबेट—[2][(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, अपनी कुल आय पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय-कर की रकम में से (जो इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित की गई है)—

(i) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व, एक लाख पचास हजार रुपए या उससे कम है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों के योग के बीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगाः

परंतु यह कि कोई व्यष्टि, उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों के योग के तीस प्रतिशत की राशि के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगा, यदि उसकी आय, "वेतन" शीर्ष के अधीन,—

(क) धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं है; और

(ख) धारा 80ख की उपधारा (5) में यथापरिभाषित उसकी सकल कुल आय के नब्बे प्रतिशत से कम नहीं है;

(ii) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व, एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है किंतु पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियों के योग के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर कटौती का हकदार होगा;

(iii) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व पांच लाख रुपए से अधिक है, किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां निर्धारिती [3]*** पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त ऐसी कोई राशियां होंगी—

(i) जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए है;

(ii) जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर आस्थगित वार्षिकी, [4][जो खंड (xiiiक) में निर्दिष्ट वार्षिक योजना नहीं है] के लिए संविदा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए है :

परंतु यह तब जबकि ऐसी संविदा में बीमाकृत को उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए कोई उपबंध अंतर्विष्ट नहीं है कि वह वार्षिकी के संदाय के बदले में नकद संदाय प्राप्त कर सकेगा;

(iii) जो किसी व्यष्टि को सरकार द्वारा या उसकी ओर से संदेय वेतन से कटौती के रूप में कोई ऐसी राशि है जो उसके लिए आस्थगित वार्षिकी सुनिश्चित करने या उसकी पत्नी या बच्चों के लिए व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार काटी गई राशि है, वहां तक जहां तक कि ऐसी काटी गई राशि वेतन के एक-बटा पांच से अधिक नहीं है;

(iv) जो किसी व्यष्टि द्वारा किसी भविष्य निधि में, जिसे भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) लागू होता है, अभिदाय स्वरूप है;

(v) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और राजपत्र में इस निमित्त उसके द्वारा अधिसूचित किसी भविष्य निधि में अभिदाय स्वरूप हैं जहां ऐसा अभिदाय उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में किसी खाते में जमा हो;

(vi) जो किसी कर्मचारी द्वारा किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय स्वरूप है;

(vii) जो किसी कर्मचारी द्वारा किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में अभिदाय स्वरूप है;

(viii) जो समय-समय पर संशोधित डाकघर बचत बैंक (सावधि संचयी जमा) नियम, 1959 के अधीन दस-वर्षीय खाते में या पन्द्रह वर्षीय खाते में जमा के रूप में है, जहां ऐसी राशियां उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम में किसी खाते में जमा कराई गई है;

(ix) जो केन्द्रीय सरकार की [4][किसी ऐसी प्रतिभूति में या किसी ऐसी निक्षेप योजना में], जो वह सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय स्वरूप है;

[1] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 37 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 51 द्वारा (1-4-1993 से) प्रतिस्थापित ।

(x) जो सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के अधीन पुरोधृत राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) और राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) में अभिदाय स्वरूप है;

(xi) जो सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित किसी ऐसे बचत पत्र में, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय स्वरूप है;

(xii) जो उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट [1][किसी व्यक्ति के नाम में], भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 के खंड (8) के उपखण्ड (क) के अधीन बनाई गई समझी गई यूनिट बीमा योजना, 1971 में (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् यूनिट बीमा योजना कहा गया है) भाग लेने के लिए अभिदाय स्वरूप है;

(xiii) जो धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित जीवन बीमा निगम की पारस्परिक निधि की किसी ऐसी यूनिट बीमा योजना में, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भाग लेने के लिए [2][उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में], अभिदाय स्वरूप हो;

[3][(xiiiक) जो जीवन बीमा निगम [4][या किसी अन्य बीमाकर्ता] की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, संविदा कराने या उसे प्रवृत्त बनाए रखने के लिए है;

(xiiiख) जो धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित किसी पारस्परिक निधि के या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के किन्हीं यूनिटों में ऐसी स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बनाई गई किसी योजना के अधीन अभिदाय स्वरूप है, जो दस हजार रुपए जो अधिक नहीं होगा;

(xiiiग) जो धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित किसी ऐसी पारस्परिक निधि द्वारा, [5][या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित ऐसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा] जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, स्थापित किसी पेंशन निधि में किसी व्यष्टि द्वारा अभिदाय स्वरूप है;]

(xiv) जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक कहा गया है) किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में [3][या उसके द्वारा स्थापित किसी ऐसी पेंशन निधि में] जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय स्वरूप है;

[6][(xivक) जो—

(क) भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए गृहों के सन्निर्माण या क्रय के दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने में लगी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी की; या

(ख) निवास स्थान की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के प्रयोजन के लिए या नगरों, कस्बों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए या दोनों के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा उसके अधीन गठित किसी प्राधिकरण की,

किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में, जो ऐसी स्कीम नहीं है जिसके अधीन, निक्षेपों पर ब्याज धारा 80ठ के अधीन कटौती की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अर्हित है और जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय स्वरूप है;

[7](xivख) जो—

(क) भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था को;

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किन्हीं व्यक्तियों की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजन के लिए,

चाहे प्रवेश के समय या उसके पश्चात् (किसी विकास फीस या संदान या उसी प्रकार के संदाय के लिए किए गए किसी संदाय को अपवर्जित करते हुए) अध्यापन फीस के रूप में है;]

(xv) जो आवासिक गृह संपत्ति के क्रय या सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए दी गई है [8]*** है और उससे आय "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है (या जो यदि निर्धारिती के स्वयं के निवास के लिए उपयोग में न होती तो उस शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होती) और जहां ऐसे संदाय निम्नलिखित के लिए या रूप में किए जाते हैं, अर्थात् :—

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा "किसी व्यक्ति द्वारा" (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित।

[2] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा "किसी व्यष्टि द्वारा" (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित।

[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 51 द्वारा (1-4-1993 से) अन्तःस्थापित।

[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 47 द्वारा अन्तःस्थापित।

[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा (1-4-1991 से) अन्तःस्थापित।

[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 38 द्वारा (1-4-1992 से) अन्तःस्थापित।

[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 47 द्वारा अंतःस्थापित।

[8] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 38 द्वारा (1-4-1992 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

(क) गृह संपत्ति के सन्निर्माण और स्वामित्व के आधार पर विक्रय में लगे हुए किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड या अन्य प्राधिकारी का स्वयं वित्त स्कीम या अन्य स्कीम के अधीन शोध्य किस्त या रकम का भागतः संदाय; या

(ख) किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी को, जिसका निर्धारिती शेयर धारक या सदस्य है, उसको आबंटित गृह संपत्ति की लागत के लिए शोध्य किस्त या रकम का भागतः संदाय; या

(ग) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित से उधार ली गई रकम का प्रतिसंदाय, अर्थात्:—

(1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से, या

(2) किसी बैंक से, जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंक है, या

(3) जीवन बीमा निगम से, या

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक से, या

(5) किसी पब्लिक कंपनी से, जो भारत में आवासीय प्रयोजनों के लिए गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के कारबार को चलाने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत है और [1][जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है]; या

(6) किसी कंपनी से, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है या किसी सहकारी सोसाइटी से, जहां ऐसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी गृहों से सन्निर्माण के लिए वित्तपोषण के कारबार में लगी हुई है, या

[2][(6क) निर्धारिती का नियोजक, जहां ऐसा नियोजक, किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई निगम अथवा कोई अन्य निकाय है; या]

(7) निर्धारिती के नियोजक से, जहां ऐसा नियोजक पब्लिक कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या स्थानीय प्राधिकारी [3][या सहकारी सोसाइटी] है;

(घ) स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस और निर्धारिती की ऐसी गृह संपत्ति के अंतरण के प्रयोजन के लिए अन्य व्यय,

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए या के रूप में कोई संदाय नहीं है—

(अ) प्रवेश फीस, शेयर की लागत और आरंभिक निक्षेप, जिनका संदाय कंपनी के शेयर धारक को या सहकारी सोसाइटी के सदस्य को ऐसा शेयर धारक या सदस्य बनने के लिए करना पड़ता है; या

[4]* * * * *

(इ) गृह-संपत्ति में किसी परिवर्धन या परिवर्तन या नवीकरण या मरम्मत की लागत, जो पूर्णतया प्रमाणपत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृह संपत्ति की बाबत ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने के पश्चात् की जाती है अथवा गृह संपत्ति या उसके किसी भाग के निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग किए जाने या उसे किराए पर दिए जाने के पश्चात् की जाती है; या

(ई) कोई व्यय जिसकी बाबत कटौती धारा 24 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय है ;

[5][(xvi) जो किसी पब्लिक कंपनी द्वारा विहित प्ररूप में किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी उपयुक्त पूंजी पुरोधरण के भागरूप साधारण शेयरों या डिबेंचरों में अभिदाय स्वरूप है [6][या जो किसी पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा विहित प्ररूप में किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी उपयुक्त पूंजी पुरोधरण के अभिदाय स्वरूप है :]

परंतु जहां किसी कटौती का किन्हीं साधारण शेयरों या डिबेंचरों की लागत के प्रति निर्देश से इस खंड के अधीन दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां ऐसे शेयरों या डिबेंचरों की लागत धारा 54ङक और धारा 54ङख के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ।

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 21 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 51 द्वारा (1-4-1993 से) अंतःस्थापित ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 38 द्वारा (1-4-1992 से) उपखंड (आ) का लोप किया गया ।
[5] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 34 द्वारा अंतःस्थापित ।
[6] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 30 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "उपयुक्त पूंजी पुरोधरण" से ऐसा पुरोधरण अभिप्रेत है जो भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी या किसी पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है और ऐसे पुरोधरण के समस्त आगमों का उपयोग पूर्ण रूप से और अनन्य रूप से धारा 80झक की उपाधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में है;

(iii) "पब्लिक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क है;]

(xvii) जो धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट और ऐसी पारस्परिक निधि द्वारा विहित प्ररूप में किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी पारस्परिक निधि के किन्हीं यूनिटों में अभिदाय स्वरूप है:

परंतु जहां किसी कटौती का किन्हीं यूनिटों की लागत के प्रतिनिर्देश से इस खंड के अधीन दावा किया जाता है और उसे अनुज्ञात किया जाता है वहां ऐसे यूनिटों की लागत धारा 54ङक और धारा 54ङख के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं ली जाएगीः

परंतु यह और कि यह खंड वहां लागू होगा यदि ऐसे यूनिटों में अभिदाय की रकम का अभिदाय केवल किसी कंपनी के उपयुक्त पूंजी पुरोधरण में किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "उपयुक्त पूंजी पुरोधरण" से ऐसा कोई पुरोधरण अभिप्रेत है जो धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xvi) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में निर्दिष्ट है ।]

[2][(2क) उपधारा (2) के उपबंध किसी आस्थगित वार्षिकी की किसी संविदा से भिन्न बीमा पालिसी पर दिए गए केवल उतने प्रीमियम या अन्य संदाय को ही लागू होंगे जो बीमा की गई वास्तविक पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी वास्तविक पूंजी राशि की संगणना करने में,—

(i) लौटाए जाने के लिए करार किए गए किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य पर; या

(ii) वास्तव में बीमा की गई राशि से आधिक्य में बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे को, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या किया जा सकता है,

गणना में नहीं लिया जाएगा ।]

[3][(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियां, पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय संदत्त या निक्षिप्त की जाएंगी और निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उपधारा (1) के अधीन ऐसी संदत्त या निक्षिप्त राशियों के योग में से उतनी कटौती का हकदार होगा, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कर से प्रभार्य निर्धारिती की कुल आय से अधिक नहीं है ।]

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

[4][(क) उस उपधारा के खंड (i), खंड (v), खंड (xii) और खंड (xiii) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, वह व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या उसका पति और कोई संतान; और

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, उसका कोई सदस्य;]

(ख) उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, वह व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या उसका पति और कोई संतान, और

[5]* * * * *

(ग) उस उपधारा के [6][खंड (vii)] के प्रयोजनों के लिए—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, वह व्यष्टि, या ऐसा अवयस्क जिसका वह संरक्षक है;

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, कुटुम्ब का कोई सदस्य,

[7]* * * * *

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 47 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 37 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा लोप किया गया ।

[6] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा (1-4-1991 से) "खंड (v) और खंड (viii)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 29 द्वारा (1-4-1991 से) उपखंड (iii) का लोप किया गया ।

[1][(घ) उस उपधारा के खंड (xivख) के प्रयोजन के लिए किसी व्यष्टि की दशा में ऐसे व्यष्टि के कोई दो बालक ।]

[2][(5) जहां उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xvii) में विनिर्दिष्ट किन्हीं राशियों का योग एक लाख रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो एक लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं हैः

परंतु यह कि जहां उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं राशियों का योग सत्तर हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां ऐसी राशियों की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो सत्तर हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं हैः

परंतु यह और कि जहां उपधारा (2) के खंड (xv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं राशियों का योग बीस हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां ऐसी राशियों की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो बीस हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है :]

[1][परंतु यह और भी कि जहां उपधारा (2) के खंड (xivख) में विनिर्दिष्ट कोई कुल राशि किसी बालक की बाबत बारह हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां ऐसी राशि की बाबत उपधारा (1) के अधीन कटौती उतनी कुल राशि के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो ऐसे बालक की बाबत बारह हजार रुपए की राशि से अधिक नहीं होती है ।]

[3]* * * * *

(7) जहां निर्धारिती, किसी पूर्ववर्ष में,—

[4][(i) उपधारा (2) के खंड (i) में निर्दिष्ट अपनी बीमा संविदा का पर्यवसान, इस प्रभाव की सूचना द्वारा, या, जहां संविदा किसी प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहने के कारण प्रवृत्त नहीं रहती है वहां, बीमा संविदा को पुनरुज्जीवित न करके,—

(क) किसी एकल प्रीमियम पालिसी की दशा में, बीमा के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् दो वर्ष के भीतर; या

(ख) किसी अन्य दशा में, दो वर्ष तक प्रीमियम संदत्त करने के पूर्व,

कर देता है; या

(ii) उपधारा (2) के खंड (xii) या खंड (xiii) में निर्दिष्ट किसी यूनिट बीमा योजना में भाग लेने के लिए पांच वर्ष तक अभिदाय संदत्त करने के पूर्व ही योजना में भाग लेना, इस प्रभाव की सूचना द्वारा, जहां किसी अभिदाय का संदाय करने में असफल रहने के कारण उनका भाग लेना समाप्त हो गया है वहां, भाग लेना पुनः प्रारंभ न करके, समाप्त कर देता है; या

(iii) उपधारा (2) के खंड (xv) में निर्दिष्ट गृह संपत्ति को उस वित्तीय वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले अंतरित कर देता है जिसमें उसने ऐसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त किया है या उस खंड से विनिर्दिष्ट कोई राशि, प्रतिसंदाय के रूप में या अन्यथा, वापस प्राप्त करता है;

वहां,—

(क) उपधारा (2) के खंड (i), खंड (xii), खंड (xiii) और खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी ऐसी राशि के प्रति निर्देश से, जो उस पूर्ववर्ष में संदत्त की गई हो, उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

(ख) पूर्ववर्ष की बाबत या ऐसे पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों की बाबत इस प्रकार अनुज्ञात की गई आय-कर की कटौतियों की कुल रकम ऐसे पूर्व से सुसंगत निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा संदेय कर समझी जाएगी और निर्धारिती की कुल आय पर कर में, जिससे वह ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, जोड़ दी जाएगी ।

[5][(7क) यदि किसी साधारण शेयर या डिबेंचर का, जिसकी लागत के प्रति निर्देश से किसी कटौती की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा दी जाती है, निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को किसी समय उसके अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है वहां ऐसे पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण हुआ है, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों में ऐसे साधारण शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में इस प्रकार अनुज्ञात आय-कर की कटौतियों की कुल रकम ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा संदेय कर समझी जाएगी और निर्धारिती की उस कुल आय पर आय-कर की रकम में जोड़ी जाएगी जिससे वह ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है ।

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 47 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 37 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 34 द्वारा अंतःस्थापित ।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने उस तारीख को शेयरों या डिबेंचरों का अर्जन किया है, जिसको उसका नाम उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में, पब्लिक कंपनी के, यथास्थिति, सदस्यों या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है ।]

(8) इस धारा में,—

(i) किसी निधि में "अभिदाय" के अंतर्गत ऋण के प्रतिसंदाय में दी गई कोई राशि नहीं होगी;

(ii) "बीमा" के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) किसी व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी या संतान या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की जीवन बीमा पालिसी जो पालिसी की परिपक्वता की नियत तारीख को एक विनिर्दिष्ट राशि का संदाय सुनिश्चित करती है । यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी तारीख को जीवित है, इस बात के होते हुए भी कि वह बीमा पालिसी ऐसे व्यक्ति की उक्त नियत तारीख से पहले मृत्यु हो जाने की दशा में केवल संदत्त प्रीमियमों की (उन पर किसी ब्याज सहित या रहित) वापसी के लिए उपबंध करती है;

(ख) किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा अवयस्क के फायदे के लिए इस उद्देश्य से ली गई बीमा पालिसी कि अवयस्क, वयस्क हो जाने के पश्चात् उस पालिसी को अंगीकृत करके और (ऐसे अंगीकरण के पश्चात्) किसी ऐसी तारीख को, जो पालिसी में इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों, जीवित रहने पर अपने जीवन का बीमा सुनिश्चित कर सके;

(iii) "जीवन बीमा निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है;

(iv) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में है;

(v) "प्रतिभूति" से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) में पारिभाषित सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है;

(vi) "अंतरण" के अंतर्गत धारा 269पक के खंड (च) में निर्दिष्ट से संव्यहार भी समझा जाएगा ।

[1][(9) इस धारा के अधीन आय-कर की रकम से कोई कटौती ऐसे किसी निर्धारिती को, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[2]* * * * *

[3]* * * * *

[4][**88ङ. प्रतिभूति संव्यहार कर की बाबत रिबेट**—(1) जहां किसी निर्धारिती की पूर्व वर्ष की कुल आय में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार से उद्भूत, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय भी सम्मिलित है, वहां वह ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत ऐसी आय पर उपधारा (2) में उपबंधित रीति में संगणित आय-कर की रकम में से उस पूर्व वर्ष के दौरान उसके कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यहारों की बाबत उसके द्वारा संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में प्रतिभूति संव्यवहार कर के संदाय का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता हैः

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कटौती की रकम उपधारा (2) में उपबंधित रीति में संगणित ऐसी आय पर आय-कर की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा में निर्दिष्ट कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत आय पर आय-कर की रकम ऐसी आय के संबंध में आय-कर की औसत दर लागू करके संगणित रकम के बराबर होगी ।

[5][(3) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात् कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार" और "प्रतिभूति संव्यवहार कर" पदों के वही अर्थ हैं, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन क्रमशः उनके हैं ।

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 29 द्वारा (1-4-2006 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1996 (वित्त सं० 2) द्वारा (1-4-1994 से) लोप किया गया ।
[3] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 30, 31 और 32 द्वारा (1-4-2006 से) लोप किया जाएगा ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित ।
[5] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 20 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][**89. उस दशा में राहत, जिसमें वेतन, आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है**—जहां कोई निर्धारिती वेतन के रूप में कोई ऐसी राशि प्राप्त करता है, जिसका संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है या किसी एक वित्तीय वर्ष में बारह मास से अधिक के लिए वेतन या ऐसा संदाय प्राप्त करता है, जो धारा 17 के खंड (3) के उपबंधों के अधीन वेतन के बदले में लाभ है या धारा 57 के खंड (iiक) के स्पष्टीकरण में परिभाषित कुटुंब पेंशन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है, जिसका संदाय बकाया के रूप में किया जाता है, जिसके कारण उसकी कुल आय उस दर से उच्चतर दर पर निर्धारित की जाती है, जिससे वह अन्यथा निर्धारित की जाती, वहां निर्धारण अधिकारी, उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर ऐसी राहत दे सकेगा, जो विहित की जाए :]

[2][परंतु ऐसी कोई राहत निर्धारिती द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों या धारा 10 के खंड (10ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी की दशा में स्वैच्छिक पृथक्करण की स्कीम के अनुसार प्राप्त की गई या प्राप्य किसी रकम की बाबत प्रदान नहीं की जाएगी, यदि ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अपनी सेवा की समाप्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण के संबंध में प्राप्त या प्राप्य किसी रकम की बाबत ऐसी किसी छूट का निर्धारिती द्वारा ऐसे या किसी अन्य निर्धारण वर्ष में धारा 10 के खंड (10ग) के अधीन दावा किया गया है ।]

[3]*   *   *   *   *

अध्याय 9

दोहरे कराधान से राहत

[4][**90. विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से करार**—(1) केंद्रीय सरकार भारत से बाहर किसी देश की सरकार या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ,—

(क) (i) ऐसी आय की बाबत, जिस पर इस अधिनियम के अधीन आय-कर और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में आय-कर, दोनों का, संदाय किया गया है; या

(ii) पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधानों के संवर्धन के लिए इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर की बाबत, राहत देने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन या, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्राभार्य आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए जानकारी के आदान-प्रदान या ऐसे अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के अन्वेषण के लिए; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए,

करार कर सकेगी और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो करार को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) जहां केंद्रीय सरकार ने उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, भारत के बाहर किसी देश की सरकार से या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ, यथास्थिति, कर की राहत देने के लिए या दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए करार किया है वहां ऐसे निर्धारिती के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, इस अधिनियम के उपबंध उस परिमाण तक लागू होंगे जिस तक वे उस निर्धारिती के लिए अधिक फायदाप्रद हैं ।

[5][(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों, लागू होंगे ।]

(3) इस अधिनियम या उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, और वह इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना में है ।

[5][(4) ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट, कोई करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक किसी राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा उसके, यथास्थिति, भारत के बाहर किसी देश या

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 39 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 33 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।

भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के [1][निवासी होने का प्रमाणपत्र, उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र] की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।]

[2][(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना भी उपलब्ध कराएगा, जो विहित किए जाए ।]

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी विदेशी कंपनी की बाबत उस दर से अधिक दर पर, जिस पर कोई देशी कंपनी प्रभार्य है, कर का प्रभार, ऐसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का कम अनुकूल प्रभार या उद्ग्रहण नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" से भारत से बाहर ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए ।

[3][**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में किसी पद को प्रयुक्त किया गया है और उक्त करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिसका उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अर्थ दिया गया है और उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहां उस पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है जिसको उक्त करार प्रवृत्त हुआ था ।]

[4][**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में प्रयुक्त किसी पद को उक्त करार में परिभाषित किया गया है, वहां उक्त पद का वही अर्थ होगा जो करार में उसका है और जहां ऐसा पद करार में परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वहां उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में और केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में, यदि कोई हो, उसका हैं ।]

[5][**90क. केन्द्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों का अंगीकृत किया जाना**—(1) भारत में विनिर्दिष्ट कोई संगम भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) निम्नलिखित के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए,—

(i) आय, जिस पर इस अधिनियम के अधीन आय-कर और भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में आय-कर, दोनों का संदाय किया गया है; या

(ii) पारस्परिक आर्थिक संबंधों, व्यापार और विनिधान के संवर्धन के लिए इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उसे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन प्रभार्य आय-कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने के लिए या ऐसे अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के अन्वेषण के लिए सूचना के आदान-प्रदान के लिए, या

(घ) इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए,

ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे करार को अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) जहां भारत में विनिर्दिष्ट संगम ने उपधारा (1) के अधीन भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के विनिर्दिष्ट संगम के साथ कोई करार किया है और ऐसे करार को, यथास्थिति, कर की राहत प्रदान करने या दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए उस उपधारा के अधीन अधिसूचित किया गया है, वहां उस निर्धारिती के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, इस अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे उस निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद हैं ।

[6][(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 10क के उपबंध निर्धारिती को, भले ही ऐसे उपबंध उसके लिए फायदाप्रद न हों, लागू होंगे ।]

(3) ऐसे किसी पद का, जिसे इस अधिनियम या उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में प्रयुक्त किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और वह इस अधिनियम या करार के उपबंधों से असंगत न हो, वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में जारी अधिसूचना में उसका है ।

[6][(4) ऐसा कोई निर्धारिती, जो निवासी नहीं है, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट, कोई करार लागू होता है, ऐसे करार के अधीन तब तक किसी राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा उसके, भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के [7][निवासी होने का प्रमाणपत्र, उस विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र] की सरकार से अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।]

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 39 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 20 द्वारा (1-6-2006 से) अंतःस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 33 द्वारा (1-4-2013 से) अंतःस्थापित ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेज और सूचना भी उपलब्ध कराएगा, जो विहित किए जाएं ।]

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निगमित किसी कंपनी के संबंध में उस दर से, जिस पर कोई देशी कंपनी प्रभार्य है, अधिक दर पर कर का प्रभारण, ऐसी कंपनी के संबंध में कम अनुकूल प्रभार या कर का उद्ग्रहण नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट संगम" पद से ऐसी कोई संस्था, संगम या निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है, जो भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की विधियों के अधीन कार्य कर रहा है और जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए;

(ख) "विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र" पद से भारत से बाहर ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए ।

[2][**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में किसी पद को प्रयुक्त किया गया है और उक्त करार या अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिसका उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अर्थ दिया गया है और उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है, वहां उस पद के अर्थ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख से प्रभावी है जिसको उक्त करार प्रवृत्त हुआ था ।]

[3][**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी करार में प्रयुक्त किसी पद को उक्त करार में परिभाषित किया गया है, वहां उक्त पद का वही अर्थ होगा जो करार में उसका है और जहां ऐसा पद करार में परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वहां उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में और केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में, यदि कोई हो, उसका है ।]

91. देश जिनके साथ कोई करार नहीं है—यदि कोई व्यक्ति जो किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी है यह साबित करता है कि उसकी ऐसी आय की बाबत, जो उस पूर्ववर्ष के दौरान भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत हुई (और जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं मानी जाती), उसने ऐसे किसी देश में, जिसके साथ दोहरे कराधान से राहत या परिवर्जन के लिए धारा 90 के अधीन कोई करार नहीं है उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन आय-कर कटौती के रूप में या अन्यथा संदत्त किया है तो वह अपने द्वारा संदेय भारतीय आय-कर में से इतनी राशि की कटौती के लिए हकदार होगा जितनी ऐसी दोहरा कर लगी आय पर कर की भारतीय दर या उक्त देश के कर की दर में से जो भी कम हो उससे या यदि दोनों दरें बराबर हो तो कर की भारतीय दर से परिकलित करके आए ।

(2) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी है यह साबित करता है कि उसकी ऐसी आय की बाबत, जो उस पूर्ववर्ष के दौरान में उसको पाकिस्तान में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई, उसने कृषि-आय के कराधान से संबद्ध उस देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस सरकार को संदेय कर, कटौती के रूप में या अन्यथा उस देश में संदत्त किया है तो वह उसके द्वारा संदेय भारतीय आय-कर में से निम्नलिखित कटौती के लिए हकदार होगा—

(क) ऐसी आय पर जो इस अधिनियम के अधीन भी करके दायित्वाधीन है, पूर्वोक्त किसी विधि के अधीन पाकिस्तान में संदत्त कर की रकम, या

(ख) उस आय पर, की भारतीय दर से परिकलित राशि, इनमें से जो भी कम हो ।

(3) यदि कोई अनिवासी व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी के रूप में निर्धारिती किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म की आय में अपने अंश पर निर्धारित किया जाता है, और ऐसे अंश में ऐसी आय सम्मिलित है जो उस पूर्ववर्ष के दौरान भारत के बाहर किसी ऐसे देश में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है (और जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई नहीं मानी जाती) जिसके साथ दोहरे कराधान से राहत या परिवर्जन के लिए धारा 90 के अधीन कोई करार नहीं है और वह यह साबित करता है कि उसने इस प्रकार सम्मिलित आय पर उस देश में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कटौती के रूप में या अन्यथा आय-कर संदत्त किया है, तो वह उसके द्वारा संदेय भारतीय आय-कर में से इतनी राशि की कटौती के लिए हकदार होगा जितनी इस प्रकार सम्मिलित ऐसी दोहरा कर लगी आय पर, कर की भारतीय दर या उक्त देश के कर की दर में से जो भी कम हो उससे या यदि दोनों दरे बराबर हों तो कर की भारतीय दर से परिकलित करके आए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(i) "भारतीय आय-कर" पद से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रभारित कर [4]*** अभिप्रेत है,

(ii) "कर की भारतीय दर" पद से वह दर अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय किसी राहत-कर की कटौती के पश्चात् किन्तु [5][इस अध्याय के अधीन देय किसी राहत-रकम] की कटौती के पूर्व भारतीय आय-कर की रकम की कुल आय से विभाजित करके अवधारित हो,

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 33 द्वारा (1-4-2013 से) अंतःस्थापित ।

[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 40 द्वारा (1-4-2018 से) अंतःस्थापित ।

[4] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 28 द्वारा (1-4-1965 से) "और अधिकर" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1964 के अधिनियम सं० 5 की धारा 20 द्वारा (1-4-1964 से) "इस धारा के अधीन देय किसी राहत-रकम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iii) "उक्त देश के कर की दर" पद से अभिप्रेत है ऐसी दर जो सभी देय राहत-रकम की कटौती के पश्चात् किन्तु दोहरे कराधान की बाबत उक्त देश में देय किसी राहत-रकम की कटौती के पूर्व उक्त देश में प्रवृत्त तत्समान विधियों के अनुसार उक्त देश में वस्तुतः संदत्त आय-कर और अधिकर को उक्त देश में यथानिर्धारित आय की संपूर्ण रकम से विभाजित करके आए,

(iv) किसी देश के संबंध में "आय-कर" पद के अन्तर्गत, उस देश के किसी भाग की सरकार या उस देश के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लाभों पर प्रभारित कोई अभिलाभ कर या कारबार लाभ कर है ।

अध्याय 10

कर के परिवर्जन के संबंध में विशेष उपबंध

[1][[2][**92. असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय की संगणना**—(1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्भूत होने वाली किसी आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्भूत किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रख कर किया जाएगा ।

(2) जहां किसी [3][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] में दो या अधिक सहयुक्त उद्यम ऐसे किसी एक या अधिक उद्यमों को उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जाने वाले किसी फायदे, सेवा में सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत किए जाने वाले किसी खर्च या व्यय के आबंटन या प्रभाजन के लिए या उसमें किसी अंशदान के लिए कोई पारस्परिक करार या ठहराव करते हैं वहां ऐसे किसी उद्यम को, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या उसके द्वारा अंशदान किए गए खर्च या व्यय का अवधारण, यथास्थिति, ऐसे फायदे, सेवा या सुविधा की असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।]

[4][(2क) विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में किसी व्यय या ब्याज या किसी लागत या खर्च या किसी आय के आबंटन के लिए किसी मोक की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।]

(3) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होंगे, जिनमें [3][उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन आय की संगणना या [3][उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण या [3][उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या अंशदान किए गए किसी खर्च या व्यय का अवधारण करने का प्रभार, उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया था, लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर संगणित, यथास्थिति, कर से प्रभार्य आय को कम करना या हानि को बढ़ाना है ।]

92क. सहयुक्त उद्यम का अर्थ—(1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य उद्यम के संबंध में, "सहयुक्त उद्यम," से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है,—

(क) जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या किसी एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है; या

(ख) जिसके संबंध में एक या अधिक व्यक्ति जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से उसके प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं, वहीं व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से अन्य उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेते हैं ।

[5][(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दो उद्यम, सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे, यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,—]

(क) एक उद्यम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे शेयर धारण करता है जिनकी अन्य उद्यम में मतदान शक्ति छब्बीस प्रतिशत से अन्यून है; या

(ख) कोई व्यक्ति या उद्यम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, ऐसे शेयर धारण करता है जिनकी ऐसे उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम में मतदान शक्ति छब्बीस प्रतिशत से अन्यून है; या

(ग) एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को दिया गया कोई उधार अन्य उद्यम की कुल आस्तियों के बही मूल्य के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून है; या

(घ) एक उद्यम दूसरे उद्यम के कुल उधारों के दस प्रतिशत से अन्यून की गारंटी देता है; या

(ङ) एक उद्यम के निदेशक बोर्ड या शासी बोर्ड के सदस्यों के आधे से अधिक, या शासी बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों या कार्यपालक सदस्यों में से एक या अधिक की नियुक्ति अन्य उद्यम द्वारा की जाती है; या

(च) दोनों उद्यमों में से प्रत्येक के शासी बोर्ड के निदेशकों या सदस्यों में से आधे से अधिक, या शासी बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों या सदस्यों में से एक या अधिक की नियुक्ति एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की जाती है; या

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 34 द्वारा अंतःस्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 40 द्वारा अंतःस्थापित ।

(छ) माल या वस्तुओं का विनिर्माण या प्रसंस्करण या एक उद्यम द्वारा चलाया जाने वाला कारबार ऐसे व्यवहार—ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्ति, मताधिकारों या समरूप किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकारों पर या किसी पेटेंट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य, दस्तावेजीकरण रेखांकन या विर्निदिश पर जिसका दूसरा उद्यम स्वामी है या जिसके संबंध में दूसरे उद्यम को अनन्य अधिकार हैं पूर्णतया आश्रित हैं; या

(ज) किसी एक उद्यम द्वारा किए जाने वाले माल या वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री और खपत योग्य वस्तुओं के नब्बे प्रतिशत या अधिक का दूसरे उद्यम द्वारा या दूसरे उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा, प्रदाय किया जाता है और प्रदाय से संबंधित कीमत और अन्य शर्तें ऐसे दूसरे उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती है; या

(झ) एक उद्यम द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल या वस्तुओं का दूसरे उद्यम को या दूसरे उद्यम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विक्रय किया जाता है और उससे संबंधित कीमत और अन्य शर्तें ऐसे दूसरे उद्यम द्वारा प्रभावित की जाती है; या

(ञ) जहां एक उद्यम, किसी एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां दूसरा उद्यम भी ऐसे व्यक्ति या उसके किसी नातेदार द्वारा या संयुक्ततः ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति के नातेदार द्वारा नियंत्रित किया जाता है; या

(ट) जहां एक उद्यम किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा नियंत्रित किया जाता है वहां दूसरा उद्यम ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य या ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के नातेदार या संयुक्त रूप से ऐसे सदस्य और उसके नातेदार द्वारा नियंत्रित किया जाता है; या

(ठ) जहां एक उद्यम कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि-निकाय है वहां दूसरा उद्यम ऐसी फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय में दस प्रतिशत से अन्यून हित धारण करता है; या

(ड) दो उद्यमों के बीच ऐसे परस्पर हित का जो विहित किया जाए कोई संबंध विद्यमान है ।

92ख. अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ—(1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ के प्रयोजनों के लिए, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" से दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच, जिनमें से कोई एक या दोनों अनिवासी हैं, मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की प्रकृति का, या सेवाओं की व्यवस्था या धन उधारा देने या उधारा लेने का कोई संव्यवहार या ऐसा कोई अन्य संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसका ऐसे उद्यमों के लाभों, आय, हानियों या आस्तियों से संबंध है, और इसके अंतर्गत ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को दी गई या दिए जाने वाले फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत की जाने वाली किसी लागत या व्यय के आबंटन या प्रभाजन के या उसमें किसी अभिदाय के लिए दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच कोई परस्पर करार या ठहराव भी होगा ।

(2) सहयुक्त उद्यम से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ किसी उद्यम द्वारा किए गए [1][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में,] उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह दो सहयुक्त उद्यमों के बीच किया गया संव्यवहार है, यदि ऐसे अन्य व्यक्ति या सहयुक्त उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में कोई पूर्व करार विद्यमान है या सुसंगत संव्यवहार के निबंधन ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच [2][जहां उद्यम या सहयुक्त उद्यम या वे दोनों अनिवासी हैं, इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसा अन्य व्यक्ति कोई अनिवासी है या नहीं,] सारवान रूप से अवधारित किए जाते हैं ।

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" पद के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे,—

(क) मूर्त संपत्ति का, जिसके अंतर्गत भवन, परिवहन यान, मशीनरी, उपस्कर, औजार, संयंत्र, फर्नीचर, वस्तु या कोई अन्य सामान, उत्पाद या चीज भी है, क्रय, विक्रय अंतरण, पट्टे पर देना या उपयोग;

(ख) अमूर्त संपत्ति का, जिसके अंतर्गत भूमि उपयोग, प्रतिलिप्यधिकार, पेटेंट, व्यापार-चिह्न, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइज, ग्राहक सूची, विपणन चेनल, ब्रांड, वाणिज्यिक गुप्त बात, व्यवहार्य ज्ञान, औद्योगिक संपत्ति अधिकार, बाह्य डिजाइन या व्यवहार्य तथा नए डिजाइन से संबंधित अधिकारों या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार संबंधी या वाणिज्यिक अधिकारों के उपयोग के स्वामित्व या उपबंध का अंतरण भी है, क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टे पर देना या उपयोग;

(ग) पूंजीगत वित्तपोषण, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार का दीर्घकालिक या अल्पकालिक उधार लेना, ब्याज पर उधार देना या प्रत्याभूति भी है, विपणनयोग्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय या कारबार के दौरान उद्भूत किसी प्रकार का अग्रिम संदाय या अस्थगित संदाय या प्राप्य राशियां या कोई अन्य ऋण;

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 35 द्वारा अंतःस्थापित ।

(घ) सेवाओं का उपबंध, जिसके अंतर्गत बाजार अनुसंधान, बाजार विकास, विपणन प्रबंधन, प्रशासन, तकनीकी सेवा, मरम्मत, डिजाइन, परामर्श, अभिकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान, विधिक और लेखांकन संबंधी सेवा का उपबंध भी है;

(ङ) किसी उद्यम द्वारा किसी सहयोजित उद्यम के साथ, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि इसका संव्यवहार के समय या किसी भावी तारीख को ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानियों या आस्तियों पर प्रभाव है, कारबार पुनर्संचना या पुनर्गठन का संव्यवहार है;

(ii) "अमूर्त संपत्ति" पद के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे,—

(क) विपणन संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे व्यापार-चिह्न, व्यापार नाम, ब्रांड नाम, लोगो;

(ख) प्रौद्योगिकी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे प्रक्रिया पेटेंट, पेटेंट आवेदन, तकनीकी दस्तावेजीकरण, जैसे प्रयोगशाला नोट बुक, तकनीकी व्यवहार्य-ज्ञान;

(ग) कला संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे साहित्यिक कृतियां और प्रतिलिप्यधिकार, संगीतात्मक रचनाएं, प्रतिलिप्यधिकार, नक्शे, उत्कीर्णन;

(घ) डाटा प्रसंस्करण संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे सांपत्तिक कम्प्यूटर साफ्टवेयर, साफ्टवेयर प्रतिलिप्यधिकार, स्वचालित डाटाबेस और एकीकृति सर्किट मास्क्स और मास्टर्स;

(ङ) इंजीनियरी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे औद्योगिक डिजाइन, उत्पाद पेटेंट, व्यापार संबंधी गुप्त बातें, इंजीनियरी ड्राइंग और उसके सदृश रेखाचित्र, ब्लूप्रिंट, सांपत्तिक दस्तावेजीकरण;

(च) ग्राहक संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे ग्राहक सूची, ग्राहक संविदाएं, ग्राहक संबंध, खुले क्रयादेश;

(छ) संविदा संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे अनुकूल प्रदायकर्ता, संविदाएं, अनुज्ञप्ति करार, फ्रेंचाइज करार, गैर-प्रतियोगी करार;

(ज) मानव पूंजी संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे प्रशिक्षित और संगठित कार्यदल, नियोजन करार, संघीय संविदाएं;

(झ) अवस्थिति संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे पट्टाधृत हित, खनिज विदोहन अधिकार, सुखाचार, वायु संबंधी अधिकार, जल संबंधी अधिकार;

(ञ) गुडविल संबंधी अमूर्त आस्तियां, जैसे संस्थागत गुडविल, वृत्तिक की व्यवसाय संबंधी गुडविल, वृत्तिक की व्यक्तिगत गुडविल, प्रसिद्ध व्यक्ति की गुडविल, साधारण कारबार वाले समुत्थान का मूल्य;

(ट) पद्धतियां, कार्यक्रम, प्रणालियां, प्रक्रियाएं, अभियान, सर्वेक्षण, अध्ययन, पूर्वानुमान, प्राक्कलन, ग्राहक सूची या तकनीकी डाटा;

(ठ) कोई अन्य वैसी ही मद, जो अपने भौतिक गुणों की अपेक्षा अपनी बौद्धिक अंतर्वस्तु से अपना मूल्य व्युत्पन्न करती है ।]

[1][**92खक. विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार का अर्थ**—इस धारा और धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती की दशा में, "विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार" से, निम्नलिखित ऐसे संव्यवहारों में से कोई संव्यवहार, जो अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार न हो, अभिप्रेत है, अर्थात्:—

[2]* * * * * * *

(ii) धारा 80क में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार;

(iii) धारा 80झक की उपधारा (8) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का कोई अंतरण;

(iv) धारा 80झक की उपधारा (10) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच किया गया कोई कारबार;

(v) अध्याय 6क के अधीन किसी अन्य धारा या धारा 10कक में निर्दिष्ट कोई संव्यवहार, जिसे धारा 80झक की उपधारा (8) या उपधारा (10) के उपबंध लागू होते हैं; या

(vi) कोई अन्य संव्यहार, जो विहित किया जाए,

और जहां निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किए गए ऐसे संव्यवहारों की कुल राशि [3][बीस करोड़ रुपए] से अधिक हो जाती है ।]

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 36 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 41 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

92ग. असन्निकट कीमत की संगणना—(1) किसी [1][अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी ऐसी पद्धति द्वारा किया जाएगा, जो संव्यवहार की प्रकृति या संव्यवहार के वर्ग या सहयुक्त व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को अथवा ऐसी अन्य सुसंगत बातों को, जो बोर्ड विहित करे, ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है, अर्थात्:—

(क) तुल्य अनियंत्रित कीमित पद्धति;

(ख) पुनर्विक्रय कीमत पद्धति;

(ग) लागत धन पद्धति;

(घ) लाभ विभाजन पद्धति;

(ङ) संव्यवहारात्मक शुद्ध अंतर पद्धति;

(च) ऐसी अन्य पद्धति, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लागू की जाएगीः

[2][परंतु जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है वहां असन्निकट कीमत को ऐसी कीमतों का अंकगणितीय साधन माना जाएगाः

परंतु यह और कि यदि इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच अंतर, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, [1][बाद वाली कीमत के तीन ऐसे प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित किया जाए] से अधिक नहीं है, वहां वह कीमत, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, असन्निकट कीमत समझी जाएगी ।]

[3][परन्तु यह भी कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है, वहां 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् हाथ में लिए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगणित की जाएगी और तद्नुसार पहला और दूसरा परंतुक लागू नहीं होगा ।]

[4][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दूसरे परंतुक के उपबंध 1 अक्टूबर, 2009 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित सभी निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कायवाहियों को भी लागू होंगे ।]

[4][(2क) जहां उपधारा (2) का पहला परंतुक, जैसे वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) द्वारा उसका संशोधन किए जाने से पूर्व विद्यमान था, किसी निर्धारण वर्ष के लिए [1][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] की बाबत लागू होता है और उक्त परंतुक में निर्दिष्ट अंकगणितीय औसत और उस कीमत के बीच, जिस पर ऐसा संव्यवहार वस्तुतः किया गया है, का अंतर अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अधिक होता है, तो निर्धारिती उक्त परंतुक में यथानिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

[4][(2ख) उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट कोई बात, निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने अथवा निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा 154 के अधीन ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में कार्यवाहियां 1 अक्टूबर, 2009 के पूर्व पूरी हो गई हैं, निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी ।]

(3) जहां आय के निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के अनुक्रम के दौरान निर्धारण अधिकारी की उसके कब्जे में सामग्री या जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर यह राय है कि—

(क) [5][अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] में प्रभारित या संदत्त कीमत का अवधारण उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार नहीं किया गया है; या

(ख) किसी [5][अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] से संबंधित कोई जानकारी और दस्तावेज, निर्धारिती द्वारा धारा 92घ की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, नहीं रखी गई है और नहीं बनाए रखी गई है; या

(ग) असन्निकट कीमत की संगणना करने में प्रयुक्त जानकारी या आंकड़े विश्वसनीय या सही नहीं है; या

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 37 द्वारा अंतःस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) निर्धारिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी कोई जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहा है, जिसे धारा 92घ की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई किसी सूचना द्वारा दिए जाने की उससे अपेक्षा की गई थी,

वहां निर्धारण अधिकारी उक्त [1][अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के संबंध में असन्निकट कीमत के अवधारण की कार्यवाही, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसार उसके पास उपलब्ध ऐसी सामग्री या जानकारी या दस्तावेज के आधार पर कर सकेगाः

परंतु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती को ऐसी तारीख को या समय पर हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करके यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि असन्निकट कीमत का इस प्रकार अवधारण, निर्धारण अधिकारी के कब्जे में की सामग्री, या जानकारी या दस्तावेज के आधार, पर क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(4) जहां असन्निकट कीमत का अवधारण निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन किया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती की कुल आय की संगणना कर सकेगाः

परंतु [2][धारा 10क या धारा 10कक या धारा 10ख] या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती ऐसी आय की रकम की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिससे निर्धारिती की कुल आय इस उपधारा के अधीन आय की संगणना के पश्चात् बढ़ जाती हैः

परंतु यह और जहां किसी सहयुक्त उद्यम की आय किसी अन्य सहयुक्त उद्यम द्वारा प्राप्त किसी राशि या आय या रकम के संबंध में असन्निकट कीमत के निर्धारण पर इस उपधारा के अधीन संगणित की जाती है जिससे अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती कर ली गई है, [3][या कटौती-योग्य थी] वहां दूसरे सहयुक्त उद्यम की आय प्रथमवर्णित उद्यम की दशा में असन्निकट कीमत के ऐसे अवधारण के कारण पुनःसंगणित नहीं की जाएगी ।

[4][**92गक. अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश**—(1) जहां किसी व्यक्ति ने, जो निर्धारिती है, किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई [5][अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 92ग के अधीन उक्त अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना को अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है वहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती पर उसे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को किसी ऐसे साक्ष्य को, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट [5][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के संबंध में ऐसी असन्निकट कीमत के जो उसके द्वारा संगणित की गई है, समर्थन में अवलंब लेता है, पेश करने या पेश किए जाने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना की तामील करेगा ।

[6][(2क) जहां कोई अन्य [5][अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से भिन्न] अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा अन्य [5][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है ।]

[7][(2ख) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत, निर्धारिती ने धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और ऐसा संव्यवहार अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है ।]

[7][(2ग) उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट कोई बात, निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनर्निधारण करने अथवा निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा धारा 154 के अधीन ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में कार्यवाहियां 1 जुलाई, 2012 के पूर्व पूरी हो चुकी हों, निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी ।]

(3) उपधारा(2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे साक्ष्य को सुनने के पश्चात्, जिसे निर्धारिती पेश करे, जिसके अंतर्गत धारा 92घ की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई सूचना या दस्तावेज सम्मिलित है और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अपेक्षित करे और ऐसी सभी सुसंगत सामग्री, जो उसने एकत्रित की है, को विचार में लेने के पश्चात् अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा [5][अंतरराष्ट्रीय संव्यहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के संबंध में धारा 92ग की उपधारा (3) के अनुसार, असन्निकट कीमत अवधारित करेगा और अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा ।

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 21 द्वारा (1-4-2007 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 41 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।
[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 39 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][(3क) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था, किंतु उपधारा (3) के अधीन आदेश अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है या उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया जाता है, वहां उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व साठ दिन की अवधि से पहले किसी भी समय किया जा सकेगा, जिसको, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना अथवा नए सिरे से निर्धारण का आदेश करने के लिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख में निर्दिष्ट परिसीमा अवधि समाप्त होती है:]

[2][परंतु धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) या खंड (x) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, यदि आदेश करने के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि साठ दिन तक बढ़ाई जाएगी और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि तद्नुसार बढ़ाई गई समझी जाएगी ।]

[3][(4) उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की गणना करने के लिए अग्रसर होगा ।]

(5) अभिलेख की किसी प्रकट गलती को ठीक करने की दृष्टि से, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सकें, तद्नुसार, लागू होंगे ।

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कोई संशोधन किया जाता है वहां वह अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भेजेगा, जो तत्पश्चात् अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के ऐसे आदेश के अनुरूप निर्धारण के आदेश का संशोधन करने के लिए अग्रसर होगा ।

(7) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, इस धारा के अधीन असन्निकट कीमत अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 131 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) या धारा 133 [4][या धारा 133क] की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से किसी या सभी का प्रयोग कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अंतरण मूल्यांकन अधिकारी" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के संबंध में, धारा 92ग और धारा 92घ में विनिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी के किसी या सभी कृत्यों का अनुपालन करने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई संयुक्त आयुक्त या उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त अभिप्रेत है ।]

[5][**92गख. सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति**—(1) धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन असन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अधीन किया जाएगा ।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियम बना सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुरक्षित बंदरगाह" से वे परिस्थितियां अभिप्रेत हैं जिनमें आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत को स्वीकार करेंगे ।]

[6][**92गग. अग्रिम मूल्यांकन करार**—(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, असन्निकट कीमत को अवधारित करते हुए या उस रीति को, जिसमें असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना होगा, विनिर्दिष्ट करते हुए अग्रिम मूल्यांकन करार उस व्यक्ति के साथ कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट असन्निकट कीमत के अवधारण की रीति के अंतर्गत धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां, या ऐसे समायोजनों या परिवर्तनों सहित, जो इस प्रकार करने आवश्यक या समीचीन हों, कोई अन्य पद्धति हो सकेगी ।

(3) धारा 92ग या धारा 92गक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, असन्निकट कीमत का अवधारण, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) इस प्रकार किया गया अग्रिम मूल्यांकन करार—

(क) उस व्यक्ति पर, जिसके मामले में और ऐसे संव्यवहार की बाबत जिसके संबंध में, करार किया गया है; और

(ख) उक्त व्यक्ति और उक्त संव्यवहार की बाबत, आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर,

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 33 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 47 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।
[5] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 42 द्वारा अंतःस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 40 द्वारा अंतःस्थापित ।

आबद्धकर होगा ।

(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार उस दशा में आबद्धकर नहीं होगा यदि विधि में या इस प्रकार किए गए करार से संबंधित तथ्यों में कोई परिवर्तन हो जाता है ।

(7) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, किसी करार को आरंभ से शून्य घोषित कर सकेगा, यदि उसे यह पता चलता है कि करार उस व्यक्ति द्वारा कपट से या तथ्यों का दुर्व्यपदेश करके अभिप्राप्त किया गया है ।

(8) करार को आरंभ से शून्य घोषित करने पर,—

(क) अधिनियम के सभी उपबंध उस व्यक्ति को इस प्रकार लागू होंगे मानो करार कभी किया ही नहीं गया था; और

(ख) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी परिसीमा काल की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उस करार की तारीख से आरंभ होने वाली और उपधारा (7) के अधीन आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगाः

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के किसी उपबंध में निर्दिष्ट परिसीमा काल साठ दिन से कम का है, वहां ऐसी शेष अवधि को बढ़ाकर साठ दिन तक किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा काल तद्नुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

(9) बोर्ड इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम उसमें सामान्यतः अग्रिम मूल्यांकन करार के संबंध में रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट करते हुए, विहित कर सकेगा ।

[1][(9क) उपधार (1) में निर्दिष्ट करार में, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का उपबंध किया जा सकेगा या उस रीति को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसमें असन्निकट कीमत को व्यक्ति द्वारा उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्षों के प्रथम पूर्ववर्ष से पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित किया जा सकेगा और उस अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत उक्त करार के अनुसार अवधारित की जाएगी ।]

(10) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, वहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यवाही उस व्यक्ति की दशा में लंबित समझी जाएगी ।

92गघ. अग्रमि मूल्यांकन करार का प्रभावी रूप देना—(1) धारा 139 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा कोई करार किया गया है और करार किए जाने की तारीख के पूर्व, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसको ऐसा करार लागू होता है, धारा 139 के उपबंधों के अधीन आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, वहां ऐसा व्यक्ति उस मास के, जिसमें उक्त करार किया गया था, अंत से तीन मास की अवधि के भीतर करार के अनुसार और उस तक सीमित एक उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध तद्नुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो उपांतरित विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई कोई विवरणी है ।

(3) यदि किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसको करार लागू होता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरी हो गई है, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे किसी मामले में, जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी की जाती है, फाइल की जाती है, करार को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण या उसकी पुनःसंगणना करने की कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसको करार लागू होता है, निर्धारण या पुननिर्धारण की कार्यवाहियां, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी फाइल किए जाने की तारीख को लंबित हैं, वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार प्रस्तुत की गई उपांतरित विवरणी पर विचार करते हुए करार के अनुसार निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

(5) धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उपधारा (3) के अधीन कुल आय के निर्धारण, पुनर्निर्धारण या उसकी पुनःसंगणना का आदेश उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत की जाती है, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनर्निर्धारण की लंबित कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए धारा 153 या धारा 153ख या धारा 144ग में यथा उपबंधित परिसीमा काल को बारह मास की अवधि तक विस्तारित किया जाएगा ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 33 द्वारा अंतःस्थापित ।

(i) "करार" से धारा 92गग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है;

(ii) किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां उस दशा में पूरी हो गई समझी जाएंगी, जहां—

(क) निर्धारण या पुनर्निधारण का कोई आदेश पारित किया गया है; या

(ख) उक्त धारा के अधीन उपबंधित परिसीमा काल की समाप्ति तक धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की गई है ।]

[1][**92गङ. कतिपय मामलों में द्वितीय समायोजन**—(1) जहां अंतरण कीमत के लिए कोई प्राथमिक समायोजन,—

(i) निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरणी में स्वप्रेरणा से किया गया है;

(ii) निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है और निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया है;

(iii) निर्धारिती द्वारा धारा 92गग के अधीन किए गए अग्रिम कीमत करार द्वारा अवधारित है;

(iv) धारा 92गख के अधीन विरचित सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार किया गया है; या

(v) दोहरे कराधान को परिवर्जित करने के लिए धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए करार के अधीन पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से किसी निर्धारिती के संकल्प के परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है,

वहां निर्धारिती द्वितीय समायोजन करेगा :

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि—

(i) किसी पूर्ववर्ष में प्राथमिक समायोजन की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; और

(ii) प्राथमिक समायोजन 1 अप्रैल, 2016 को या उससे पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किया गया है ।

(2) जहां अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन के परिमाणस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में कोई वृद्धि या हानि में कमी हुई है, वहां अतिरिक्त धन को, जो उसके सहयुक्त उद्यम के पास उपलब्ध है, यदि भारत में ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संप्रत्यावर्तित नहीं हुआ है, तो ऐसे सहयुक्त उद्यम को निर्धारिती द्वारा किया गया अग्रिम समझा जाएगा और ऐसे अग्रिम पर ब्याज को ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "सहयुक्त उद्यम" का वही अर्थ होगा जो धारा 92क की उपधारा (1) और उपधारा (2) में उसका है;

(ii) "असन्निकट कीमत" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (ii) में उसका है;

(iii) "अतिरिक्त धन" से प्राथमिक समायोजन में अवधारित असन्निकटा कीमत और उस कीमत के, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, बीच का अंतर अभिप्रेत है;

(iv) किसी अंतरण कीमत के लिए "प्राथमिक समायोजन" से असन्निकट सिद्धांत के अनुसार अंतरण कीमत का अवधारण अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती की, यथास्थिति, कुल आय में किसी वृद्धि या हानि में कमी हुई है;

(v) "द्वितीय समायोजन" से निर्धारिती और उसके सहयुक्त उद्यम की लेखा बहियों में यह दर्शित करने के लिए कि निर्धारिती और उसके सहयुक्त उद्यम के बीच लाभों का वास्तविक आबंटन प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप अवधारित अंतरण कीमत के संगत है, जिसके द्वारा निर्धारिती के नकद खाते और वास्तविक लाभ में असंतुलन को दूर किया जाता है, समायोजन अभिप्रेत है ।]

92घ. अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और बनाए रखना—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोई [2][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है, उसकी बाबत ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं ।

[3][परंतु ऐसा व्यक्ति, जो किसी अंतरराष्ट्रीय समूह का कोई घटक अस्तित्व है, किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "घटक अस्तित्व" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (घ) में है ।';

(आ) "अंतर्राष्ट्रीय समूह" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (छ) में है ।];

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड वह अवधि विहित कर सकेगा जिसके लिए जानकारी और दस्तावेज उस उपधारा के अधीन रखे और बनाए रखे जाएंगे ।

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 42 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 48 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने कोई [1][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है, उसकी बाबत कोई जानकारी या दस्तावेज जो उपधारा (1) के अधीन विहित की जाए, इस बाबत जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देने की अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील), ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, तीस दिन की अवधि को तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

[2][(4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति, उक्त परंतुक में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों को धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में उस तारीख को या उसके पूर्व जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।"।]

92ङ [1][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली लेखापाल की रिपोर्ट—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोई [1][अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है, लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और विहित प्ररूप में ऐसी रिपोर्ट को विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए देगा ।

92च. असन्निकट कीमत आदि की संगणना से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाएं—धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ङ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) "लेखापाल" का वही अर्थ है जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में है ;

(ii) "असन्निकट कीमत" से वह कीमत अभिप्रेत है जो अनियंत्रित दशाओं में सहयुक्त उद्यमों से भिन्न व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार में लागू की जाती है या लागू किए जाने के लिए प्रस्थापित की जाती है ;

(iii) "उद्यम" से वह व्यक्ति (जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का स्थायी स्थापन भी है) अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगाया जाता है, या लगा हुआ है या जिसके लगाए जाने का प्रस्ताव है, जो ऐसी वस्तुओं या माल के उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण, अथवा व्यवहार-ज्ञान, पेटेंटों, प्रतिलिप्यधिकारों, व्यापार-चिह्नों, अनुज्ञप्तियों, मताधिकारों या उसी प्रकार के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार से, अथवा किसी डाटा, दस्तावेजीकरण, रेखांकन या ऐसे विनिर्देश से संबंधित किसी पेटेंट, आविष्कार, प्रतिमान, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया के संबंध में है जिसका दूसरा उद्यम स्वामी हैं या जिसकी बाबत दूसरे उद्यम को अनन्य अधिकार हैं या जो किसी भी प्रकार की सेवाओं [3][या किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य के करने,] अथवा किसी निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन, धारण, हामीदारी या व्यवहार के कारबार में विनिधान या उधार देने के संबंध में है, चाहे ऐसा क्रियाकलाप या कारबार प्रत्यक्ष रूप से या अपने यूनिटों या प्रभागों या समनुषंगियों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से किया जाता है या, चाहे ऐसा यूनिट या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर जहां उद्यम अवस्थित है या किसी भिन्न स्थान या स्थानों पर अवस्थित हैं ;

[3][(iiiक) खंड (iii) में निर्दिष्ट "स्थायी स्थापन" के अंतर्गत कारबार का ऐसा निश्चित स्थान भी आता है जहां से उद्यम का कारबार पूर्णत: या भागत: चलाया जाता है ;];

[4][(iv) "विनिर्दिष्ट तारीख" का वही अर्थ है जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में, "निश्चित तारीख" का है ;]।

(v) "संव्यवहार " के अंतर्गत ठहराव, समझौता या संयुक्त कार्रवाई है,—

(अ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, औपचारिक या लिखित रूप में है या नहीं ; या

(आ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई, विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने के लिए आशयित है या नहीं ।']

93. अनिवासियों को आय के अन्तरण में परिणामित होने वाले संव्यवहारों द्वारा आय-कर का परिवर्जन—(1) जहां आस्तियों का अन्तरण हुआ है जिसके आधार से या जिसके परिणामस्वरूप या तो अकेले या सहयुक्त संक्रियाओं के संयोजन से, कोई आय अनिवासी को संदेय हो जाती है, वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :—

(क) जहां किसी व्यक्ति ने, ऐसे किसी अन्तरण द्वारा या तो अकेले सहयुक्त संक्रियाओं के संयोजन से कोई अधिकार अर्जित किए हैं, जिनके आधार से उसको, अनिवासी व्यक्ति की किसी ऐसी आय का तत्क्षण या भविष्य में, इस धारा के अर्थ में उपभोग करने की शक्ति है जो यदि प्रथम वर्णित व्यक्ति की आय होती है तो आय-कर के लिए प्रभार्य होती वहां वह आय, चाहे वह इस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त भी आय-कर से प्रभार्य होती या नहीं होती, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्णित व्यक्ति की आय समझी जाएगी :

(ख) जहां ऐसे किसी अन्तरण के पूर्व या पश्चात्, ऐसा कोई प्रथम वर्णित व्यक्ति, कोई पूंजी राशि प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है जिसका संदाय अन्तरण या किन्हीं सहयुक्त संक्रियाओं के साथ किसी प्रकार सम्बंधित है, वहां कोई ऐसी आय, जो अन्तरण के आधार से या परिणामस्वरूप या तो अकेले या सहयुक्त संक्रियाओं के संयोजन से अनिवासी की आय हो गई है, चाहे वह

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 48 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

इस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त भी आय-कर के लिए प्रभार्य होती या नहीं होती, इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के लिए प्रथम वर्णित व्यक्ति की आय समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के उपबंध इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए आस्तियों के अन्तरण और सहर्युक्त संक्रियाओं के संबंध में भी लागू होंगे।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अधीन उसकी समझी जाने वाली किसी आय पर आय-कर से प्रभारित किया गया है और वह आय, तत्पश्चात् उसके द्वारा आय के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त की जाती है, वहां वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसकी आय का भाग पुन: नहीं समझी जाएगी।

(3) इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उपधारा (1) में प्रथम-वर्णित व्यक्ति आय-कर अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर देता है कि :—

(क) न तो अन्तरण का और न किसी सहयुक्त संक्रिया का प्रयोजन या उसके प्रयोजनों में से कोई प्रयोजन कराधान के दायित्व का परिवर्जन था, या

(ख) अन्तरण और सब सहयुक्त संक्रियाएं सद्भावी वाणिज्यिक संव्यवहार थी और कराधान के दायित्व के परिवर्जन के प्रयोजनों के लिए परिकल्पित नहीं थी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

(क) किन्हीं आस्तियों, आय या आय के संचयनों के रूप की आस्तियों के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत किसी ऐसी कंपनी के शेयरों या उसकी बाध्यताओं या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की बाध्यताओं के प्रति निर्देश भी है जिसको वे आस्तियां, वह आय या वे संचयन अन्तरित है या किए गए हैं ;

(ख) किसी ऐसे निगमित निकाय से, जो भारत के बाहर निगमित है, ऐसे बरता जाएगा, मानों वह अनिवासी है ;

(ग) किसी व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसे किसी अनिवासी की आय का उपभोग करने की शक्ति है यदि—

(i) उस आय को किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुत: इस प्रकार व्यवहृत किया जाता है जिससे वह किसी समय-विशेष पर और चाहे आय के रूप में या अन्यथा, उपधारा (1) में प्रथम वर्णित व्यक्ति के फायदे के लिए प्रवृत होने के लिए प्रकल्पित होती है, या

(ii) उस आय की प्राप्ति या प्रोद्भूत का ऐसा प्रभाव होता है जिससे ऐसे प्रथम-वर्णित व्यक्ति के लिए उन किन्हीं आस्तियों का मूल्य बढ़ जाता है जो उस द्वारा या उसके फायदे के लिए धारित है, या

(iii) ऐसा प्रथम-वर्णित व्यक्ति किसी समय कोई ऐसा फायदा प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है जो उस आय में से या ऐसे धनों में से उपलभ्य है या उपलभ्य किया जाने वाला है जो उस आय पर या उस आय के रूप की आस्तियों पर की जाने वाली सहयुक्त संक्रियाओं के प्रभाव या उत्तरोत्तर प्रभाव के कारण तत्प्रयोजनार्थ उपलब्ध है या होंगे,

(iv) ऐसे प्रथम-वर्णित व्यक्ति को, किसी नियोजन की शक्ति या प्रतिसंहरण की शक्ति के प्रयोग द्वारा या अन्यथा रूप से किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति से या उसके बिना, आय का फायदाप्रद उपभोग स्वयं अपने लिए अभिप्राप्त करने की शक्ति है, या

(v) ऐसा प्रथम-वर्णित व्यक्ति आय के उपयोजन को किसी भी रीति में और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए समर्थ है।

(घ) इस बात का अवधारण करने में कि क्या किसी व्यक्ति को आय का उपभोग करने की शक्ति है, अन्तरण और किन्हीं सहयुक्त संक्रियाओं के सारवान परिणाम और प्रभाव का ध्यान रखा जाएगा और ऐसे सभी फायदों को जो अन्तरण और किन्हीं सहयुक्त संक्रियाओं के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को किसी समय प्रोद्भूत हो, उन फायदों की प्रकृति या स्वरूप को दृष्टि में लाए बिना, हिसाब में लिया जाएगा।

(4) (क) "आस्तियों" के अन्तर्गत सम्पत्ति या किसी भी किस्म के अधिकार है और अधिकारों के सम्बन्ध में "अन्तरण" के अन्तर्गत उन अधिकारों का सृजन भी है ;

(ख) किसी अन्तरण के सम्बन्ध में "सहयुक्त संक्रिया" से किसी किस्म की संक्रिया अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में की गई है

(i) अन्तरित आस्तियों में से कोई आस्ति, या

(ii) अन्तरित आस्तियों में से किसी को, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदर्शित करने वाली कोई आस्तियां, या

(iii) ऐसी किन्हीं आस्तियों से उद्भूत होने वाली आय, या

(iv) ऐसी किन्हीं आस्तियों से उद्भूत होने वाली आय के संचयनों को चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करने वाली कोई आस्तियां ;

(ग) "फायदा" के अन्तर्गत किसी भी किस्म का संदाय है ;

(घ) "पूंजी राशि" से अभिप्रेत है

(i) किसी उधार या उधार के प्रतिसंदाय के रूप में संदत्त या संदेय कोई राशि, और

(ii) आय के अन्यथा किसी रूप में संदत्त या संदेय कोई अन्य राशि जो धन या धन के मूल्य के रूप में पूर्ण प्रतिफल के लिए संदत्त या संदेय नहीं है ।

94. प्रतिभूतियों में कतिपय संव्यवहारों द्वारा कर का परिवर्जन—(1) जहां किसी प्रतिभूतियों का स्वामी (जिसे इस उपधारा में और उपधारा (2) में "स्वामी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया) उन प्रतिभूतियों का विक्रय या अंतरण करता है और प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेता है या पुन: अर्जित करता है वहां यदि उस संव्यवहार का परिणाम यह होता है कि प्रतिभूतियों की बाबत संदेय होने वाला कोई ब्याज स्वामी द्वारा प्राप्य होने से अन्यथा प्राप्य है, तो यथापूर्वोक्त संदेय ब्याज, चाहे वह इस उपधारा के उपबंधों के अतिरिक्त भी आय-कर से प्रभार्य होता या नहीं होता, इस अधिनियम के सब प्रयोजनों के लिए स्वामी की आय समझा जाएगा और किसी अन्य व्यक्ति की आय नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेने या पुन: अर्जित करने के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत समरूप प्रतिभूतियों को क्रय करने या अर्जित करने के प्रति निर्देश भी समझे जाएंगे किन्तु इस प्रकार कि जहां समरूप प्रतिभूतियां क्रय या अर्जित की जाती है वहां स्वामी, आय-कर के लिए उससे बड़े दायित्व के अधीन नहीं होगा जिसके अधीन वह उस दशा में होता जिसमें मूल प्रतिभूतियां ही क्रय द्वारा वापस ली गई होती या पुन: अर्जित की गई होती ।

(2) जहां किसी व्यक्ति का किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय किन्हीं प्रतिभूतियों में कोई फायदाप्रद हित रहा है और ऐसी प्रतिभूतियों या उनकी आय से संबद्ध किसी संव्यवहार का परिणाम यह है कि ऐसे वर्ष के अन्दर ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में उस द्वारा या तो कोई आय प्राप्त नहीं की जाती है या उस द्वारा प्राप्त आय उस राशि से कम है जिस तक कि आय पंहुच गई होती यदि ऐसी प्रतिभूतियों से आय दिन-प्रतिदिन प्रोद्भूत होती और तद्नुसार प्रभाजित की गई होती, वहां ऐसे वर्ष के लिए ऐसी प्रतिभूतियों से आय ऐसे व्यक्ति की आय समझी जाएगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि यथास्थिति स्वामी या वह व्यक्ति जिसका उन प्रतिभूतियों में फायदाप्रद हित रहा है, @[निर्धारण अधिकारी] को समाधानप्रद रूप में साबित करता है कि—

(क) आय-कर का कोई परिवर्जन नहीं हुआ है, या

(ख) आय-कर का परिवर्जन असाधारण था और प्रायिक नहीं था और यह कि उसके मामले में तीन पूर्व वर्षों में से किसी में उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के संव्यवहार द्वारा आय-कर का कोई परिवर्जन नहीं हुआ है ।

(4) जहां ऐसा कारबार चलाने वाला कोई व्यक्ति, जिसमें पूर्णत: या भागत: प्रतिभूतियों का व्यवहार सम्मिलित है, किन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय या अर्जन करता है और उन प्रतिभूतियों को विक्रय द्वारा वापस करता है या पुन: अंतरित करता है वहां यदि संव्यवहार का यह परिणाम होता है कि उन प्रतिभूतियों की बाबत संदेय होने वाला ब्याज उस के द्वारा प्राप्य है किंतु उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के कारण उसकी आय नहीं समझा जाता है वहां इन संव्यवहारों को, उस कारबार से उद्भूत होने वाले लाभों या उससे हुई हानि को इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए संगणित करने में, गिनती में नहीं लिया जाएगा ।

(5) उपधारा (4) किन्हीं आवश्यक उपांतरणों के अधीन रहते हुए, इस प्रकार प्रभावी होगी मानों प्रतिभूतियों को विक्रय द्वारा वापस करने या पुन: अंतरित करने के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत समरूप प्रतिभूतियों के विक्रय करने या अंतरित करने के प्रति निर्देश भी है ।

(6) @[निर्धारण अधिकारी] किसी व्यक्ति से लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि उतने समय के अंदर जितना वह निर्दिष्ट करे (जो अट्ठाईस दिन से कम नहीं होगा) वह, ऐसी सब प्रतिभूतियों की बाबत, जिनका कि ऐसा व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान किसी समय स्वामी था या जिनमें वह फायदाप्रद हित रखता था, ऐसी विशिष्टियां दे जैसी कि वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए और यह पता लगाने के प्रयोजन के लिए कि क्या उन सब प्रतिभूतियों पर ब्याज की बाबत आय-कर लगाया जा चुका है, आवश्यक समझता है।

[1][(7) जहां—

(क) कोई व्यक्ति, रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं प्रतिभूतियों या यूनिट का क्रय करता है या अर्जन करता है ;

[2][(ख) ऐसा व्यक्ति,—

(i) ऐसी प्रतिभूतियों का, ऐसी तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, या

(ii) ऐसी यूनिट का, ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर,

विक्रय या अंतरण करता है ;]

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिटों पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय छूट प्राप्त है,

---

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

वहां प्रतिभूतियों या यूनिट के ऐसे क्रय और विक्रय मद्धे उसको उद्‌भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, उन परिमाण तक, जिस तक ऐसी हानि ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिट पर प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय की रकम से अधिक नहीं है, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।]

[1][(8) जहां,—

(क) कोई व्यक्ति रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं यूनिटों का क्रय करता है या अर्जन करता है ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को ऐसी तारीख को ऐसी युनिटें धारण करने के आधार पर कोई संदाय किए बिना अतिरिक्त यूनिटें आबंटित की जाती हैं ;

(ग) ऐसा व्यक्ति खंड (क) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं यूनिटों का ऐसी तारीख के पश्चात्‌ नौ मास की अवधि के भीतर विक्रय या अंतरण करता है, जबकि वह खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं अतिरिक्त यूनिटों को धारण किए रहता है,

वहां ऐसी सभी या किन्हीं यूनिटों के ऐसे क्रय और विक्रय मद्दे उसको उद्‌भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार हिसाब में नहीं ली गई हानि की रकम, खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त यूनिटों के, जो उसके द्वारा ऐसे अंतरण या विक्रय की तारीख को धारण की जाती है, क्रय या अर्जन की लागत समझी जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "ब्याज" के अंतर्गत लाभांश भी है,

[2][(कक) "रिकार्ड तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो,--

(i) लाभांश प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति धारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी द्वारा ; या

(ii) यथास्थिति, आय या प्रतिफल के बिना अतिरिक्त यूनिट प्राप्त करने के लिए यूनिटों के धारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी पारस्परिक निधि या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट उपक्रम या विनिर्दिष्ट कंपनी के प्रशासक द्वारा,

नियत की जाए ;]

(ख) "प्रतिभूतियों" के अंतर्गत स्टाक और शेयर भी है,

(ग) प्रतिभूतियां समरूप समझी जाएंगी यदि वे अपने धारकों को, पूंजी और ब्याज के बारे में उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध वैसे ही अधिकारों और उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए वैसे ही उपचारों के लिए हकदार बनाती है, इस बात के होते हुए भी कि संबंधित प्रतिभूतियों की कुल अभिहित रकमों में या उस रूप में जिसमें वे धारित है या उस रीति में जिसमें वे अंतरित की जा सकती है अंतर है ।

[3][(घ) "यूनिट" का वही अर्थ है जो धारा 115कख के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है ।]

[4][**94क. अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों से संव्यवहारों के संबंध में विशेष उपाय**—(1) केंद्रीय सरकार, भारत के बारह किसी देश या राज्यक्षेत्र के साथ सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे देश या राज्यक्षेत्र को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी संव्यवहार के संबंध में, अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि कोई निर्धारिती ऐसा कोई संव्यवहार करता है, जिसमें संव्यवहार के पक्षकारों में से एक अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति है, तो,—

(i) संव्यवहार के सभी पक्षकार धारा 92क के अर्थ के भीतर सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे ;

(ii) मूर्त या अमूर्त संपत्ति के क्रय, विक्रय या पट्टे की प्रकृत्ति का या सेवा का उपबंध या उधार देने या धन उधार लेने का कोई संव्यवहार या निर्धारिती के लाभों, आय, हानियों या आस्तियों से संबंध रखने वाला कोई अन्य संव्यवहार, जिसके अंतर्गत निर्धारिती द्वारा या उसे प्रदान किए गए या प्रदान किए जाने वाले किसी फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत किए जाने वाले किसी खर्च या व्यय के आबंटन या प्रभाजन के या उसके किसी अभिदाय के लिए पारस्परिक करार या ठहराव भी है, धारा 92ख के अर्थ के भीतर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा,

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 25 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 15 द्वारा अंत:स्थापित ।

और धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग [उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के सिवाय], धारा 92गक, धारा 92गख, धारा 92घ, धारा 92ङ और धारा 92च के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय के संबंध में कोई कटौती इस अधिनियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारिती, ऐसे निर्धारिती की ओर से उक्त वित्तीय संस्था से सुसंगत सूचना की ईप्सा करने के लिए बोर्ड या अपनी ओर से कार्यरत किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को प्राधिकृत करने संबंधी प्राधिकार विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं करता है ; और

(ख) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक के संबंध में (जिसके अंतर्गत अवक्षयण भी है), कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती इस निमित्त ऐसे अन्य दस्तावेज न रखता हो और ऐसी सूचना, जो विहित की जाए, प्रस्तुत न करता हो ।

(4) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां, किसी पूर्ववर्ष में, निर्धारिती को किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त या जमा हुई है और निर्धारिती उस व्यक्ति के हाथों में या फायदाग्राही स्वामी के हाथों में (यदि ऐसा व्यक्ति उक्त राशि का फायदाग्राही स्वामी नहीं है) उक्त राशि के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां ऐसी राशि, उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित कोई व्यक्ति ऐसी कोई राशि या आय या रकम प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर कटौती योग्य है, वहां कर की कटौती निम्नलिखित दरों में से उच्चतर दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रवृत्त दर या दरों पर ;

(ख) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट दर पर ;

(ग) तीस प्रतिशत की दर पर ।

(6) इस धारा में,—

(i) "किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र का निवासी है ;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि नहीं है, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थापित है ;

(ग) अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में, उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अंतर्गत न आने वाले किसी व्यक्ति का स्थायी स्थापन ;

(ii) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा, जो धारा 92च के खंड (iiiक) में पारिभाषित है ;

(iii) "संव्यवहार" का वही अर्थ होगा, जो धारा 92च के खंड (v) में परिभाषित है ।]

[1][**94ख. कतिपय मामलों में ब्याज कटौती को सीमित करना**—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी का स्थायी स्थापन, जो उधार लेने वाला है, एक करोड़ रुपए से अधिक ब्याज के रूप में या वैसी ही प्रकृति का कोई व्यय उपगत करता है, जो "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी गैर-निवासी, जो ऐसे उधार लेने वाले का सहयुक्त उपक्रम है, द्वारा जारी किसी उधार के संबंध में प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य हैं, वहां ब्याज के शीर्ष के अधीन आय की संगणना में उस सीमा तक जहां तक उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट हो, वह, अधिक ब्याज से उद्भूत होता है, कटौती नहीं की जाएगी :

परन्तु जहां ऋण किसी ऐसे उधार देने वाले द्वारा जारी किया गया है जो सहयुक्त नहीं है किंतु कोई सहयुक्त उद्यम, या तो ऐसे उधार देने वाले को कोई अस्पष्ट या स्पष्ट प्रत्याभूति उपलब्ध कराता है या उधार देने वाले की निधियों की रकम के तत्स्थानी या समरूप निक्षेप करता है, वहां ऐसे ऋण को ऐसे किसी सहयुक्त उपक्रम द्वारा जारी किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिक ब्याज से, पूर्ववर्ष में उधार लेने वाले के ब्याज, करों, अवक्षयण और अपाकरण या उस पूर्ववर्ष के लिए सहयुक्त उपक्रमों को संदत्त या संदेय ब्याज के पूर्व उपार्जनों के तीस प्रतिशत से अधिक संदत्त या संदेय कुल ब्याज की रकम अभिप्रेत है ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी के स्थायी स्थापन को, जो बैंककारी या बीमा के कारबार में लगा हुआ है, लागू नहीं होगी ।

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।

(4) जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे ब्याज व्यय की पूर्णत: "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय के विरुद्ध कटौती नहीं की गई है तो उतने ब्याज व्यय को आगामी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा जितने की इस प्रकार कटौती नहीं की गई है, और इसका उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ, यदि कोई हों, और उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय के विरुद्ध उपधारा (2) के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय ब्याज व्यय के विस्तार तक कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी ब्याज व्यय को उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए पहली बार अधिक ब्याज व्यय की संगणना की गई थी, से तुरंत उत्तरवर्ती आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "सहयुक्त उद्यम" पद का वही अर्थ है जो उसका धारा 92क की उपधारा (1) और उपधारा (2) में है;

(ii) "ऋण" पद से कोई उधार, वित्तीय लिखत, वित्तीय पट्टा, वित्तीय व्युपन्नी या कोई ठहराव अभिप्रेत है जिससे कोई ब्याज, छूट या अन्य वित्तीय प्रभार उत्पन्न होता है, जो "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है;

(iii) "स्थायी स्थापन" पद के अंतर्गत कारबार का नियत स्थान है जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णत: या भागत: किया जाता है ।]

[1][अध्याय 10क

सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम

95. सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम का लागू होना—[2][(1)] इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जा सकेगा और उससे उद्भूत होने वाले कर संबंधित परिणाम का अवधारण इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा ।

[3][(2) यह अध्याय, 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष की बाबत लागू होगा ।]

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय के उपबंध ठहराव में के किसी उपाय को या उसके किसी भाग को उसी प्रकार लागू किए जा सकेंगे, जैसे वे ठहराव के प्रति लागू होते हैं ।

96. अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव—(1) किसी अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव से ऐसा ठहराव अभिप्रेत है, जिसका मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है और,—

(क) इससे ऐसे अधिकारों या बाध्यताओं का सृजन होता है, जो सामान्यतया असन्निकट रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच सृजित नहीं होती हैं ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के उपबंधों का, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, गलत उपयोग या दुरुपयोग होता है ;

(ग) इसमें धारा 97 के अधीन संपूर्णत: या भागत:, वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है या उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है ; या

(घ) वह ऐसे साधनों द्वारा या ऐसी रीति में किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतया सद्भावी प्रयोजनों के लिए अपनाया नहीं जाता है ।

(2) ऐसे ठहराव के बारे में, जब तक कि निर्धारिती द्वारा उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, इस तथ्य के होते हुए भी कि संपूर्ण ठहराव का मुख्य प्रयोजन कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने का नहीं है, यह उपधारणा की जाएगी कि वह कोई कर फायदा अभिप्राप्त करने के मुख्य प्रयोजन के लिए किया गया है या कार्यान्वित किया गया है, यदि ठहराव में के किसी उपाय या उसके किसी भाग का मुख्य प्रयोजन कर फायदा अभिप्राप्त करने का है ।

97. ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व का न होना—(1) किसी ठहराव के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें वाणिज्यिक सारतत्व नहीं है, यदि—

(क) ठहराव का संपूर्ण सारतत्व या प्रभाव उसके पृथक्-पृथक् उपायों या उनके किसी भाग से असंगत है या उससे महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है ; या

(ख) उसमें निम्नलिखित अंतर्वलित या सम्मलित हैं—

(i) राउंड ट्रिप वित्तपोषण ;

(ii) कोई अनुकूलन पक्षकार ;

(iii) ऐसे तत्व, जिनका प्रभाव एक-दूसरे को मुजराई करने या रद्द करने का है ; या

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 26 द्वारा संख्यांकित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।

(iv) ऐसा कोई संव्यवहार, जो एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है और उससे ऐसी निधियों के मूल्य, अवस्थान, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण के बारे में, जो ऐसे संव्यवहार की विषय-वस्तु है, भ्रम होता है ; या

(ग) उसमें ऐसी किसी आस्ति या संव्यवहार या किसी पक्षकार के निवास-स्थान का अवस्थान अंतर्वलित है, जिसका किसी पक्षकार लिए कर फायदा अभिप्राप्त करने से (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) भिन्न कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ; या

(घ) इसमें ठहराव के किसी पक्षकार के कारबार जोखिमों या शुद्ध नकद प्रवाहों पर, उस कर फायदे के जो (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) अभिप्राप्त होगा कारण हुए माने जा सकने वाले ऐसे किसी प्रभाव के अतिरिक्त, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राउंड ट्रिप वित्तपोषण के अंतर्गत ऐसा कोई ठहराव भी है, जिसमें,—

(अ) इस बात पर कि राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियों का ठहराव के संबंध में किसी पक्षकार को अंतरित या उसके द्वारा प्राप्त की गई किन्हीं निधियों से पता लगाया जा सकता है या नहीं ;

(आ) उस समय या क्रम पर, जिसमें राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती है ; या

(इ) उन साधनों पर, जिनके द्वारा या रीति पर, जिसमें या उस ढंग पर, जिसके माध्यम से राउंड ट्रिप वित्तपोषण में अंतर्वलित निधियां अंतरित या प्राप्त की जाती हैं,

कोई ध्यान दिए बिना, श्रृंखलाबद्ध संव्यवहारों के माध्यम से—

(क) निधियां, ठहराव के पक्षकारों के बीच अंतरित की जाती हैं ; और

(ख) ऐसे संव्यवहारों का (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर भी) कर फायदा अभिप्राप्त करने से भिन्न कोई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं है ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी ठहराव का कोई पक्षकार अनुकूलक पक्षकार होगा, यदि संपूर्ण ठहराव या उसके किसी भाग में उस पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहभागिता का मुख्य प्रयोजन निर्धारिती के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर फायदा (इस अध्याय के उपबंधों के न होने पर) अभिप्राप्त करने का है, चाहे वह पक्षकार ठहराव के किसी पक्षकार के संबंध में कोई संबंधित व्यक्ति है या नहीं ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस बात का अवधारण करते समय कि किसी ठहराव में वाणिज्यिक सारतत्व है या नहीं, निम्नलिखित सुसंगत हो सकेगा किन्तु पर्याप्त नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) वह अवधि या समय, जिसके लिए ठहराव (जिसके अंतर्गत उसमें के प्रचालन भी है) विद्यमान है ;

(ii) ठहराव के अधीन, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, करों के संदाय का तथ्य ;

(iii) यह तथ्य कि ठहराव द्वारा कोई निर्गम माध्यम का (जिसके अंतर्गत किसी क्रियाकलाप या कारबार का अंतरण भी है) उपबंध कराया गया है ।

98. अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के परिणाम—(1) यदि किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित किया जाता है तो ठहराव के कर संबंधी परिणामों का, जिनके अंतर्गत कर फायदे या किसी कर संधि के अधीन किसी फायदे का प्रत्याख्यान किया जाना भी है, ऐसी रीति में, जो मामले की उन परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित रूप में भी, किन्तु जो उन तक सीमित न हो, अवधारण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) भागत: या संपूर्णत:, अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव में के किसी उपाय पर ध्यान न देना, उन्हें संयोजित या पुन:विशेषित करना ;

(ख) अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव को इस प्रकार मानना, मानो उसे किया अथवा कार्यान्वित ही नहीं किया गया था ;

(ग) किसी अनुकूलक पक्षकार पर ध्यान न देना या किसी अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही पक्षकार के रूप में मानना ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, किसी रकम के कर निरूपण को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए एक ही व्यक्ति के रूप में मानना ;

(ङ) ठहराव के पक्षकारों के बीच—

(i) किसी पूंजीगत प्रकृति या राजस्व की प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति ; या

(ii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट,

का पुन:आबंटन करना ;

(च) (i) ठहराव के किसी पक्षकार के निवास स्थान को ; या

(ii) किसी आस्ति या संव्यवहार की अवस्थिति को,

ठहराव के अधीन यथा उपबंधित निवास-स्थान, किसी आस्ति के अवस्थान या संव्यवहार के अवस्थान से भिन्न किसी स्थान पर मानना ; या

(छ) किसी निगमित संरचना पर ध्यान दिए बिना किसी ठहराव पर विचार करना या उसकी अवेक्षा करना ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी इक्विटी को ऋण या उसके विपर्ययेन माना जा सकेगा ;

(ii) पूंजीगत प्रकृति के किसी प्रोद्भवन या प्राप्ति को राजस्व की प्रकृति का या उसके विपर्ययेन माना जा सकेगा ; या

(iii) किसी व्यय, कटौती, राहत या रिबेट को पुन:विशेषित किया जा सकेगा ।

99. संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार का निरूपण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, इस बात का अवधारण करने में कि क्या कोई कर फायदा विद्यमान है,—

(i) ऐसे पक्षकारों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा ;

(ii) किसी अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी ;

(iii) अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही व्यक्ति के रूप में माना जा सकेगा ;

(iv) किसी निगमित संरचना पर ध्यान दिए बिना ठहराव पर विचार या उसकी अवेक्षा की जा सकेगी ।

100. इस अध्याय का लागू होना—इस अध्याय के उपबंध कर दायित्व के अवधारण के संबंध में किसी अन्य आधार के अतिरिक्त या उसके स्थान पर लागू किए जाएंगे ।

101.मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना—इस अध्याय के उपबंधों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, लागू किया जाएगा ।

102. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "ठहराव" से किसी संपूर्ण संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते या उसके किसी भाग के संबंध में, चाहे वह प्रवर्तनीय हो या नहीं, कोई उपाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे संव्यवहार, प्रचालन, स्कीम, करार या समझौते में किसी संपत्ति का अन्यसंक्रामण भी है ;

(2) "आस्ति" के अंतर्गत किसी प्रकार की संपत्ति या अधिकार है ;

(3) "फायदे" के अंतर्गत, मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में, किसी भी प्रकार का संदाय है ;

(4) "संबद्ध व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति से संबद्ध है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) व्यक्ति का कोई नातेदार, यदि ऐसा व्यक्ति कोई व्यष्टि है ;

(ख) यदि व्यक्ति कोई कंपनी है तो कंपनी का कोई निदेशक या ऐसे निदेशक का कोई नातेदार ;

(ग) यदि व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय है तो ऐसी किसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का कोई भागीदार या सदस्य अथवा ऐसे भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(घ) यदि व्यक्ति कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य का कोई नातेदार ;

(ङ) ऐसा कोई व्यष्टि, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे व्यष्टि का कोई नातेदार ;

(च) कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब का कोई निदेशक, भागीदार या सदस्य या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कोई नातेदार ;

(छ) ऐसी कोई कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसके निदेशक, भागीदार या सदस्य का व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य का कुटुंब या कोई नातेदार ;

(ज) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो कोई कारबार करता है, यदि,—

(i) उस व्यक्ति का, जो व्यष्टि है या ऐसे व्यक्ति के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ; या

(ii) उस व्यक्ति का, जो कोई कंपनी, फर्म, व्यक्ति-संगम, व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है या ऐसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय या कुटुंब के किसी निदेशक, भागीदार या सदस्य का या ऐसे निदेशक, भागीदार या सदस्य के किसी नातेदार का उस अन्य व्यक्ति के कारबार में कोई सारवान् हित है ;

(5) "निधि" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) कोई नकदी ;

(ख) नकदी के समतुल्य ; और

(ग) नकदी या नकदी के समतुल्य को प्राप्त करने का कोई अधिकार या उसका संदाय करने की बाध्यता ;

(6) "पक्षकार" के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या स्थायी स्थापन है, जो किसी ठहराव में सहभागी बनता है या भाग लेता है ;

(7) "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(8) ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कारबार में सारवान् हित है, यदि—

(क) ऐसे किसी मामले में, जहां कारबार किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, बीस प्रतिशत या अधिक मतदान शक्ति वाले साधारण शेयरों का हिताधिकारी स्वामी है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसा व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय, ऐसे कारबार के लाभों के बीस प्रतिशत या अधिक का फायदा पाने का हकदार है ;

(9) "उपाय" के अंतर्गत विशिष्टतया किसी श्रृंखला का एक ऐसा कोई उपाय या कोई कार्रवाई भी है, जो ठहराव में कोई विशिष्ट चीज या वस्तु का व्यवहार करने या उसे प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया है या की गई है ;

(10) "कर फायदे" में सुसंगत पूर्ववर्ष या किसी अन्य पूर्ववर्ष में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या अन्य रकम में कमी या उसका परिवर्जन या आस्थगन ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी ; या

(ग) ऐसे कर या अन्य रकम में, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय होती, किसी कर संधि के परिणामस्वरूप कमी, उसका परिवर्जन या आस्थगन ; या

(घ) किसी कर संधि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य रकम के प्रतिदाय में कोई बढ़ोतरी ; या

(ङ) कुल आय में कमी ; या

(च) हानि में बढ़ोतरी ;

(11) "कर संधि" से धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार अभिप्रेत है ।]

[1][**अध्याय 11**

[2][**अवितरित लाभों पर अतिरिक्त आय-कर**]

[3]* * * * *

[4]* * * * *

[5]* * * * *

अध्याय 12

कतिपय विशेष दशाओं में कर का अवधारण

[6][**110. जहां कुल आय के अंतर्गत ऐसी आय है जिस पर कोई कर संदेय नहीं है वहां कर का अवधारण**—जहां निर्धारिती की कुल आय के अन्तर्गत कोई ऐसी आय है जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई आय-कर संदेय नहीं है वहां निर्धारिती आय-कर की उस रकम से जिससे वह अपनी कुल आय पर प्रभार्य है, उतनी कटौती के लिए हकदार होगा जितनी उस रकम पर जिस पर कोई आयकर संदेय नहीं है, आय-कर की औसत दर से परिकलित आय-कर के बराबर है ।]

111. मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के संचित अतिशेष पर कर—(1) जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित अतिशेष, चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 41 द्वारा "अध्याय 11" का (1-4-1988 से) लोप किया गया ।

[2] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 29 द्वारा (1-4-1965 से) "अधिकर" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 29 द्वारा (1-4-1965) "क-साधारण", "ख-कुल आय के भाग रूप व आय जिन पर अधिकर देय नहीं है", "ग-अधिकर की रिबेट" और "घ-अवितरित लाभों पर अतिरिक्त अधिकर" उप-शीर्षकों, का जो क्रमश: धारा 95, 99, 100 और 104 के ऊपर दिए गए थे, लोप कर दिया गया है ।

[4] 1965 के अधिनिमय सं० 10 की धारा 29 द्वारा (1-4-1965 से) धारा 95 से 103 तक का लोप किया गया ।

[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 41 द्वारा "अध्याय 11" के साथ धारा 104 से 109 तक (1-4-1988 से) लोप किया गया ।

[6] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 32 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।

किया जाता है, वहां @[निर्धारण अधिकारी] [1][कर] की विभिन्न राशियों का योग उसके नियम 9 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार परिकलित करेगा ।

(2) जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी को देय संचित अतिशेष जो चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के अधीन उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, संदेय हो जाता है, वहां उसके नियम 9 के उपनियम (2) में उपबंधित रीति से अधिकर परिकलित किया जाएगा ।

[2][**111क. कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर**—(1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है और जो किसी कंपनी में साधारण शेयर या किसी [3][साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट] है और—

(क) ऐसे साधारण शेयर या यूनिट के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् किया गया है, जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है ; और

(ख) ऐसा संव्यवहार उस अध्याय के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य है,

वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा—

(i) ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभो पर [4][पंद्रह प्रतिशत] की दर से संगणित आय कर की रकम ; और

(ii) कुल आय की शेष रकम पर संदेय आय कर की रकम, मानो ऐसी शेष रकम निर्धारिती की कुल आय थी :

परन्तु किसी ऐसे व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जो निवासी है, जहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों को उस रकम तक घटाया जाएगा, जिस तक इस प्रकार घटा कर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम होती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है और ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की शेष रकम पर कर की संगणना [5][पन्द्रह प्रतिशत] की दर से की जाएगी ।

[6][परंतु यह और कि खंड (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए किसी संव्यवहार, और जहां ऐसे संव्यवहार का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त संदेय है, को लागू नहीं होगी ।]

(2) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां अध्याय 6क के अधीन कटौती, ऐसे पूंजी अभिलाभों में से घटा कर आई सकल कुल आय से, अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित है वहां ऐसे पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई कुल आय पर आय-कर से धारा 88 के अधीन रिबेट अनुज्ञात किया जाएगा ।

[7][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "साधारण शेयरोन्मुखी निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(ख) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 की धारा 28) की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है ;

(ग) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो धारा 43 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में उसका है ।]]

[8][**112. दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर**—(1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(क) किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब [9][जो निवासी है] की दशा में,—

(i) कुल आय पर संदेय आय कर की रकम जैसी कि वह ऐसी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

(ii) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर बीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम :

परन्तु जहां ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों को घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है वहां ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों में से ऐसी रकम घटा दी जाएगी जिससे इस प्रकार घटाकर आई कुल आय ऐसी

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 33 द्वारा (1-4-1965 से) "आय-कर और अधिकर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 26 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2014 के अधनियम सं० 25 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 49 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[8] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 53 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।

[9] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 31 द्वारा (1-4-1995 से) अंत:स्थापित किया जाएगा ।

अधिकतम रकम से कम पड़ जाती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है और ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के अतिशेष पर कर की संगणना बीस प्रतिशत की दर से की जाएगी ;

(ख) [1][किसी कंपनी की दशा में],—

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए, मानों इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

(ii) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर [2][बीस प्रतिशत] की दर से परिकलित आय-कर की रकम

[3]* * * *

[4][(ग) किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की दशा में—

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए मानों इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

[5][(ii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर [सिवाय वहां के, जहां ऐसा अभिलाभ उपखंड (iii) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत होता है] बीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(iii) ऐसी किसी पूंजी आस्ति के, जो [6][असूचीबद्ध प्रतिभूतियां या किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी न हो, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध हो, के शेयर] हैं, अंतरण से, उद्‌भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुक को प्रभावी किए बिना यथासंगणित ऐसी आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभों पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ।]

[7][(घ)] [8][किसी निवासी से संबंधित] किसी अन्य दशा में,—

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो और

(ii) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर [9][बीस प्रतिशत] की दर से परिकलित आय-कर की रकम ।

[10]* * * * *

[11][परन्तु जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, [12][जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या जीरो कूपन बंधपत्र है] के अंतरण से उद्‌भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर धारा 48 के दूसरे परंतुक के उपबंधों को प्रभावी करने के पूर्व पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है वहां ऐसे आधिक्य को निर्धारिती द्वारा संदेय कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा ।

[13][परंतु यह और कि जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति का, जो धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की यूनिट है, 1 अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ होने वाली और 10 जुलाई, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अंतरण की जाने से उद्‌भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर, धारा 48 के दूसरे परंतुक के उपबंधों को प्रभावी करने के पूर्व, पूंजी अभिलाभों की रकम के 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को निर्धारिती द्वारा संदेय कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा ।]

[14]**[स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

[15][(क) "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 32) की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;

(कक) "सूचीबद्ध प्रतिभूतियां" से ऐसी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं ;

(कख) "असूचीबद्ध प्रतिभूतियां" से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं ;।]

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 31 द्वारा "किसी देशी कम्पनी की दशा में" शब्द (1-4-1955 से) प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
[2] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 23 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 31 द्वारा खण्ड (ग) (1-4-1995 से) अन्त:स्थापित किया जाएगा ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 31 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[8] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 24 द्वारा लोप किया गया ।
[11] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 57 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[13] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित ।
[14] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[15] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]* * * *

(2) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई आय सम्मिलित है वहां उस सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटाकर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(3) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई आय सम्मिलित है वहां उस कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आई कुल आय पर आय-कर में से धारा 88 के अधीन रिबेट अनुज्ञात किया जाएगा ।]

[2]* * * * *

[3][**113. तलाशी संबंधी मामलों में ब्लाक निर्धारण की दशा में कर**—ब्लाक अवधि की ऐसी कुल अप्रकटित आय, जो धारा 158 खग के अधीन अवधारित की जाती साठ प्रतिशत की दर पर कर से प्रभार्य होगी ।]

[4][परंतु यह कि इस धारा के अधीन प्रभार्य कर में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उद्गृहीत किया गया अधिभार यदि कोई हो, की वृद्धि की जाएगी, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू होगी जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन उसकी अपेक्षा की जाती है ।]

[5]* * * * *

[6]* * * * *

[7][**115क. विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीक सेवाओं के लिए फीस पर कर**—[8][(1) जहां—

(क) किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में,—

(i) [9][धारा 115 ण में निर्दिष्ट लाभांशो से भिन्न] लाभांश; या

(ii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा वेदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज [10][जो [11][उपखंड (iiक) या उपखंड (iiकक)] में निर्दिष्ट प्रकृति का ब्याज नहीं है]

[10][(iiक) धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज ; या]

[11][(iiकक) धारा 194 ठग में निर्दिष्ट प्रकृति का और सीमा तक ब्याज ; या]

[12][(iiकख) धारा 194ठघ में निर्दिष्ट प्रकृति और सीमा तक ब्याज ; या]

[13][(iiकग) वितरित आय, जो धारा 194ठखक की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज है ;]

(iii) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की, विदेशी करेंसी में क्रय किए गए यूनिटों की बाबत प्राप्त आय, सम्मिलित है वहां संदेश आय-कर निम्निलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(अ) कुल आय में सम्मिलित, [9] [धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांश] वे रूप में आय की रकम पर यदि कोई हो, बीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(आ) कुल आय में सम्मिलित, उपखंड (ii) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय की रकम पर, यदि कोई हो बीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय की रकम ;

[7][(आअ) कुल आय में सम्मिलित उपखंड (iiक) [11][या उपखंड (iiकक)] में निर्दिष्ट ब्याज के रूप [10][उपखंड (iiकख)] [11][या उपखंड (iiकग)] में आय की रकम पर, यदि कोई हो, पांच प्रतिशत की दर पर परिकलित आय-कर की रकम;]

[1] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 35 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 30 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 44 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 33 और तृतीय अनुसूची द्वारा (1-4-1968 से) धारा 114 का लोप किया गया ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 42 द्वारा (1-4-1988 से) लोप किया गया ।
[7] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[13] 2014 के अधिनियम सं० 24 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।

(इ) कुल आय में सम्मिलित उपखंड (iii) में निर्दिष्ट यूनिटों की बाबत आय पर, यदि कोई हो, बीस प्रतिशत की दर [1][उपखंड (iiक)], [2][उपखंड (iiकक)], [3][या उपखंड (iiकख)] या [उपखंड (iiकग)] में से परिकलित आय का रकम ; और

(ई) आय-कर की वह रकम जो उस पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ;

[4][(ख) [धारा 44घक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी की कुल आय में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त फीसों के रूप में] 31 मार्च, 1976 के पश्चात् विदेशी कंपनी द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ किया जाता है और उस करार का केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है या जहां वह करार भारत की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है वहां ऐसा करार उस नीति के अनुसार है, सम्मिलित है वहां, उपधारा (1क) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

[5][(अ) कुल आय में सम्मिलित स्वामिस्व के रूप में आय पर, यदि कोई हो, [6][दस प्रतिशत] की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(आ) कुल आय में सम्मिलित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय पर, यदि कोई हो, [6][दस प्रतिशत] की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और]

(इ) आय-कर की वह रकम, जो उस पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में आय की रकम घटा दी गई होती ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

(ख) "विदेशी करेंसी" का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (छ) के नीचे के स्पष्टीकरण में है ;

(ग) "स्वामित्व" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है ;

(घ) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है ।

[7][(1क) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट स्वामिस्व किसी भारतीय समुत्थान को किया पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार की बाबत [8][या भारत में निवासी किसी व्यक्ति को किसी कम्पयूटर प्रक्रिया सामग्री की बाबत] सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अन्तरण के प्रतिफल के रूप में है वहां उपधारा (1) के उपबंध ऐसे स्वामिस्व के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो उक्त खण्ड में आने वाले [9][[10][केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह करार भारत सरकार की, तत्समय प्रवृत्त, औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है] वहां ऐसा करार उस नीति के अनुसार है] शब्दों का लोप कर दिया गया हो :

परन्तु यह तब जबकि ऐसी पुस्तक ऐसे विषय पर है जिसको पुस्तकें, भारत सरकार की 1 अप्रैल, 1977 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार खुले साधारण लाइसेंस के अधीन भारत में आयात किए जाने के लिए अनुज्ञात है :

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 44 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 24 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 22 द्वारा (1-4-1978 से) अंत:स्थापित ।
[8] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 40 द्वारा (1-4-1991 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 54 द्वारा (1-6-1992 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 32 द्वारा "उस करार का केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है या जहां वह करार भारत सरकार की, तत्समय प्रवृत्त, औद्योगिक नीति में सम्मिलित, किसी विषय से संबंधित है" (1-4-1995 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[1][परन्तु यह और कि ऐसी कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री, तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार खुले साधारण लाइसेंस के अधीन भारत में आयात किए जाने के लिए अनुज्ञात है ।]

स्पष्टीकरण—[2][1] इस धारा में, "खुला साधारण लाइसेंस" से अभिप्रेत है आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया खुला साधारण लाइसेंस ।]

[1]**[स्पष्टीकरण 2**—इस उपधारा में, "कंप्यूटर प्रक्रिया सामग्री" पद का वही अर्थ है जो धारा 80 जजञ के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है ।**]**

(2) उपधारा (1) की कोई बात स्वामिस्व के रूप में किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो किसी भारतीय समुत्थान के साथ किसी विदेशी कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में उसने ऐसे भारतीय समुत्थान से उस दशा में प्राप्त की है जिसमें ऐसा करार धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के [3][पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए] 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया समझा जाए और आय-कर परिकलन, प्रभारण, कटौती या संगणना करने के लिए वार्षिक वित्त अधिनिमय के उपबंध ऐसी आय के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी आय 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त हुई थी ।

[4][(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती की आय की संगणना करने में, धारा 28 से धारा 44ग और धारा 57 के अधीन उसको किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) जहां, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती की दशा में,—

(क) सकल कुल आय में केवल उस उपधारा के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आय समाविष्ट है वहां अध्याय 6क के अधीन उसको कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में उस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटाकर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती के लिए अपनी आय की विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन देना आवश्यक नहीं होगा, यदि—

(क) पूर्ववर्ष के दौरान उसकी कुल आय में, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, केवल उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आय समाविष्ट है ; और

(ख) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय में से कटौती कर ली गई है ।

[5][**115कख. विदेशी मुद्रा के क्रय किए गए यूनिटों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर**—(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो विदेशी वित्तीय संगठन है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपतट निधि कहा गया है) कुल आय में,

(क) विदेशी करेंसी में क्रय किए गए यूनिटों की बाबत प्राप्त आय ; या

(ख) विदेशी करेंसी में क्रय किए गए यूनिटों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय, सम्मिलित है वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट यूनिटों की बाबत आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(ii) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(iii) आय-कर की वह रकम, जो अपतट निधि पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

(2) जहां अपतट निधि की,—

(क) सकल कुल आय केवल यूनिटों की आय से या यूनिटों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय से या दोनों से मिलकर बनती है वहां धारा 28 से धारा 44ग [6]*** या धारा 57 के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन या

[1] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 40 द्वारा अंतस्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 40 द्वारा पुन:संख्यांकित ।

[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 40 द्वारा (1-4-1991 से) "परन्तुक के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1994 के अधिनियम सं० 32 धारा (1-4-1995 से) उपधाराएं (3), (4), और (5) अंत:स्थापित की जाएंगी ।

[5] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 41 द्वारा (1-4-1992 से) अन्त: स्थापित ।

[6] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 55 द्वारा (1-4-1993 से) "या धारा 48 की उपधारा (2)" शब्दों का लोप किया गया ।

अध्याय 6क के अधीन निर्धारिती को कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी [1][और धारा 48 के दूसरे परंतुक के उपबंधों में अंतर्विष्ट कोई बात उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को लागू नहीं होगी,]

(ख) सकल कुल आय में खंड (क) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती ऐसे अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटाकर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विदेशी वित्तीय संगठन" से भारत के बाहर किसी ऐसे देश की, जिसने भारत में विनिधान के लिए किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या लोक वित्तीय संस्था या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि के साथ कोई ठहराव किया है और ऐसे ठहराव का [2][भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड] केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अनुमोदन कर दिया है, विधि के अधीन स्थापित कोई निधि, संस्था, संगम या निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नही,

(ख) "यूनिट" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि का या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूनिट अभिप्रेत है ;

(ग) "विदेशी करेंसी" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में है ;

(घ) "पब्लिक सेक्टर बैंक" का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (23घ) में है ;;

(ङ) "लोक वित्तीय संस्था" का वहीं अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में है ;

(च) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है ।]

[3]**[115कग. विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर**—(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो अनिवासी है, कुल आय में,—

(क) किसी भारतीय कंपनी के ऐसे बंधपत्रों पर, जो ऐसी स्कीम के अनुसार जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विदेशी करेंसी में जारी किए जाते हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऐसे बंधपत्रों पर जिनका सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है और जो विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए जाते हैं, ब्याज के रूप में आय ; या

(ख) [4]*** [5][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों के रूप में आय ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर,—

(i) जो ऐसी स्कीम के अनुसार जो केंद्रीय सरकार किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के आरंभिक रूप में जारी किए जाने के संबंध में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी की जाती हैं, और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से उसके द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं ; या

(ii) जो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऐसे शेयरों के संबंध में, जिनका सरकार द्वारा विक्रय किया जाता है, जारी की जाती है और किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से उसके द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय की जाती हैं : या

(iii) जो ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय किए गए किसी विदेशी कंपनी के विद्यमान शेयरों के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, [6][जारी या पुन: जारी] की जाती हैं; या

[4]* * * * * * *

(ग) यथास्थिति, खंड (क) में विनिर्दिष्ट बंधपत्रों के अंतरण से या खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा,—

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 55 द्वारा (1-4-1993 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 51 द्वारा (1-6-2005 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 46 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों या खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत, ब्याज [1]*** [2][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों] के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(ii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(iii) आय-कर की वह रकम, जो अनिवासी पर प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

(2) जहां अनिवासी की सकल कुल आय में,—

(क) केवल उपधारा (1) के यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट, बंधपत्रों की बाबत ब्याज के रूप में आय या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत [1]*** [2][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों] के रूप में आय है वहां उसे धारा 28 से धारा 44ग या धारा 57 के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटा कर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(3) धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुकों की कोई बात, उपधारा (1) में खंड (ग) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें हैं, अंतरण से उद्‌भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होंगी ।

(4) किसी अनिवासी के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी देना आवश्यक नहीं होगा, यदि—

(क) उसकी कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, केवल उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय से मिलकर बनी है ; और

(ख) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय से कटौती कर ली गई है ।

(5) जहां निर्धारिती ने उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, समामेलक या निर्विलीन कंपनी में अपने सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र धारण करने के आधार पर समामेलित या परिणामी कंपनी में सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें या बंधपत्र अर्जित किए हैं, वहां उस उपधारा के उपबंध ऐसी सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या बंधपत्रों को लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अनुमोदित मध्यवर्ती" से ऐसा मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो ऐसी स्कीम के अनुसार अनुमोदित है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करे ;

(ख) "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" का वही अर्थ है; जो धारा 115कगक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ।]

[3]**[115कगक. विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर**—[4][(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो ऐसा व्यष्टि है, जो निवासी है और विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी का कर्मचारी है या विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी उसकी समनुषंगी का कर्मचारी है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निवासी कर्मचारी कहा गया है), कुल आय में,—

(क) ऐसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, जारी की गई और विदेशी करेंसी में उसके द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा में लगी किसी भारतीय कंपनी की सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों पर [5]*** [6][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों के रूप में आए] ; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्‌भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय,

सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 46 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 59 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 47 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत, [1]*** [2][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न ऐसे लाभांशों के रूप में आय] पर यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि की हो, दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम;

(iii) आय-कर की वह रकम, जो निवासी कर्मचारी पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट ज्ञान आधारित उद्योग या सेवा" से अभिप्रेत है,—

(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर ;

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ;

(iii) मनोरंजन सेवा ;

(iv) भेषजीय उद्योग ;

(v) जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग ; और

(vi) कोई ऐसा अन्य उद्योग या सेवा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ख) "समनुषंगी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 में है और इसके अंतर्गत भारत के बारह निगमित समनुषंगी भी है ।]

(2) जहां निवासी कर्मचारी की—

(क) सकल कुल आय, केवल उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत [1]*** [2][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न आय] मिलकर बनती है वहां उसे इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगीं ;

(ख) सकल कुल आय, केवल उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कटौती ऐसे अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटा कर आई सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय हो ।

(3) धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुकों की कोई बात दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदें हैं, अंतरण से उद्‌भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" से अभिप्रेत है निक्षेपागार रसीद या प्रमाणपत्र के रूप में कोई ऐसी लिखत चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो जो भारत के बाहर विदेशी निक्षेपागार बैंक द्वारा सृजित की गई है और

[3][विनिधानकर्ताओं को,—

(i) पुरोधरण कंपनी के, जो भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, साधारण शेयरों के ; या

(ii) पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों के, पुरोधरण मद्दे पुरोधृत किए गए है ;]।

(ख) "सूचना प्रौद्योगिकी सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो मूल्य अभिवर्धन उपाप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद प्रणाली पर किसी सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के उपयोग से पैदा होती है ;

(ग) "सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर" से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या प्रतिमा का कोई प्रतिरूपण अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत मशीन पर पठनीय रूप में अभिलिखित स्रोत संकेत लिपि और प्रयोजन संकेत लिपि है, जो "सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद" शीर्ष के अंतर्गत आनेवाली स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन द्वारा अभिचालित करने या किसी उपभोक्ता को अंतर्क्रियाकलाप उपलब्ध कराने में समर्थ है ;

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 47 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) "विदेशी निक्षेपागार बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है, जो पुरोधरण कंपनी द्वारा, पुरोधरण कंपनी के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तनीय बंधपत्रों या साधारण शेयरों के पुरोधरण मद्धे सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।]

[1][**115कघ. विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर**—(1) जहां किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की कुल आय में,—

(क) [2][धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न आय] ; या

(ख) ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा, अर्थात्

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत आय कर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, बीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

[3][परन्तु धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय पर परिकलित आय-कर की रकम पांच प्रतिशत की दर से होगी ;]

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, तीस प्रतिशत की दर से पारिकलित आय-कर की रकम ;

[4][परंतु धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर परिकलित आय-कर की रकम [5][पन्द्रह प्रतिशत] की दर से होगी ;]

(iii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, दस प्रतिशत की दर से पारिकलित आय-कर की रकम ; और

(iv) आय-कर की वह रकम जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की दशा में प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

(2) जहां विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की,—

(क) सकल कुल आय केवल उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत आय से मिलकर बनती है वहां उसे धारा 28 से धारा 44ग या धारा 57 के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटाकर और सकल कुल आय विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की सकल कुल आय हो ।

(3) धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुकों की कोई बात उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद से ऐसा विनिधानकर्ता अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में है ।

115ख. जीवन-बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ पर कर—[6][(1)] जहां निर्धारिती की कुल आय में जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय में सम्मिलित जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ की रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

---

[1] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 21 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 27 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 31 द्वारा धारा 115ख को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया और इसके पश्चात् उपधारा (2) (1-4-1989 से) अंत:स्थापित की गई ।

(ii) आय-कर की वह रकम जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि निर्धारिती की कुल आय में से जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ की रकम घटा दी गई होती ।]

[1][(2) उपधारा (1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी निर्धारिती, उपधारा (1) के अधीन संगणित आय-कर के संदाय के अतिरिक्त, [2][1 अप्रैल, 1989' और 1 अप्रैल, 1990 को से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्षों के दौरान] उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन संगणित आय-कर की रकम के तैंतीस सही एक-बटा-तीन प्रतिशत के बराबर रकम ऐसी समाजिक सुरक्षा निधि में (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् सुरक्षा निधि कहा गया है) निक्षिप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु जहां निर्धारिती जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ के दो सही एक-बटा-दो प्रतिशत से अन्यून कोई रकम उक्त [3][पूर्व वर्षों] के दौरान सुरक्षा निधि में निक्षिप्त करता है वहां उक्त खंड (i) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर की रकम में से ऐसे लाभ और अभिलाभ के दो सही एक-बटा-दो प्रतिशत के बराबर रकम घटा दी जाएगी और तद्नुसार, तैतीस सही एक-बटा-तीन प्रतिशत का निक्षेप जो इस उपधारा के अधीन किया जाना अपेक्षित है, इस प्रकार घटाए गए आय-कर पर परिकलित किया जाएगा ।]

[4]**[115खक. कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर**—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किंतु धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए किसी व्यक्ति, जो कोई देशी कंपनी है, की कुल आय की बाबत संदेय आय-कर ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर पच्चीस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :—

(क) कंपनी 1 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् स्थापित और रजिस्ट्रीकृत की गई है ;

(ख) कंपनी किसी वस्तु या चीज के विनिमार्ण या उत्पादन तथा उसके द्वारा विनिर्मित और उत्पादित ऐसी वस्तु या चीज के संबंध में अनुसंधान या वितरण के कारबार से भिन्न किसी कारबार में नहीं लगी है ; और

(ग) कंपनी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कग या धारा 32 कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या उपधारा (2कख) या धारा 35कग या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के उपबंधों के अधीन या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन "ग-कतिपय आयों की बाबत कटौतियां" शीर्ष के अधीन किसी कटौती के बिना की गई है ;

(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अग्रनीत किसी हानि के मुजरा के बिना की गई है, यदि ऐसी हानि उपखंड (i) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) से भिन्न धारा 32 के अधीन अवक्षयण ऐसी रीति में अवधारित किया जाता है, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) में उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हानि को पहले ही पूरी तरह प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए ऐसी हानि के लिए कोई अतिरिक्त कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी, जब तक व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग आय की पहली विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले विहित रीति में नहीं किया गया है, जिसकी व्यक्ति से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन देने की अपेक्षा की जाती है ;

परंतु किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर उसे उस वर्ष या किसी अन्य पूर्ववर्ष के लिए तत्पश्चात् वापस नहीं लिया जा सकता ।]

[5]**[115खख. लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ भी है, ताश के खेल, अन्य सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृति का जुआ या दाव से जीत पर कर**—जहां निर्धारिती की कुल आय में लाटरी या वर्ग पहेली या दौड़ जिसके अन्तर्गत घुड़दौड़ है, (जो घुड़दौड़ के घोड़ों को अपने स्वामित्व में रखने और उनके रखरखाव के कार्य से आय नहीं है) या ताश के खेल और अन्य सभी प्रकार के

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 31 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 115ख को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया और इसके पश्चात् उपधारा (2) अंत:स्थापित की गयी ।

[2] 1989 के वित्त अधिनियम सं० 13 की धारा 18 द्वारा (1-4-1990 से) "1 अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान" अंक और शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1989 के वित्त अधिनियम सं० 13 की धारा 18 द्वारा (1-4-1990 से) "पूर्व वर्ष" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 51 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 26 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।

खेल या हर प्रकार या प्रकृत्ति के जुआ या दाव से जीत के रूप में आय सम्मिलित है वहां संदेय आयकर निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(i) लाटरी या वर्ग पहेली या दौड़ जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ है या ताश के खेल और अन्य सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार या प्रकृत्ति के जुआ या दांव से जीत के रूप में आय पर [1][तीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की वह रकम जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "घुड़दौड़" का वही अर्थ है जो धारा 74क में है ।]

[2][**115खखक. अनिवासी खिलाड़ियों या खेल-कूद संगमों पर कर**—(1) जहां ऐसे निर्धारिती की कुल आय में,—

(क) जो खिलाड़ी है (जिसके अन्तर्गत खेल-कूद में भाग लेने वाले भी है), जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, निम्नलिखित से प्राप्त या प्राप्त कोई आय सम्मिलित है, अर्थात् :—

(i) भारत में किसी खेल (ऐसे खेल से भिन्न जिसकी जीत धारा 115खख के अधीन कराधेय है) या खेल-कूद में भाग लेना ; या

(ii) विज्ञापन ; या

(iii) भारत में समाचार-पत्रों, मैगजीनों या पत्रिकाओं में किसी खेल या खेल-कूद से संबंधित लेख देना; या

(ख) जो अनिवासी खेल-कूद संगम या संस्था है, भारत में खेले गए किसी खेल के (ऐसे खेल से भिन्न जिसकी जीत धारा 115खख के अधीन कराधेय है) या खेल-कूद के संबंध में ऐेसे संगम या संस्था को संदाय के लिए गारंटीकृत या संदेय कोई रकम सम्मिलित है ; [3][;या]

[3][(ग) जो ऐसा मनोरंजनकर्ता है, जो भारत का नागरिक नहीं है और अनिवासी है, भारत में उसके क्रियाकलापों से प्राप्त या प्राप्त कोई आय सम्मिलित है ;]

वहां निर्धारिती द्वारा संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(i) खंड (क) या खंड (ख) [3][या खंड ग] में निर्दिष्ट आय पर [4][बीस प्रतिशत] की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की वह रकम जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) या खंड (ख) [3][या खंड ग] में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ;

परंतु खंड (क) या खंड (ख) [3][या खंड ग] में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय या मोक की बाबत कोई कर्टाती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2) निर्धारिती के लिए अपनी आय की कोई विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन देना आवश्यक नहीं होगा यदि—

(क) पूर्ववर्ष के दौरान उसकी कुल आय में, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारिणीय है, केवल उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) [3][या खंड ग] में निर्दिष्ट आय सम्मिलित है ; और

(ख) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर ऐसी आय में से काट लिया गया है ।]

[5][**115खखख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से आय पर कर**—(1) जहां निर्धारिती की कुल आय में भारतीय ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि के या किसी पारस्परिक निधि के युनिटों से कोई आय सम्मिलित है वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि के या किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों से आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की ऐसी रकम जिससे निर्धारिती तब प्रभार्य होता जब उसकी कुल आय को खंड (क)) में निर्दिष्ट आय की रकम से घटा दिया होता ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि के या पारस्परिक निधि के यूनिटों से 31 मार्च, 2003 के पश्चात् प्रोद्भूत किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी ।

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 54 द्वारा (1-4-2002 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1986 के अधिनियम सं० 36 की धारा 10 द्वारा (1-4-1987 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 49 द्वारा अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पारस्परिक निधि" , "खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि" और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" पदों के वे ही अर्थ हैं जो धारा 115न के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके है ।]

[1]**[115खखग. कतिपय मामलों में अनाम संदानों पर कर लगाया जाना**—(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकघ) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (iiiकङ) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था या उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की ओर से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, कुल आय में अनाम संदान के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा :—

[2][(i) निम्नलिखित रकमों से अधिक रकम में प्राप्त अनाम संदानों के योग पर तीस प्रतिशत की दर से संगणित आय-कर की रकम, अर्थात् :—

(अ) निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुल संदानों के पांच प्रतिशत ; या

(आ) एक लाख रुपए ; और]

[3][(ii) आय-कर की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती प्रभार्य होता यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) के, यथास्थिति, उपखंड (अ) या उपखंड (आ) में निर्दिष्ट रकम के आधिक्य में प्राप्त संदानों के योग को घटा दिया जाता ।]

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी अनाम संदान को लागू नहीं होंगे जो :—

(क) पूर्णतया धार्मिक प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित किसी न्यास या संस्था द्वारा ;

(ख) पूर्ण रूप से धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित किसी न्यास या संस्था द्वारा ऐसे किसी अनाम संदान से भिन्न जो इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ प्राप्त किया गया है कि ऐसा संदान किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल अथवा ऐसे न्यास या संस्था द्वारा चलाई जा रही अन्य चिकित्सा संस्था के लिए है,

प्राप्त किया गया है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अनाम संदान" से धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (iiक) में निर्दिष्ट कोई स्वैच्छिक अभिदाय अभिप्रेत है, जहां ऐसा अभिदाय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विहित रीति में ऐसा अभिदाय करने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाली पहचान का कोई अभिलेख नहीं रखता है ।]

[4]**[115खखघ. विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर**—(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई भारतीय कंपनी है, [5]*** कुल आय में किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशो के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—

(क) ऐसे लाभांशों के रूप में आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और

(ख) आय-कर की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती तब प्रभार्य हुआ होता, यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों के रूप में पूर्वोक्त आय घटा दी जाती ।

(2) इस अधनियिम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में उसकी आय की संगणना करने में किसी व्यय या भत्ते की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) इस धारा में,—

(i) "लाभांश" का वही अर्थ होगा, जो धारा 2के खंड (22) में "लाभांश" का दिया गया है, किन्तु इसमें उसका उपखंड (ङ) सम्मिलित नहीं होगा ;

(ii) "विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी" से ऐसी विदेशी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक भारतीय कंपनी धारित करती है ।]

[6]**[115खखघक. देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर**—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी [7][विनिर्दिष्ट निर्धारिती,] जो भारत में निवासी है, की कुल आय में किसी देशी कंपनी या कंपनियों द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के द्वारा दस लाख रुपए से अधिक की सकल आय सम्मिलित है, तो संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा—

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 22 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 17 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 38 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 52 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) दस लाख रुपए से अधिक के ऐसे सकल लाभांशों द्वारा आय पर संगणित आय-कर की रकम पर दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) आय-कर की रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता यदि उसकी कुल आय में से लाभांशों द्वारा आय की पूर्वोक्त रकम को घटा दिया जाता ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में उसके निर्दिष्ट लाभांशों द्वारा निर्धारिती की आय को संगणित करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उसके किसी खर्चे या मोक या हानि के मुजरा के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "लाभांश" का वही अर्थ होगा, जो धारा 2 के खंड (22) में उसका है, किन्तु इसमें उसका उपखंड (ङ) सम्मिलित नहीं होगा ;

(ख) "विनिर्दिष्ट निर्धारिती" से निम्नलिखित से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) देशी कंपनी; या

(ii) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अन्य अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था; या

(iii) धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था ।]

[2][**115खखङ. धारा 68 या धारा 69 या धारा 69क या धारा 69ख या धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय पर कर**— [3][(1) जहां किसी निर्धारिती की,—

(क) कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है और उसे धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में परिलक्षित किया गया है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, यदि ऐसी आय खंड (क) के अंतर्गत नहीं आती है,

वहां संदेय आय-कर,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय पर साठ प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की ऐसी रकम, जो निर्धारिती से उस दशा में प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती,

का योग होगा ।]

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यय या मोक [4][या किसी हानि के मुजरे] की बाबत निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।]

[5][**115खखच. पेटेंट से आय पर कर**—(1) जहां किसी पात्र निर्धारिती की कुल आय में भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट में स्वामिस्व के रूप में कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर,—

(क) पेटेंट के संबंध में स्वामिस्व के रूप में आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की ऐसी रकम जो निर्धारिती से उस दशा में प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय की रकम में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय घटा दी जाती,

का योग होगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यय या मोक की बाबत पात्र निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना करने में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 48 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 53 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 54 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) पात्र निर्धारिती इस धारा के उपबंधों के अनुसार भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट की बाबत स्वामिस्व द्वारा आय के कराधान के लिए विकल्प का प्रयोग सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट देय तारीख को या उससे पहले विहित रीति में कर सकेगा ।

(4) जहां कोई पात्र निर्धारिती इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत किसी पेटेंट की बाबत स्वामिस्व द्वारा आय के कराधान का विकल्प चुनता है और निर्धारिती ऐसे पूर्ववर्ष के उत्तरवर्ती पूर्ववर्ष के सुसंगत पांच निर्धारण वर्षों में से किसी के कराधान के लिए ऐसी आय का प्रस्ताव करता है, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो निर्धारिती उस पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के पश्चात्वर्ती पांच निर्धारण वर्षों के लिए, जिसमें ऐसी आय पर कर का प्रस्ताव उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं किया है, इस धारा के उपबंधों के फायदे का दावा करने का पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विकसित" से किसी ऐसे अविष्कार, जिसके संबंध में पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पेटेंट अधिनियम कहा गया है), के अधीन पेटेंट मंजूर किया गया है, के लिए पात्र निर्धारिती द्वारा भारत में उपगत व्यय का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत अभिप्रेत है ;

(ख) "पात्र निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका भारत में निवास है और जो पेटेंटी है ;

(ग) "अविष्कार" का वही अर्थ होगा जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में उसका है ;

(घ) "एकमुश्त" के अंतर्गत ऐसे स्वामिस्वों के कारण कोई ऐसा अग्रिम संदाय, जो वापस करने योग्य नहीं है, आता है;

(ङ) "पेटेंट" का वही अर्थ होगा जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में उसका है ;

(च) "पेटेंटी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम के अनुसार पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी है जो आविष्कार का वास्तविक और प्रथम आविष्कारक वहां है जहां एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति उस पेटेंट की बाबत उस अधिनियम के अधीन पेटेंटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(छ) "पेटेंटीकृत वस्तु" और "पेटेंटकृत प्रक्रिया" के वही अर्थ होंगे जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में क्रमश: उनके हैं ;

(ज) पेटेंट के संबंध में "स्वामिस्व" से निम्नलिखित के लिए ऐसा प्रतिफल (जिसके अंतर्गत एकमुश्त प्रतिफल है किंतु कोई ऐसा प्रतिफल नहीं है जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य प्राप्तिकर्ता की आय या पेटेंटीकृत प्रक्रिया के उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेटेंटीकृत वस्तु के साथ विनिर्मित उत्पाद के विक्रय के लिए प्रतिफल होगा) अभिप्रेत है,—

(i) पेटेंट के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों (जिनमें अनुज्ञप्ति का मंजूर किया जाना भी है) का अंतरण ; या

(ii) पेटेंट के कार्यकरण या उसके उपयोग से संबंधित कोई सूचना प्रदान करना ; या

(iii) किसी पेटेंट का उपयोग ; या

(iv) उपखंड (i) से उपखंड (iii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के संबंध में कोई सेवा प्रदान करना ;

(झ) "वास्तविक और प्रथम आविष्कारक" के वही अर्थ होंगे जो पेटेंट अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (म) में उनके है ।

[1][**115खखछ. कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर**—(1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, कार्बन प्रत्ययों के अंतरण के माध्यम से होने वाली कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—

(क) कार्बन प्रत्ययों के अंतरण के माध्यम से होने वाली आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम; और

(ख) आय-कर की वह रकम, जो उस समय निर्धारिती से प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय की रकम को घटा दिया जाता ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती को, उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट उसकी आय की संगणना में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किए गए किसी व्यय या मोक के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 45 द्वारा (1-4-2018 से) अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक यूनिट के संबंध में "कार्बन प्रत्यय" से कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जनों या उसके समतुल्य गैसों के उत्सर्जन में, जिसका विधिमान्यकरण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क द्वारा किया जाता है, एक टन की ऐसी कमी अभिप्रेत होगी और जिसका बाजार में व्यापार उसकी विद्यमान बाजार कीमत पर किया जा सकता है ।]